(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्टम् विधान सभा के प्रथम सत्र का तृतीय दिवस [संख्या 3

बुधवार

20 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन

सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने किस वर्ष किस तिथि से सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में किये जाने की घोषणा की थी ?

(2) उक्त घोषणा के पश्चात् हिन्दी भाषा को सरकारी कामकाज के उपयोग में लाने के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये एवं उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) राज्य सरकार हिन्दी भाषा को सरकारी कामकाज में उपयोग में लाने के लिये क्या नये विशेष कदम उठाने जा रही है ?

(4) नई राज्य सरकार ने हिन्दी भाषा को सम्पूर्ण तौर से सरकारी कामकाज में उपयोग में लाने में कब तक क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ?

(4) क्या राज्य मंत्रिमण्डल ने यह भी निश्चय किया है कि मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के अलावा दूसरी भाषा का उपयोग नहीं करेगा ?

भाषा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी): (1) 26-1-68 से।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) हिन्दीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निराकरण की व्यवस्था की जा रही है तथा समस्त सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अधिकाधिक हो; ऐसा प्रयत्न किया जायेगा।

(4) राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की नीति का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(5) नवगठित सरकार के मंत्रियों ने यह निश्चय किया है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करेंगे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने और भाषा विभाग ने समय-समय पर हिन्दी के प्रयोग के लिए सक्यूलर जारी किये, आदेश भी जारी किये परन्तु उनकी पालना नहीं हो रही है। उनकी पालना के लिए शिक्षा विभाग क्या कदम उठाने जा रहा है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : समय-समय पर इस प्रकार के आदेश जारी किये जाते रहे है कि हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो। इसकी रिपोर्ट त्रैमासिक विभाग में मंगाई जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या क्या कठिनाइयां हैं वह आप बतायें? सरकार के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं जिनके कारण आप पूरी तरह से इम्पलीमेन्टेशन नहीं कर पा रहे हैं?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : 'इम्पलीमेन्टेशन' के स्थान पर हिन्दी शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमारी तरफ से कोई कठिनाई नहीं है। यह तो पिछली सरकार ने जो कठिनाइयां पैदा कर रखी थीं उनको समाप्त किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या क्या कठिनाइयां खड़ी की गयी थीं, यही तो पूछ रहा हूं? आप कैसे उनको दूर कर रहे हैं? यह बतायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य महोदय ने...

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : इसमें लिखा हुआ नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो सूचना है उसको उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट? श्री खेतसिंह!

राज्य में पेय जल की समस्या

2. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की पेयजल की समस्या को मिटाने के लिए राज्य सरकार के पास क्या योजना है?

(2) राज्य में जहां खारा पानी है वहां गर्मी में तालाबों में पानी सूख जाता है और जहां नजदीक में नलकूप खोदने पर भी मीठा पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है ऐसे क्षेत्रों के लिये दूर से पानी पहुंचाने की योजना पर करीब कितनी लागत आयेगी तथा राज्य सरकार ऐसी कितनी योजनायें इस वर्ष लेने का इरादा रखती है?

(3) राज्य सरकार को एल.आई.सी. से पेयजल की समस्या मिटाने के लिए इस वर्ष कितना पैसा मिला है तथा वर्ष 77-78 में विभाग कितनी नई योजनायें प्रारम्भ करने जा रहा है?

Page No 3

(3)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(4) राज्य में पिछले वर्षों की अधूरी योजनाओं पर इस वर्ष कितना पैसा खर्च किया जायेगा ? क्या यह सभी अधूरी योजनायें इस वर्ष पूरी कर दी जायेंगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) राज्य में पेयजल समस्या समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 222.50 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। नगरीय क्षेत्र की समस्या के समाधान का अध्ययन किया जा रहा है, प्राथमिक अनुमानों के अनुसार इसके लिए 179.00 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी।

(2) प्राथमिक अनुमानों के अनुसार लगभग 125.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस वर्ष स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं के बाबत अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

(3) इस वर्ष में अब तक जीवन बीमा निगम से कोई पैसा नहीं मिला है। नई योजनाओं की स्वीकृति अभी विचाराधीन है।

(4) पिछले वर्ष की निर्माणाधीन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 411.90 लाख रुपये एवं नगरीय योजनाओं पर 212.50 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान है।

जी नहीं।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि उन्होंने मुख्य मंत्री पद की शपथ लेते ही यह कहा था कि हम राजस्थान में पेयजल की समस्या को जल्दी से जल्दी मिटाना चाहते हैं। क्या मैं यह समझूं कि 200 करोड़ रुपये की जो आवश्यकता होगी उसको एक साल या दो साल में पूरा करके पेयजल की समस्या मिटा देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यदि कोई और माननीय सदस्य करते तो ज्यादा अच्छा रहता। माननीय सदस्य पहले मंत्रिमण्डल में दो वर्षों तक मंत्री रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि 200 करोड़ रुपये का एक साल में प्रबन्ध हो सकता है या नहीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो पेयजल का संकट है उसके निराकरण के लिए हम जितना भी प्रयत्न कर सकते हैं उतना प्रयत्न करेंगे। इस सम्बन्ध में अरबन एरिया और रूरल एरिया का मास्टर प्लान बना हुआ है। उसमें इस बात को हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये और जो प्राथमिकता में क्षेत्र आते हैं उनमें कितना धन व्यय किया जाये। साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि अब तक हम इसके लिए सरकारी पूंजी से पैसा खर्च करते आये हैं और किसी अन्य फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से सहयोग नहीं मिला है। राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसी वित्तीय संस्थाओं से हम सहायता ले सकते हैं, इस प्रश्न पर भी हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : क्या आप कोई कार्पोरेशन बनाने का सोच रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकूंगा।

श्री खेतसिंह : और राज्यों में भी कार्पोरेशन बने हुए हैं····

श्री शंकरलाल (जैतारण) : राज्य सरकार को कितना पैसा केन्द्र सरकार से मिलेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है। केन्द्र सरकार ने कुछ योजनायें मंगाई हैं और हम उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। अन्तिम रूप देकर केन्द्र सरकार को जल्दी ही प्रेषित कर देंगे।

श्री खेतसिंह : मैं यह समझूं कि आपका जो भाषण था वह महज आश्वासन है जनता को गुमराह करने के लिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे आपने आश्वासन दिये उस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। मैं इसे पूरा करके बताऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपके आश्वासन और उनके आश्वासन में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा।

विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था

3. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में सभी श्रेणियों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में प्रवेश देने के संबंध में राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने पर आवश्यकतानुसार नए खण्ड भी खोले जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सारे विद्यार्थियों को आप प्रवेश दिला सकते हैं? सवाल यह है ?

श्री अध्यक्ष (व्यवधान) : आपको तीन–चार सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है।

श्री खेतसिंह : आर्ट्स के अन्दर 40 परसेन्ट और साइन्स और कामर्स में 45 पर्सेन्ट से नीचे जिनके अंक हैं उनको एडमीशन नहीं दिया जा रहा है। क्या इसमें और कोई छूट दे रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य की जानकारी गलत है।

श्री खेतसिंह : यह बिलकुल सही जानकारी है और मैं आपके स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज करता हूं। आज महाविद्यालयों में और विद्यालयों में एडमीशन दिया जा रहा है तो आर्ट्स के अन्दर 40 पर्सेन्ट से कम नहीं और साइन्स और कामर्स में 45 पर्सेन्ट से जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। मेहरबानी करके जानकारी हासिल कर लीजिए।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अगर वह जानकारी गलत है तो सही क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से जो भी सप्लीमेन्ट्री प्रश्न थे उनको डिनाई किया गया है। पर्याप्त उत्तर है। अब आप और क्या चाहते हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सवाल माननीय सदस्य ने किया, कुछ सबजेक्ट्स में पर्सेन्टेज अवश्य निश्चित किया जाता है किन्तु यह निश्चय किया जाता है कि हर विद्यार्थी, किसी न किसी सब्जेक्ट में राजस्थान में महाविद्यालय में निश्चित रूप से प्रवेश ले सकता है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के अलावा पिछली सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाये थे जिनमें यह तय किया गया था कि इस स्तर से नीचे प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उसको हमने मिटा दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : भाषण नहीं दें, केवल अपना उत्तर दें। क्या आप कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति रखें।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

ग्राम सेवा सहकारी समिति हाडेलर में गबन का मामला

4. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति हाडेलर–मेड़ा के अध्यक्ष श्री बीमाराम के नाम आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन करना बताया गया था ? और उस रकम को श्री बीमाराम से शीघ्र वसूल करना बताया गया था ? यदि हां, तो वह रकम किस वर्ष की थी एवं कुल कितनी किन किन सदस्यों से वसूल कर अपने पास रखना एवं समय पर वसूली के उपरान्त बैंक में जमा न करना बताया गया था ? उक्त आडिट रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सदस्यों से वसूलशुदा ऋण की रकम श्री बीमाराम ने श्री धनराज के नाम लिख कर श्री धनराज के फर्जी हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त कर ली एवं श्री धनराज के नाम फर्जी बोण्ड्स वगैरह भर कर श्री धनराज के नाम 2500 रु. रकम की वसूली निकलवा दी ? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही कब एवं क्यों की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री धनराज को ऐसी फर्जी कार्यवाही मालूम पड़ने पर उसने कलेक्टर जालोर को इसकी शिकायत की ? यदि हां, तो यह शिकायत कब की गई एवं इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री धन राज ने अपनी शिकायत पर सहायक पंजीयक अधिकारी, सहकारी समितियां, जालोर द्वारा सही एवं निष्पक्ष जांच न करने पर कलेक्टर जालोर को दुबारा शिकायत की है ? यदि हां, तो कब एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त श्री बीमाराम के नाम गबन की गई रकम की वसूली अब तक नहीं की गई है एवं उसका मुकदमा अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब उक्त मामला पुलिस को कब तक सुपुर्द करवा दिया जावेगा।

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): इस संबन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी पूरी प्राप्त होने पर उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी इच्छा है स्थगित किया जाये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर उनके पास जवाब पूरा नहीं है तो क्या इसी सत्र में पूरा उत्तर दे सकेंगे ? पूरी जानकारी अभी नहीं है तो अधूरी दे दें।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : पूरी जानकारी प्राप्त होने पर सदन में उत्तर रखा जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर उत्तर प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री आलम अली खां।

(विराम)

माननीय सदस्य, कृपापूर्वक खड़े होकर प्रश्न नम्बर बोलें।

अधिकारियों की सेवा में वृद्धि

5. श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत एक वर्ष में भूतपूर्व बरखास्त सरकार ने अवकाश प्राप्त करने वाले किस-किस अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ाई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार सेवा अवधि बढ़ाना सरकारी नीति के प्रतिकूल है ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता भवन एवं पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के विरुद्ध घूसखोरी, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के अनेक आरोप होने पर भी उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश को अब कब तक निरस्त करने की सोच रही है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) । (1) सूची संलग्न है।

(2 व 3) राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष है, लेकिन सरकार चाहे तो किसी भी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु तक भी सेवा में रख सकती है।

वर्तमान सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों तथा ऐसे तकनीकी एवं वैज्ञानिक एवं ऐसे कर्मचारियों जिनके रिक्त पद

Page No 7

(7)

(श्री महबूब अली)
करने संभव न हों, के अलावा किसी भी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति से आगे सेवा अवधि बढ़ाने के विरुद्ध है। वर्तमान सरकार की इस नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों की पिछली सरकार द्वारा सेवा वृद्धि की गई थी, उन्हें सेवा निवृत्त करने की कार्यवाही की गई है।

(4) यह सही है कि इनकी सेवा अवधि में वृद्धि की गई थी परन्तु अब इनकी सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 1976-77 के बाद किन की वृद्धि की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इस सूची में दिया गया है। सेवा वृद्धि में राज्य सेवा में थे उनमें से दो व्यक्तियों को छोड़कर सब की सेवा वृद्धि समाप्त कर दी गई है।

एक माननीय सदस्य : दो व्यक्तियों में कौन हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक हैं श्री त्रिपाठी, मुख्य मंत्री के सचिव और दूसरे श्री बवेजा मैनेजिंग डाइरेक्टर, स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, गुलाबपुरा। गुलाबपुरा वाले को इसलिये रखा है, अच्छे आदमी की तलाश कर रहे हैं और अच्छा आदमी मिलते ही इनको भी अवकाश पर भेज दिया जावेगा। श्री त्रिपाठी मुख्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में हैं। मैं स्वयं भी नया हूं, मेरा काम काज अच्छी तरह समझ लूंगा उसके बाद में यह चले जायेंगे। इनकी सेवा वृद्धि सितम्बर तक की गई है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : डा. सलीम।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकर लाल।

आवश्यक वस्तुओं के भाव

6. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में लोक-सभा और विधान सभा के चुनावों के पहले खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं के क्या भाव थे और अब इन वस्तुओं के भाव क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भावों में कमी लाने और आम आदमी को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके उसके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं और क्या प्रयत्न करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(3) इन आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर कब तक मिलना संभव होगा ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं जिनके मार्फत निर्धारित

(श्री आदित्येन्द्र)

मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने जिलाधीशों को यह भी निर्देश जारी किये हैं कि वे ऐसा प्रयत्न करें कि जन साधारण को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होती रहें।

(3) भारत सरकार से आवश्यक वस्तुएं जितनी मात्रा में समय समय पर प्राप्त होती हैं उनका वितरण जनता को निर्धारित भाव पर किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : भावों में वृद्धि के कारण क्या हैं?

श्री आदित्येन्द्र : राज्य में लोकसभा और विधान सभा के चुनावों के पहले और बाद में खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं के जो प्रचलित बाजार भाव रहे हैं उनके अनुसार खाद्यान्न एवं चीनी के बाद में भावों में कुछ कमी आई है। जब कि खाद्य तेल के भावों में वृद्धि हुई है। सूची में अंकित बाजार भाव सूचना के आधार पर दिये गये हैं।

श्री शंकरलाल : मैंने सूची के सम्बन्ध में नहीं पूछा। मेरा प्रश्न यह है कि यह जो भावों में वृद्धि हुई है उसमें कारण क्या है?

श्री आदित्येन्द्र : मैंने बताया कि जहां तक खाद्यान्न और चीनी के भावों का सवाल है.....

श्री शंकरलाल : सूची तो मिल गई। भावों में वृद्धि हुई है उसका क्या कारण है?

श्री आदित्येन्द्र : केवल तेलों में वृद्धि हुई है उसका कारण है, सीड उपलब्ध नहीं है। सीड की कमी के कारण तेलों में वृद्धि हुई है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही नहीं है कि कालाबाजारी और जमाखोरी से भी भावों में वृद्धि हुई है? इसके लिये प्रधान मंत्री ने व्यापारियों से निवेदन किया है कि भावों में कमी लायें। व्यापारियों की जमाखोरी और कालाबाजारी इसका कारण है क्या?

श्री आदित्येन्द्र : जिलाधीशों को निर्देश दिये गये हैं कि भावों में वृद्धि न हो। इसके लिये यह भी कहा गया है कि इसकी जांच भी कराई जाये लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है...

श्री शंकरलाल : मैंने प्रश्न किया है वह बिल्कुल स्पष्ट है। जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण भावों में वृद्धि हुई है। आज की राजस्थान पत्रिका में आपने देखा होगा, व्यापारियों ने यह कहा है कि इसका कारण सरकार है। सरकार की कार्यवाही के कारण भावों में वृद्धि हुई है? हम यह जानना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके सम्मुख निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : पहिले मंत्री महोदय।

श्री शंकरलाल : मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिये। अगर जानकारी नहीं है तो प्रश्न स्थगित करायें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को मालूम है कि भाव पिछले महीने ही नहीं बढ़े। पिछले वर्ष 1976 में अगस्त के महीने से भाव बढ़ने प्रारम्भ हुए। सितम्बर में काफी बढ़ गये। जनवरी 77 में और बढ़ गये। इसके बाद भी भाव बढ़े हैं। आप हम पर दोष लगायें कि एक महीना राज्य का शासन संभालने के कारण भाव बढ़े हैं ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा प्रश्न है, क्या जमाखोरी के कारण या मुनाफाखोरी से भाव बढ़े हैं। यह बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इस आधार पर यह भी कह सकता हूं कि उनको रोकने के लिये सरकार जो कारगर कदम उठा सकती है वह कदम उठायेगी। भावों की रोकथाम के लिये 30 तारीख को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। प्राइसेज को कन्ट्रोल करने के लिये राष्ट्रीय नीति किस प्रकार की बनाई जायेगी, उस नीति के बाद ही आपको देखने को मिलेगा।

श्री शंकरलाल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजना

7. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की नोबला–जायडू, ऊंडू–पनावड़ा, भाडखा–देरासर एवं माडलरोइली ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन करने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उनके निराकरण के लिए क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजनायें कब तक कम्प्लीट कर दी जायेंगी?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) योजनाओं की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाडखा-देरासर का कार्य जल स्रोत चालू न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। भाडखा में निर्मित नलकूपों को डवलप करने व विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ऊंडू-पनावड़ा एवं भाडखा रोइली के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नोबला, सुरा जायडू के लिए धन की उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नोबला सुरा जायडू अगले वित्तीय वर्ष में पूरी की जाने की आशा है। शेष तीनों योजनाओं के बाकी समस्त ग्रामों में जल वितरण इस वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, नोबला-जायडू जल प्रदाय योजना के लिए

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
मंत्री महोदय ने फर्माया कि 78–79 तक यह योजना कम्पलीट कर दी जायगी। जो प्रोविजन्स हैं वे पहले 75–76 में जो थे, वे फिर प्रोविजन्स हुए 5 लाख के। अब आयन्दा साल इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री महबूब अली : इसके लिये पिछले वर्ष 5.60 लाख रुपया रख दिया गया था। इस वर्ष भी 5 लाख का प्रावधान है। यदि इस वर्ष 5 लाख रुपया मिल जाता है तो इसको क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : केवल मात्र रुपया रख देने से कार्य सम्पूर्ण नहीं होता है। यह 20.7 लाख की योजना है। यह तब तक कम्पलीट नहीं हो सकेगी जब तक ज्यादा धनराशि की व्यवस्था नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न, जितनी योजनायें है उनमें नलकूप तैयार नहीं हुए हैं, इस कारण क्रियान्वित नहीं हो रही है। क्या नलकूप योजना निर्माण करने के लिए कार्य जल्दी से जल्दी करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : नलकूप के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि यह योजना भू-जल विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है। मैंने कल ही जानकारी की थी, इस कुए के प्रारम्भ करने में क्या कठिनाई है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिल सका है। मैं माननीय सदस्य को सन्तोष कराऊंगा और भू-जल विभाग से जल्दी से जल्दी कराने की व्यवस्था करूंगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : नोबना-जायड़ योजना को कम्पलीट करने के लिए जब यह निर्णय किया गया है कि अगले साल यह कम्पलीट हो जायगी तो इसके लिए जब तक इस वर्ष ज्यादा धनराशि की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कैसे कम्पलीट कर देंगे?

श्री महबूब अली : अगले वर्ष कम्पलीट करने का आश्वासन नहीं है। 1.28 लाख नलकूप के लिये दे दिया गया है। यह कमिटमेंट नहीं है कि अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायगा। यह माननीय सदस्य को गलतफहमी है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी आपने कहा है। पांच लाख खर्च करने का प्रावधान है। यह कहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भंवरलाल।

संजय गांधी के जयपुर आगमन पर व्यय की गई राशि

8. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्री संजय गांधी के जयपुर आगमन पर राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के अन्तर्गत संस्थानों द्वारा किसकी स्वीकृति से कितना व्यय किया गया?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में सारे विभागों से सामग्री एकत्रित नहीं कर पा रहा हूं। केवल एक विभाग का ही प्रश्न होता तो मैं आपको जवाब दे देता लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं सार्वजनिक विभाग का ही यह प्रश्न नहीं है अतः इसमें विलम्ब होना स्वाभाविक है। राज्य सरकार के सारे विभागों से सामग्री

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
एकत्रित की जा रही है और उसके आने पर ही सन्तोषजनक उत्तर दे सकूंगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित करने के लिए कुछ समय दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य पूछें।

श्री मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने फर्माया कि समय चाहिये, वह तो ठीक है लेकिन यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उत्तर आना ही चाहिये। इसके लिये कोई निश्चित अवधि बतायें। संजय के आगमन से हाइड्रोफोबिया का इलाज नहीं हो सका है जो कुत्तों के काटने पर होता है। सारी हालत खराब हो गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा, वैसे तो यह प्रश्न बहुत छोटा सा लगता है लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ही खर्च किया हो, ऐसा नहीं है। अन्य विभागों ने संजय के आगमन पर खर्चा किया है। इसके अलावा भी और खर्चे हुये हैं जो प्रत्यक्ष में नहीं हुये हैं उनकी यात्रा के सम्बन्ध में। अगर आप जल्दी चाहेंगे तो मैं जल्दी ही उत्तर दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : खर्चा हो गया सब तो आप बता सकते हैं। जो खर्चा हो गया है उसको बता देने में क्या ऐतराज है? लेकिन खर्चा हुआ ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आप लोगों की जानकारी के लिये केवल यही सूचना देना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उसमें कितना खर्चा किया गया है, कितने फूल मंगाये गये हैं, कितनी पांखुरियां मंगाई गई हैं, वे सब खर्चे उसमें शामिल किये जाने हैं?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सख्त ऐतराज है या तो मंत्री महोदय ही प्रश्न का उत्तर दें या फिर इनको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल।

जैतारण क्षेत्र की सड़कों के अधूरे कार्य

9. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण क्षेत्र में कई सड़कों के किनारे टूटी हुई कंकरी

Page No 12

(12)

(श्री शंकरलाल)
काफी समय से सड़कों के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु पड़ी हुई है? यदि हां, तो किन किन सड़कों के किनारे कहां कहां कितनी सम्भावित लागत की कंकरी कब से पड़ी हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसी कंकरी किसी व्यक्ति अथवा ठेकेदार द्वारा ट्रकों द्वारा अन्य स्थानों पर चोरी छिपे नहीं ले जाई जा सके, इसका विभाग द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है?

(3) ऐसी कंकरी का उपयोग कब तक इन सड़कों के कार्य पर कर लिया जायेगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। जिन सड़कों पर कंकरी पड़ी हुई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस विभाग के सम्बन्धित उप अभियन्ता एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(3) धनराशि उपलब्ध होने पर कंकरी का उपयोग किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखे)

श्री शंकरलाल : यहां धनराशि उपलब्ध होने का सवाल नहीं है। चार चार बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत होना आवश्यक है। जैतारण से मेड़ता और रायसिंह से आवसिया–इन पर जो कंकरी पड़ी है वह कई साल से पड़ी है। बहुत से लोग इसे ले जाते हैं। आप कम से कम यह बता दें, यह सरकार यह बता दे कि इस कार्य को कब शुरू किया जायेगा और आगे क्या कर पायेंगे? इसके बारे में क्या निश्चित कार्यक्रम है?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तो उत्तर दे दूंगा।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : जो ठेकेदार हैं वे ही ले गये।

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच कराइये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

श्री शंकरलाल : उत्तर तो आ जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुखलाल सेणचा : जो ठेकेदार हैं वे कंकरी ले गये, क्या आप इसकी जांच करवाना चाहते हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : ये ठेकेदार आपके जमाने के ही थे, साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके प्रश्न पूछें क्रमशः।

श्री शंकर लाल : मैं प्रश्नकर्ता हूं और मैंने प्रश्न पूछा है। जो कंकरी पड़ी है इसका उपयोग करने का क्या कार्यक्रम है? जो शिकायत है कि ठेकेदार ले जाते हैं तो उसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष : आपके स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर आयेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन की समस्या पिछले वर्षों पैदा हुई थी उस समय इन सड़कों के निर्माण की फेमिन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई थी। फेमिन के कारण लोगों को काम पर लगाना पड़ता था। इस कारण से एक स्थान पर कंकरी खोद कर इकट्ठी की गई और दूसरे स्थान पर डालने की व्यवस्था की दृष्टि से यह कंकरी डाली गई। आज जो अवस्था है वह मैं जानता हूं, यह इतने समय से पड़ी हुई है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यह बात सच है कि 1968 से जैतारण–मेड़ता रोड पर यह कंकरी पड़ी हुई है, दूसरे सन् 75 के जुलाई माह से जैतारण रोड पर पड़ी हुई है, और तीसरी सड़क पपाटा–समेरा रोड है वहां पर 68 से कंकरी पड़ी हुई है। मैंने इसका पोइन्ट प्रस्तुत किया कि फेमिन के कारण इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी। कंकरी के खोदने और कंकरी की डिलिवरी के कारण इतने सालों से उस स्थान पर जमा हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे जो स्थिति बनेगी, जो बजट आयेगा उस बजट में फेमिन की दृष्टि से जो भी प्रावधान होगा। उसके अनुसार सड़क को बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। यह निश्चित है कि यह सड़क काफी खराब है और निश्चित रूप से बननी चाहिए लेकिन आगे आने वाले बजट के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं सप्लीमेंट्री नहीं अलाऊ करूंगा।

प्रश्न संख्या 10, श्री खेतसिंह राठौड़।

(व्यवधान)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पाठशालाएं

10. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमायते इस्लाम एवं मुस्लिम लीग संस्थाओं द्वारा राज्य में कई पाठशालाएं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो इनकी तालिका सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही शालाओं में साधारण शिक्षा के अलावा संघ अथवा संस्था के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि इन शालाओं में राष्ट्र गायन, ईश प्रार्थना के स्थान पर संस्थाओं से ताल्लुक की प्रार्थना गायी जाती है और देश के महान नेताओं की आलोचना करते हुए संघ संचालक एवं संस्थाओं के निर्माताओं की प्रशंसा की जाती है ? यदि हां, तो क्या ये राष्ट्र की एकता के द्योतक हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य खेतसिंह राठौड़, प्रश्न पूछिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूछ लिया, जवाब तो दिलायें।

शिक्षा मंत्री : (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : आनन्द मार्ग, जमायते इस्लाम एवं मुस्लिम लीग द्वारा पाठशालायें चलाये जाने के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जावे, अध्यक्ष महोदय। जब मंत्री महोदय के पास सूचना ही नहीं है, सूचना एकत्रित की जा रही है, तो इसको पोस्टपोन करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जब प्रश्नकर्ता ही कह रहे हैं कि प्रश्न को पोस्टपोन किया जावे तो फिर आपको क्या आपत्ति है?

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले सूचना तो एकत्रित करें फिर जवाब दें।

श्री शंकरलाल : पोस्टपोन तो इसलिए करा रहे हैं कि मंत्री महोदय के पास जवाब नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं······

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता जब माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनने की भी क्षमता नहीं रखते, पूरा उत्तर सुनने से पहले ही व्यग्र होकर कहते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाये तो मुझे क्या आपत्ति है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : मंत्री महोदय जब यह कहते हैं कि सूचना एकत्रित कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्नकर्ता उत्तर सुनना चाहते हैं तो मंत्री महोदय उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा ऐसी कोई पाठशालायें राज्य में नहीं चलाई जा रही हैं। आनन्द मार्ग, जमायते इस्लाम एवं मुस्लिम लीग द्वारा पाठशालायें चलाये जाने के बारे में सूचना एकत्रितकी जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि जो आनन्दमार्ग, जमायते इस्लाम और मुस्लिम लीग के द्वारा कहां कहां कितनी कितनी संस्थायें राजस्थान में चलाई जाती हैं इसकी सूचना एकत्रित कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कौन कौनसी जगहों पर यह स्कूल चलाये जा रहे हैं? मंत्री महोदय के पास पूरा जवाब नहीं है इसलिए मैं चाहता था कि यह प्रश्न पोस्टपोन किया जावे और पूरी जानकारी एकत्रित करके फिर जवाब दिया जाय। फिर भी जो जवाब दिया है उसके आधार पर मैं सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूं।

शिक्षा मंत्री महोदय, कृपया यह बतलायें कि आदर्श विद्या मंदिर, जो जयपुर में चल रहा है, क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक

(श्री खेतसिंह राठौड़)

संघ या जनसंघ के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, आप यह बतलायें कि क्या विभाग ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि सरकारी स्कूलों के अन्दर भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखायें लगाने की इजाजत दी जाय ?

और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस प्रकार की शालायें जो चल रही हैं उनको क्या आपने ग्राण्ट-इन-एड की लिस्ट पर ले लिया है ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आसन पैरों पर है।

माननीय प्रश्नकर्ता महोदय से मेरा निवेदन है कि सरकार जानकारी प्राप्त कर रही है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् आपको पर्याप्त उत्तर मिलेगा, आप व्यग्र न हों। कुछ दिनों तक शांति रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन अवश्य कर रहा हूं।

प्रश्न संख्या 11 श्री रघुनाथ विश्नोई।

तहसील सांचोर के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

11. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर के ग्राम डूंगरी, सेसावा, अगड़ावा, आरवा, बेडिया एवं सापरका, कोसिटा में पीने के पानी का भारी संकट है ? अगर हां, तो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा पीने के पानी का प्रबन्ध कब तक कर दिया जावेगा ? क्या यह सही है कि उक्त जल प्रदाय योजना के लिए ग्राम भोगाला में या ग्राम डूकबा के धोरों में ट्यूब वेल बना कर या ग्राम टापी के धोरों में कुआ बना कर पानी सप्लाई किया जा सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त योजना को मंजूर करके कार्य शुरू करने के आदेश प्रसारित कर दिये थे ? अगर हां, तो कब ? उक्त कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर की ग्राम लाछीवाड़, सुराचा, दुगावा पांचला वगैरह की जल प्रदाय योजना सर्वे की जाकर सरकार के पास मंजूरी हेतु भेज दी गई है ? अगर हां, तो कब ? उक्त योजना को सरकार द्वारा कब तक मंजूर की जाकर कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां। ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी। ग्रामों को

Page No 16

(16)

(श्री महबूब अली) :
जल प्रदाय योजना के लिए जल स्रोत के बाबत अध्ययन कराया जावेगा।

(2) यह योजना स्वीकृत नहीं की गई थी। अतः आदेश प्रसारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) ग्राम लाछीबाड़, सुराबा सहित 7 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण किया गया है। उक्त योजना में ग्राम पांचला सम्मिलित नहीं है। योजना धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह स्रोत कब तक ढूंढ लेंगे? कब तक पानी का स्रोत ढूंढ लिया जावेगा?

श्री महबूब अली : इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि यह पता लगे कि किस जगह स्रोत है।

श्री मूलचन्द डागा : इसके लिए कितना समय लगेगा? समय तो निश्चित करें कि कितने समय में करवा देंगे?

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : तीस साल से ज्यादा नहीं लगेगा।

श्री मूलचन्द डागा : ऐं! आपको भी तीस साल लगेंगे? आप और तीस साल?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। जितना वे बताना चाहें बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार आखिर कार्यक्रम बना कर चलती है। सरकार ऐसे ही तो नहीं चलती है। सरकार का क्या कार्यक्रम है, क्या प्रोग्राम बनाया है यह बतायें?

रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कब से प्रयत्न किया जा रहा है? यह बता दीजिये, आगे का क्या कार्यक्रम है, कब तक पानी का स्रोत ढूंढ लेंगे? कुछ तो जवाब होना चाहिये। आखिर कितना समय लगेगा? सोर्स ढूंढने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है, यह बता दीजिए?

(अनुत्तरित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 12। श्री भंवरलाल शर्मा।

राजकीय उपक्रम, बोर्ड एवं निगम के अध्यक्ष

12. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में कितने राजकीय उपक्रम, बोर्ड तथा निगम हैं? उनकी सूची उनके वर्तमान अध्यक्षों के नामों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : यह प्रश्न जो किया गया है वह केवल राजकीय उपक्रम विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह सब विभागों से सम्बन्धित है इसलिए जितनी जानकारी प्राप्त हुई है वह मैं आपके सामने रख देता हूँ।

विभागीय उपक्रम :

1. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

2. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।

3. राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना।

4. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।

सरकारी कम्पनियाँ :

1. गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर

2. राजस्थान स्टेट टैनरीज लि., जयपुर

3. हाई-टेक प्रीसीजन ग्लास लि., जयपुर

विभागीय उपक्रमों में प्रबन्धक का पद नहीं है। विभागीय अधिकारी ही प्रधान प्रबन्धक के पदों पर लगे हुये हैं।

सरकारी कम्पनियों के प्रबन्धकों की सूची निम्न है :—

1. गंगानगर शुगर मिल्स लि.—प्रबन्धक पद नहीं है।

2. राजस्थान स्टेट टैनरीज लि.—श्री ओंकारसिंह—(गैर सरकारी)

3. हाई-टेक प्रीसीजन ग्लास लि.—प्रबन्धक पद नहीं है।

इस विभाग के अधीन कोई बोर्ड नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर राजस्थान में अन्य विभागों के अधीन निम्न राजकीय उपक्रम बोर्ड तथा निगम कार्यरत हैं :—

1. राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड
2. राजस्थान होटल निगम, जयपुर
3. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर
4. राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर
6. राजस्थान कृषि भूमि विकास निगम, जयपुर
7. राजस्थान स्टेट डेयरी डवलपमेंट निगम, जयपुर
8. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
9. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., जयपुर
10. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
11. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
12. राजस्थान वित्त निगम, जयपुर
13. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर
14. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर
15. इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, जयपुर
16. हाम्योपैथिक बोर्ड, जयपुर
17. जल प्रदूषण एवं निवारण मण्डल, जयपुर
18. राजकीय आयुर्वेदिक अनुसंधान मण्डल, जयपुर
19. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर,
20. राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
21. राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन सहकारी विपणन मण्डल, जयपुर
22. मरुस्थल विकास मण्डल, जयपुर
23. मरुस्थल विकास आयोग, जयपुर
24. राजस्थान हाथ करघा परियोजना मण्डल, जयपुर

(श्री निर्लेप चन्द जैन)

सरकारी कम्पनियों एवं बोर्डों के अध्यक्षों की सूची निम्न :—

1. रा[illegible]न होटल निगम—श्री एल. [illegible] शासन सचिव (वित्त)

2. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम—श्री [illegible], आयुक्त, कृषि उत्पादन।

3. राजस्थान लघु उद्योग निगम—श्री डी. आर. मेहता, उद्योग सचिव।

4. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं [illegible] निगम—श्री एम. एस. [illegible], भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।

5. राजस्थान भूमि विकास निगम—श्री [illegible], विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि।

6. राजस्थान स्टेट डेयरी डवलपमेन्ट निगम—श्री [illegible], विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि।

7. राजस्थान आवासन मण्डल, श्री द्वारकादास पुरोहित (गैर सरकारी व्यक्ति)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि—श्री मोहन मु[illegible], मुख्य सचिव।

8. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, श्री यशवन्तसिंह नाहर (भूतपूर्व विधान सभा सदस्य)।

9. राजस्थान पथ परिवहन निगम, श्री मोहिन्द्रसिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।

10. राजस्थान वित्त निगम, श्री एम. एस. सदाशिवन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।

11. राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम—श्रीमती कान्ता कथूरिया, भू. पू. एम. एल. ए.।

12. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल—श्री एम. एम. के. वली, भा. प्र. से. अधिकारी

13. इंडियन मेडिसिन बोर्ड, श्री ए. के. गुप्ता, उप सचिव, चिकित्सा।

14. होम्योपैथिक बोर्ड—श्री वी. आई. राजगोपाल, स्वास्थ्य आयुक्त।

15. जल प्रदूषण निवारण मंडल—श्री इन्द्रदत्त भार्गव (सेवा निवृत्त मु. अभियन्ता)।

16. राजकीय आयुर्वेदिक अनुसंधान मंडल—श्रीमती विद्या पाठक।

17. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड—श्री सत्य-प्रकाशसिंह भंडारी।

18. राजस्थान पाठ्यकरण पुस्तक मंडल—शिक्षा मंत्री।

19. राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन सहकारी विपणन मंडल—श्री सतीश कुमार, विशिष्ठ शासन सचिव (कृषि विशिष्ट योजनाएं)।

20. मरुस्थल विकास मंडल—मुख्य मंत्री।

21. मरुस्थल विकास आयोग, रिक्त स्थान।

श्री खेतसिंह : क्या सरकार राज्य के अधिकारियों के स्थान पर गैर सरकारी व्यक्तियों को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): इस प्र[illegible] पर सरकार विचार कर रही है।

Page No 19

(19)

श्री खेतसिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय ने लोगों को यह भी आश्वासन दे रखा है कि आपको इन बोर्ड्स का चेयरमैन बनाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि किस योग्यता के व्यक्ति को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है ? और वे कितने अर्से से इन पदों पर हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट।

सांचोर का अस्पताल

13. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में हाल ही में राज्य सरकार ने ग्राम झाब में एक डिस्पेंसरी खोलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इस डिस्पेंसरी में डाक्टर की व्यवस्था कब तक करा कर डिस्पेंसरी शुरू करवा दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कुछ एडपोस्ट भी सरकार द्वारा खोले गये थे ? अगर हां, तो कहां-कहां एवं कब ? अब इन स्थानों पर खोले गए एडपोस्टों के आदेश पुनः कब तक जारी कर एडपोस्ट शुरू करवा दिए जाएंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचोर में 30 शैय्या वाला अस्पताल खोलने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए थे ? यदि हां, तो इसे 30 शैय्या वाले अस्पताल में क्रमोन्नत कब तक किया जाकर कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। ग्राम झाब हेतु डाक्टर की नियुक्ति की जा चुकी है। चिकित्सालय के लिये भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण डिस्पेंसरी शुरू नहीं हो सकी है।

(2) जी हां। वर्ष 1977-78 में ग्राम डूंगरी गांव एवं पटवार में एडपोस्ट खोलने की स्वीकृति दिनांक 21-4-77 को जारी की गई थी। इन्हें चालू करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां भवन की व्यवस्था कर दी गई है और आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि ... भी भिजवा दिया गया है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 14।

बाड़मेर जिले के ग्राम

14. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है ? प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल एवं उनकी

Page No 20

(20)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
सन् 71 की जनसंख्या का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिले के ग्राम कुन्दरा, जैसिधर, हरसाणी, गिराब एवं सेडूसर, जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक था, को तीन साल पहले राज्य सरकार ने वहां की जनता को सुविधा एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक ग्रामों में विभाजन किया है? यदि हां, तो राज्य सरकार बकाया ग्रामों, जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है, के विभाजन के लिए कदम उठाने में विलम्ब क्यों कर रही है?

(3) राज्य सरकार उक्त ग्रामों का अनेक ग्रामों में कब तक विभाजन करा देगी?

राजस्व मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) बाड़मेर जिले में 96 ग्राम ऐसे हैं जिनका कि क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है। विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बकाया ग्रामों का, जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है, के विभाजन के लिए राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण सहित सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि...

एक माननीय सदस्य : क्या भाषण दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : Supplementary only please.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अब यह मानते हैं कि 96 गांव ऐसे हैं जो 25 वर्गमील क्षेत्र से अधिक हैं और अब कुछ गांवों का मूंदड़ा, जैसिधर, जो कि 50 वर्गमील के विलेज थे, का विभाजन किया गया है, तो इन गांवों का विभाजन करने में आपको क्या कठिनाई है? राज्य सरकार इन गांवों का विभाजन करने के लिए क्या सोचती है जिससे कि इन गांवों का विकास हो सके? इनके विभाजन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, यही प्रश्न माननीय सदस्य ने पिछले सत्रों में भी पूछा है। दिनांक 8-5-72 के आदेश के द्वारा बाड़मेर जिले के पांच बड़े गांवों का विभाजन करके उनके 11 गांव बना दिये गये जिनका क्षेत्रफल आज भी 25 वर्गमील से अधिक है। सन् 72 के आदेश के अन्तर्गत जिन गांवों का क्षेत्रफल 100 वर्गमील से अधिक था उनके अब 11 गांव होने के बाद उनका क्षेत्रफल अब 30 वर्गमील होता है तथा ऐसे गांवों की संख्या पहले कम थी, वह अब 96 हो गई है। यदि क्षेत्रफल के विभाजन का सिद्धान्त माना जाए तो राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे गांव होंगे जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक होगा, जिस गांव का कायमीटर या दो छोर के अन्दर की दूरी 6

Page No 21

(21)

(श्री आदित्येन्द्र)

मील है, उनका क्षेत्रफल भी 25 वर्गमील से अधिक होगा। इसलिये केवल क्षेत्रफल को ही आधार मानकर गांवों का विभाजन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। पहले जिन 6 गांवों का विभाजन किया गया तो यह माना गया बताया कि 100 वर्ग मील से ज्यादा गांव का विभाजन कर दिया जाये। ऐसा एक गांव अभी रह जाता है जिसका क्षेत्रफल 101 वर्ग मील है। अब बाद में कोई माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करेंगे, जब कोई प्रस्ताव होगा तब बाद में सोचेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यदि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था और इन पांच गांवों का विभाजन कर दिया गया था तो मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार के दूसरे गांव हैं क्यों उनका विकास नहीं होता? एक गांव 60 वर्गमील में है, वहां पर एक पाठशाला खोली जाती है जो कि उस एरिया के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसी प्रकार कोआपरेटिव सोसाइटी है, रीजनल पावर बाइन स्कीम्स हैं, इनमें वहां पर कठिनाई आ रही है। यह कठिनाई जैसलमेर, बाड़मेर जिले में आ रही है। जैसा 6 गांवों का विभाजन किया गया वैसे ही इन 96 गांवों का विभाजन करने में आपको क्या कठिनाई पैदा हो रही है? क्या आप इन गांवों का विकास नहीं करना चाहते हैं?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब राजस्थान में देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो कुछ गांव जो बड़े थे, वे बड़े रह गये, कुछ तहसीलें बड़ी रह गईं। राजस्थान में कहीं तो ढाई तीन तहसीलों के जिले हैं, कहीं पर 17 तहसीलों और कहीं पर 20/20 तहसीलों पर एक जिला है। प्रशासन को इफैक्टिव बनाने के लिए तथा जनता की भी पहुंच बराबर हो सके, मेरा निवेदन है कि न्यायोचित तरीके के आधार पर पूरे के पूरे राजस्थान के जिले और तहसीलों का पुनर्गठन किया जाये। इसकी योजना पर सरकार को विचार करना चाहिये और इसे कार्य रूप में परिणित करना चाहिये।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि पिछले पांच वर्षों में कोई प्रस्ताव नहीं था। सरकार ने बाद में कोई विभाजन नहीं किया है। यह ठीक है कि गांवों का विकास होना चाहिये। वर्तमान सरकार गांवों के विकास के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। इसलिए जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के आयेंगे उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सुझाव तो हमने दे दिये हैं अब इससे ज्यादा और क्या सुझाव होंगे। आप उन पर गौर कर लीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : विचार करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट के री-आर्गेनाइजेशन का सवाल उठाया है, उसके बारे में क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय प्रकाश डालेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : री-आर्गेनाइजेशन सम्बन्धी क्या प्रश्न है, यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप जानते हैं, फिर भी आप इस प्रश्न के साथ जिला और तहसील जोड़ रहे हैं। किस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, यह आपको पता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य प्रश्न-कर्ता उत्तर चाहते हैं माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें। अन्यथा कह दें कि विचाराधीन है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जवाब दें, ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि किस ग्राम का क्षेत्रफल कम से कम कितना होना चाहिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में ऐसे कई गांव थे जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक था। उनका सीमा क्षेत्र घटाकर अब 25 व. मी. रखा गया है। एक गांव ऐसा रह गया है जिसका क्षेत्रफल 100 मील से ज्यादा है। ऐसे गांवों के क्षेत्रफल के बारे में हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 15, श्री आलम-अली खां।

सरकारी मकान तथा फर्नीचर किराये का हिसाब

15. श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जयपुर में सरकारी मकान तथा फर्नीचर किराये का हिसाब ढंग से नहीं रखा जाता है जिससे राजस्थान विधान सभा के अनेक भूतपूर्व सदस्यों के अन्तिम वेतन का भुगतान नहीं हो सका है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी अभी अधिशाषी अभियन्ता, भवन एवं पथ, नगर संभाग–1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में भूतपूर्व सदस्यों में जो बकाया बतलाई है वह बकायात इसी विभाग द्वारा पूर्व में बतलाई गई बकायात से भिन्न है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा ऐसे गलत बकायात बतलाने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में भूतपूर्व सदस्यों में विभाग से जो बकायात बतलाई है उनमें कई ऐसे भूतपूर्व सदस्यों में भी बकायात बतलाई है जिनके नाम विभाग ने पहले अदेय प्रमाण-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो ऐसे कितने सदस्यों के मामले हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) यह सही नहीं है। इस विभाग में सरकारी मकान तथा फर्नीचर किराये के लिए प्रत्येक व्यक्ति का खाता रखा जाता है।

(2) यह सही है। सरकारी भवन खाली नहीं करने एवं फर्नीचर नहीं छोड़ने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) के कारण किराया प्रति मास बढ़ता जाता है। इस कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) यह सही नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे भी भूतपूर्व माननीय सदस्य हैं जो वर्तमान में भी हैं जिनके डिपार्टमेंट में बराबर कई मामले चल रहे हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग नहीं होती है?

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह जो दिक्कत बताई जाती है, यह सही है। कई भूतपूर्व माननीय सदस्यों ने जिले में पैसा जमा कर दिया है। वह भी यहां निकाल देते हैं। जो भूतपूर्व माननीय सदस्य अभी आये हैं, उनका बिल रोक लिया, उनकी पे रोक ली। उनका हिसाब जांच करके साफ कर लिया जाये। परन्तु सभी की पे रोक ली जाये यह तो उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उनके बिल रोके नहीं जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय, डिपार्टमेंट आदमियों को पोस्टिंग करता नहीं है। यह व्यवस्था हो जाये तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या कई भूतपूर्व माननीय सदस्य, जो आज मेम्बर नहीं हैं, आज भी सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं?

श्री मूलचन्द डागा : इर्रेलेवेण्ट है।

एक माननीय सदस्य : गोरी पूनिया रहती हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : एम. एल. ए. क्वार्टर्स और विधायक पुरी में अभी भी भूतपूर्व लोग निवास कर रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने सवाल किया है। जहां तक डिपार्टमेन्ट से पोस्टिंग का सवाल है, उसकी चिंता की जायगी। जहां तक लास्ट पे बिल का मामला है, वह अकाउन्ट्स से सम्बन्धित प्रश्न है। उसके बारे में हम कोई चिन्ता नहीं कर सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : चिन्ता नहीं करके यह कर दें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह समस्या है। मैं भी इसका भुक्त भोगी हूं। अधिकांश पुराने सदस्य रहे हुए हैं। सारे लोगों का निपटारा हो जाए ऐसा प्रयत्न किया जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : एम. एल. ए. अपने बंगले सबलेट नहीं कर सकेंगे किराये पर, यह व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से किरायेदार रह जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अपने ही प्रश्न का खुद ही उत्तर।

श्री अध्यक्ष : प्रासन अपने पैरों पर है। इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन है, यह प्रशासनिक समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज आफ कर दिया जाये तो ठीक रहेगा।

Page No 24

(24)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं 1952 से विधायक हूं। 1952 से आज तक अकाउण्ट पूरा नहीं हुआ है। अकाउण्ट्स कुछ जगहों पर पूरा नहीं हो पाता है। समस्या हमने पैदा नहीं की है। आपके कारण पैदा हुई है।

श्री खेतसिंह : समस्या आप लोगों की देन है।

श्री मथुरादास माथुर : समस्या आपने पैदा की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समस्या आपने पैदा की है। समाधान हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह भूतपूर्व सरकार का अनुकरण नहीं करें।

प्रश्न संख्या 16 श्री भंवरलाल शर्मा।

जयपुर शहर में शराब के ठेके की दुकानें

16. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल, जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर शहर में घनी आबादी वाली कई बस्तियों में, विशेष कर पिछड़ी जाति के लोगों की बस्तियों में जो शराब के ठेके की दुकानें हैं, उन्हें वहां से हटाने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री मास्टियेन्द्र) : शहर की घनी आबादी वाली बस्तियों में ऐसी शराब की दुकानें लगाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जयपुर शहर के किसी भी वार्ड में पिछड़ी जाति की संख्या इतनी नहीं है कि जिसके कारण पूरी बस्ती को ही पिछड़ी जाति की बस्ती कहा जा सके। इसलिए फिलहाल कोई दुकानें नहीं हटाई गयी हैं।

श्री स्योपतसिंह मकासर : पिछड़ी बस्ती में से भी नहीं हटाई गयी हैं?

श्री मास्टियेन्द्र : हमारा उद्देश्य पूर्ण नशाबन्दी का है। इसलिए उस समय वह हटा दी जायेंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह पूर्ण नशाबन्दी कब होगी?

श्री मनोहरसिंह मेहता : कांग्रेस शासन ने तीस साल तक नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : बस! प्रश्न समाप्त हो गया।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आगे की कार्यवाही के पहले...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था देनी है, माननीय सदस्यों को उसके पश्चात् जो भी कहना है वह कहें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) सर्व श्री अब्दुल अजीज, राम रघुनाथ व जेठमल बरवड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 13-6-77 को चुनाव के दौरान मकराना निर्वाचन क्षेत्र में चिन्दालिया ग्राम के लोगों की पिटाई व बरवाला ग्राम के पिछड़ी जाति के लोगों को खेत जोतने के लिये नहीं जाने देने के विषय में।

(2) सर्व श्री प्रद्युम्नसिंह, शिवचरण, रामकरणसिंह व समरथलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर उप-जिले में गलसूजा की बीमारी के कारण मवेशियों की मृत्यु के विषय में।

(3) सर्व श्री रघुनाथ विश्नोई, सूरजपालसिंह व रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर में अधिक वर्षा के कारण ऊनालू फसलों में हुए नुकसान के विषय में।

मेरी व्यवस्था है कि इस सम्बन्ध में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज से प्रारम्भ होने वाली जो चर्चा है उस समय माननीय सदस्य जो भी प्रश्न हैं स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वह उठा सकते हैं, अतः मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से प्रार्थना करूंगा कि जिस वक्त यह चर्चा उठाई जावे माननीय सदस्यों द्वारा; आप सरकार को निर्देश करेंगे कि स्पेशली एडजोर्नमेन्ट मोशन के सम्बन्ध में उत्तर देवें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सर्वश्री शंकरलाल, वृद्धिचन्द्र जैन, मूलचन्द डागा, खेतसिंह, सुमित्रा सिंह व मदन कौर! स्थगन प्रस्ताव है आपका?

कई माननीय सदस्य: जी हां।

श्री अध्यक्ष: उसके सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था है।

श्री शंकरलाल (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, ····

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि जो भी स्थगन प्रस्ताव हैं, राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस में जब बोलें उस समय आप यह प्रश्न उठा सकते हैं, इसमें आपत्ति क्या है?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं इस सम्बन्ध में विवश हूं, कोई व्यवस्था नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, 1967 की विधान सभा में भी····

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था अन्तिम है। स्थान-ग्रहण करें, कृपया।

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सही है लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। सदन का समय वेस्ट न करें।

Please sit down, Hon'ble Member ?

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न कोई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे नहीं तो व्यवस्था क्या देंगे आप ?

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप भी इस सदन में विरोधी पक्ष के नेता रहे हैं। आपने भी बराबर देखा होगा, कितने ही स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाते थे, उसके बाद माननीय सदस्यों को चार-पांच मिनट बोलने का अवसर दिया जाता था। आज आप बोलने का अवसर नहीं दें, यह कन्वेंशन नहीं है। आप मीटिंग बुला लीजिये और उसमें इस पर विचार कर लीजिये लेकिन आज हमको बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में लाखों मवेशी मर चुके हैं, लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है, सरकार को तार भेजने के बावजूद, चिट्ठियां लिखने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप बताइये इतनी महत्वपूर्ण बात को·····

(व्यवस्था—सूचक घंटी)

हम मुद्दे अभी नहीं उठायेंगे तो फिर कब उठायेंगे ? आप तो हमारी बात भी सुनना पसन्द नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को आदेश दें। मंत्री-महोदय को वक्तव्य देना चाहिए कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,···

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की बात तो हम मानते हैं क्योंकि राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा हो रही है···

श्री अध्यक्ष : एक-एक, दो-दो मिनट के लिए बोल लीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले····

श्री अध्यक्ष : इस आसन के द्वारा उदारतापूर्वक व्यवस्था दी जाती है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में व्यवस्था की जाती रही हैं एडजोर्नमेन्ट मोशन के सम्बन्ध में और माननीय सदस्यों को यह अधिकार रहा है कि वह एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में अपनी बात कह दें। पांच-सात दफा ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है। मैं ऐसा समझता हूं आसन द्वारा जो नई व्यवस्था दी जा रही है यह उन व्यवस्थाओं के प्रतिकूल होगी। जिन माननीय सदस्यों के एडजोर्नमेन्ट मोशन हैं उनको पहले अवसर दिया जाना चाहिए। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, किसी भी बिन्दु के ऊपर कोई व्यक्ति अपने विचार जाहिर

(श्री परसराम मदेरणा)
करना चाहता है तो जब तक उसके विचार न सुनें तब तक यह मालूम नहीं हो सकता कि वह क्या बात कहना चाहता है। महत्वपूर्ण बात भी आप नहीं सुन सकते। आप इस सम्बन्ध में दूसरी व्यवस्था देना चाहते हैं तो बातचीत करने के बाद, उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी विचार-विमर्श करने के बाद व्यवस्था दे सकते हैं। उसके बाद शायद·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि पांच वर्षों से स्थगन प्रस्तावों के बारे में क्या और किस प्रकार की परम्परा रही है यह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन पिछले बीस वर्षों से निश्चित रूप से यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है और बजट पर बहस होती है, विचार विनिमय और वाद-विवाद होता है उस अर्से में न एडजोर्नमेन्ट मोशन स्वीकार किए जाते हैं और न उन पर चर्चा होती है। यह कन्वेन्शन है। यह कन्वेन्शन इस विधान सभा का ही नहीं है, देश की सारी विधान सभाओं का है—लोक सभा का है। पिछले पांच वर्षों में यदि कन्वेन्शन टूटा हो तो पता नहीं। वैसे पिछले 4–5 वर्षों में भी इस कन्वेन्शन को तोड़ा नहीं होगा, वह कन्वेन्शन आज भी उसी प्रकार बना हुआ होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय माननीय सदस्यों को हर प्रश्न को उठाने और चर्चा करने की छूट है, ऐसी स्थिति में उस समय न कोई स्थगन प्रस्ताव दिया जाए, न उस पर चर्चा हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था इस संबंध में दी है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही है, तो किसी प्रकार के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूं यह व्यवस्था ठीक है। यह न परम्पराओं के विपरीत है न ही इस पर किसी प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जिन प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने उठाया है, जब सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा तब उनका उत्तर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : मेरा निवेदन है कि किस माननीय सदस्य का क्या स्थगन प्रस्ताव है, वह सदन में आ जाना चाहिए। अगर यह नहीं आता है रिकार्ड पर, तो माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव देने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए माननीय सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव क्या है, इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना चाहिए और रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इस सदन के अन्दर पहले यह परम्परा थी और वह तोड़ी गई है। परम्परायें तोड़ी नहीं जातीं बल्कि एस्टेब्लिश की जाती हैं सदन के अन्दर, वह भी किसी दूसरे के द्वारा नहीं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा। ऐसी स्थिति में जब यह सदन उस प्रश्न को डिस्कस कर चुका था, दूसरे विषय आ चुके थे तब भी आसन ने उचित नहीं समझा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है, उसको सुन लिया जाए। इसलिए आपोजीशन की ओर से जो

(श्री हरिदेव जोशी)
मुद्दा यहां पर रखा जाए, रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए।

दूसरी बात, माननीय सदस्यों को उस बारे में क्या कहना है, उसको इस तरह से लिया जाना चाहिए जिससे उनका सम्मान स्थापित हो।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो भावना व्यक्त की है, उसका एक हद तक मैं आदर करता हूं लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों का इस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोक सभा और राज्य सभा में क्या व्यवस्था है। आप इस पर आपत्ति उठा सकते हैं कि सदन की परम्पराओं के अनुकूल जो कुछ भी व्यवस्था हो, जारी रहे तो कोई हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं है। मगर माननीय सदस्यों की इच्छा है तो दो-दो मिनट बोल लें। मगर सिद्धांततः मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद का इतना विस्तृत क्षेत्र है कि जो मुद्दे चाहें उठा सकते हैं और अपनी व्यग्रता को शांत कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उस समय सब नहीं बोल सकते।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय। आज गांवों में हम पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। मेरे क्षेत्र में काश्तकारों को खास तौर से बरवाला ग्राम के पिछड़ी जाति के लोगों को खेत जोतने नहीं दिए गए, उनको अपने खेतों पर खेती करने नहीं दी गई। 10 खेत पिछड़ी जाति के मेरे क्षेत्र में हैं उनको जोतने नहीं दिया गया। अब हमारा फर्ज है कि हम उनके खाने-पीने की व्यवस्था करें। उसके लिए सरकार के पास क्या उपाय है? आप विचार करें, फसल के बोने का समय निकल गया।

श्री अध्यक्ष : इर्रेलेवेन्ट है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान आप सब मुद्दे उठा सकते हैं,...

श्री अब्दुल अजीज : चिण्डालिया ग्राम में उन लोगों की मार-पिटाई की गई।

श्री नवनीत पालीवाल : आप क्या बोल रहे हैं, किसके अन्तर्गत बोल रहे हैं।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अब्दुल अजीज : चिण्डालिया ग्राम के लोगों को पीटा गया, वोट नहीं देने दिया गया, इससे बढ़ कर हिन्दुस्तान की तवारीख में ऐसी जम्हूरियत नहीं आई।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि जो स्थगन प्रस्ताव श्रीमान के समक्ष रखा, वह एक नहीं बल्कि इस सदन के 5–7 सदस्यों ने रखा और उसको पढ़ा भी नहीं गया। राज्यपाल के अभिभाषण से इसका संबंध नहीं, केन्द्र के गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने 13 जुलाई को संसद में एक सनसनीखेज वक्तव्य दिया और आरोप लगाया कि जो विरोधी दल के नेता बंदी थे

(श्री शंकरलाल)
उनको गोली से उड़ा देने की योजना थी। यह ऐसी चीज है कि देश के करोड़ों लोगों··

(व्यवधान)

अगर वक्तव्य सही है तो हमें कुछ नहीं कहना है। यदि गलत है तो उन्हें दंड दिया जाए। चाहे लोक सभा का मामला हो लेकिन राजस्थान की जनता पर भी प्रभाव पड़ता है·····

श्री नवनीत पालीवाल : आप पर भी पड़ा है।

श्री शंकर लाल : इस प्रस्ताव के द्वारा सदन चाहता है कि जांच की जाय कि गृह मंत्री का वक्तव्य सही था या गलत था···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब इर्रेलेवेन्ट है। आप भली भांति जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप अनुभवी विधायक हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आप बार-बार खड़े हो जाते हैं तो हम बोल भी नहीं पाते।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने लोक सभा में केन्द्रीय गृह मंत्री के वक्तव्य को लेकर यहां पर प्रश्न उठाया है जिसमें उनकी भर्त्सना की है। जो सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में कहना बिलकुल गलत और सदन की परम्परा के विरुद्ध है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह लोग नियमों को जानते ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था इस प्रकार की दी कि यह मामला इस सदन से संबंधित नहीं है। यह बात लोक सभा में कही गयी है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, बिना नोटिस दिये यहां पर भर्त्सना कर दी जाय यह कैसे हो सकता है। अगर यह कहते हैं तो इस पर भी आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है। हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह एडजोर्नमेंट मोशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का है···

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह लोग सदन का जो कीमती समय है उसको बरबाद कर रहे हैं। इन्हें रोका जाय।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आपने तीन स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी थी उसके बारे में तो आपने

(श्री परसराम मदेरणा)

यह कह दिया कि इन विषयों पर माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर आज से जो बहस होने वाली है उसके दौरान चर्चा कर सकते हैं, अतः मैं इनको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। उन्हें अस्वीकार कर दिया। पर जो चौथा स्थगन प्रस्ताव था उसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी तो जिन पांच सदस्यों ने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं मिली। पहले तीन स्थगन प्रस्तावों को तो पढ़ा गया। जब वह नहीं पढ़ा गया तो बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया और कहा कि उसे भी पढ़ा जाना चाहिये जिससे पता लगे कि माननीय सदस्य किस बारे में यहां पर एडजोर्नमेन्ट मोशन ला रहे हैं। आपने दूसरी यह भी व्यवस्था दी कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है वह अपने अपने स्थगन प्रस्ताव पर दो-दो मिनट यहां पर बोल सकते हैं इस के बाद में आपने तीसरी व्यवस्था भी दे दी जिसमें आपने इर्रेलेवेन्ट बताया। तो गवर्नर महोदय के अभिभाषण के वक्त बोलने वाली व्यवस्था सही है या दूसरी व्यवस्था आपने जो दी या तीसरी व्यवस्था दी, वह सही है? हमारा निवेदन यह है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के बारे में आपकी एक ही व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में ऐसी व्यवस्था दी हुई थी कि जो एडजोर्नमेन्ट मोशन हाउस के परव्यू में नहीं आते हैं उन्हें यहां नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी था कि पहले एडजोर्नमेन्ट मोशन पर सिर्फ ना पक्ष वाले बोल सकते थे। पिछले तीस वर्षों से चूंकि एक ही सरकार चली आ रही थी इसलिए जो व्यवस्था उस वक्त दे दी गयी थी वही मौजूदा समय में चली आ रही है। अब उनमें इम्प्रूवमेन्ट करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने यह व्यवस्था दी कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है वे दो मिनट तक बोल सकते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अभी माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एडजोर्नमेन्ट मोशन आपने दिया है उसका सारांश मैंने आपको यहां पढ़ कर सुनाया है। इस सदन की यह परम्परायें रही हैं कि जो भी माननीय सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन देते थे उसका एक्सट्रेक्ट यहां हाउस में पढ़ कर सुनाया जाता था। वही मैंने पढ़ कर आपको सुना दिया।

श्री मूलचन्द डागा : पर इस बाबत तो आपने पढ़ कर सुनाया ही नहीं। अब आप पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष : अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी पढ़ कर सुना देता हूं।

सर्व श्री शंकर लाल, बुद्धिचन्द्र जैन, मूलचन्द डागा, खेतसिंह, सुमित्रा सिंह व

Page No 31

(31)

(श्री अध्यक्ष)
मदन कौर की ओर से लोक सभा में दिनांक 13 जुलाई, 1977 को गृह मंत्री श्री चरण-सिंह के इस वक्तव्य पर कि जरूरत पड़ने पर श्री जयप्रकाश नारायण व जेलों में बन्द अन्य नेताओं को गोली मारने की तैयारी करली गयी थी, भर्त्सना की जाय।

यह विषय इस सदन से संबंधित नहीं है। अतः मैं इसकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। जो कुछ भी इसमें था वह मैंने पढ़ कर सुना दिया। अब तो आपकी आपत्ति का निवारण हो गया।

(व्यवधान)

अब आपका क्या आदेश है।

श्री परसराम मदेरणा : आदेश तो आपका शिरोधार्य है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी इस तरह की कार्यवाही से हाउस की प्रोसीडिंग चलने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप निरन्तर इसी तरह करेंगे तो मुझे हाउस की प्रोसीडिंग्स में से इसको एक्सपन्ज करने के आदेश देने पड़ेंगे।

श्री खेतसिंह : वह तो आपकी इच्छा पर है आप कर सकते हैं। हम तो आपके आदेश को शिरोधार्य मान कर चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मुझे दूसरा आइटम लेने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (नागौर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 41-42 सदस्य ऐसे बैठे हैं जो कि इस सदन के सदस्य ही नहीं हैं। उन 41-42 सदस्यों पर सदन का सदस्य होने का शक किया जा सकता है। वह इस सदन के माननीय सदस्य हैं या नहीं? यहां पर कल जो घटना घटी थी उसको मैं बता देना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जिला जालौर में अधिक वर्षा के कारण उन्हालू फसल में हुए नुकसान के विषय में दिया है। अध्यक्ष महोदय, जालौर, रानीवाड़ा और सांचोर में इतनी अधिक बरसात हुई है कि लोगों की फसलें खराब हो गयी हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग थे, उनके कच्चे मकान थे, बह बह गये। वह लोग बेचारे वहां अपने टूटे मकानों के बाहर बैठे हुए हैं। इस हालत में भी राज्य सरकार ने बार बार निवेदन करने पर भी एक भी नया पैसा स्वीकार कर उन्हें राहत देने के लिए खर्च नहीं किया है। हालांकि कलेक्टर जालौर ने भी इसके लिये बार बार आग्रह किया है पर उन पर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई। कलेक्टर ने यहां पर राज्य सरकार को यह दरख्वास्त दी है कि जालौर, रानीवाड़ा और सांचोर में गरीब लोगों के घर बह गये हैं। अतः मेरा राज्य सरकार से आपके मार्फत यह अनुरोध है कि राज्य सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी उन्हें धनराशि स्वीकृत करके राहत पहुंचाई जाय। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की रिपोर्ट है ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य देने की बात का क्या हुआ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : I will have to tell you Hon'ble Members to please sit-down.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, जब तक आपकी एक व्यवस्था पूरी नहीं हो जाय तब तक दूसरी व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया है:—

(1) मेजर श्री फतहसिंह
(2) श्री रामचन्द्र जाट
(3) श्री रामनारायण चौधरी
(4) श्री पुरुषोत्तम मन्त्री।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (विधान सभा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचम राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1977

(2) राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के संबंध में समय का बंटवारा।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है और मुख्य मंत्रीजी को भी कुछ कहना है वह खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे क्षमा करना मुझे ध्यान नहीं था।

श्री मुख्य मंत्री जी।

प्रतिवेदन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज अधिनियम, 1956 धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) हाई टैक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण।

(2) श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76।

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

राज्यपाल प्रकोष्ठ में बैठी महिला के पास अभिभाषण की प्रति

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 158 के अन्तर्गत आपके सम्मुख एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कल जिस वक्त माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उस समय में भी मैंने यह एतराज इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया था कि एक महिला जो दीर्घा में बैठी हुई थी, जो कि राज्यपाल महोदय की दीर्घा के नाम से कहलाई जाती है उसमें वह बैठी हुई राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक कापी को पढ़तीजा रही थी...

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने के लिए अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ....

श्री खेतसिंह : पहले तो प्रिविलेज मोशन के समय पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आया करते थे। आप इस बार यह नयी परम्परा डाल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर पहले डिस्पोज आफ हो जाये फिर आप बोल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रूल 157 में इस प्रकार की व्यवस्था है जो मैं इस सदन में पढ़कर सुना देता हूं।

"कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के, या सदन के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो।"

तो मैं पहले तो इसके सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए आपने कोई अनुमति दी है ?

श्री खेतसिंह : अनुमति दी है तब ही तो बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपने अनुमति दी है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय सुन रहे थे और आपने पाइन्ट ऑफ

(श्री मूलचन्द डागा)
ग्राडंर उठा दिया। मैं नेता महोदय से कहूंगा कि जब उन्होंने इजाजत दी तब ही तो पढ़ना शुरू किया।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी है तो वह एतराज करते।

(व्यवधान)

इस तरह से तो कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं वह अभी समाप्त नहीं हुआ है···

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, उचित तो यह होता कि आपकी पार्टी के 149 सदस्य हैं उनमें से कोई पाइन्ट ग्राफ ग्राडंर रेज करता कि रूल 157 की अनुपालना हुई है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनका इरादा यह हो कि सदन में वह तो चाहें जो कर लें और हम केवल सुनते रहें····

श्री खेतसिंह : यह तो कल भी आपने धमकी दी थी। अब बार बार क्यों देते हैं। आप 150 हैं और हम 41 हैं। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। यदि आप धमकी देना चाहें तो हम धमकी में आने वाले नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं धमकी के रूप में नहीं कहता। आखिर आपको और हमको सबको मिलकर सदन की कार्यवाही चलानी है। जो पाइन्ट ग्राफ ग्राडंर मैंने रेज किया है और माननीय सदस्य जिन्होंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के पहले अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेना आवश्यक है...

श्री खेतसिंह : ले ली गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय माथुर साहब कहते हैं कि अनुमति ले ली गई...

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : जो अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्ताव रखा उस पर बोला गया। अगर अनुमति नहीं होती तो नहीं बोलते।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप यह परम्परा डालें कि एक बोले और दूसरा बीच में बोले तो मैं उस परम्परा पर भी चलने के लिए तैयार हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि खेतसिंह जी ने जब अध्यक्ष महोदय के सम्मुख उनके चेम्बर में यह प्रश्न रखा तो उस समय मेरी जानकारी के अनुसार उनको अनुमति नहीं दी गई। ऐसे माननीय सदस्य, जो स्वयं संसदीय मामलात के मंत्री रहे हैं, मैं आशा करूंगा कि नियमों का निश्चित रूप से पालन करेंगे। प्रिविलेज मोशन उठाने में आपत्ति नहीं है। यदि ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज हुआ है तो आप निश्चित रूप से सदन में उसे लायें। उसके नियम बने हुए हैं उनके अन्तर्गत लायें। उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। लेकिन आप नियमों का उल्लंघन करें यह उचित नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। पहले आप अध्यक्ष महोदय की अनुमति ले लें और यदि अनुमति हो तो आप निश्चित रूप से प्रश्न रखें, मुझे आपत्ति नहीं होगी और इस सदन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री खेतसिंह जी से मेरा यह निवेदन है कि आपने जो प्रश्न उठाया वह मेरे विचाराधीन है। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाना है और अमुक रूप देना है तो आपका इस संबंध में उत्तर-दायित्व है। मैं तो यही व्यवस्था दे सकता हूं कि आप कृपा करके मुझे चेम्बर में मिल लें, हम इस संबंध में बातचीत कर लेंगे।

श्री केदारनाथ : उनका मकसद ही इतना था।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए 4 दिन नियत किये गये हैं। इस चर्चा के लिए लगभग 16 घन्टे का समय उपलब्ध है। मैंने बहस की सुविधा की दृष्टि से दल-अनुसार समय का विभाजन इस प्रकार किया है:–

जनता पार्टी – 11-1/2 घन्टा–इसमें मंत्री महोदयों द्वारा उत्तर देने का समय भी सम्मिलित है।

कांग्रेस पार्टी–3 घन्टा

श्री खेतसिंह : मान्यवर, यों तो आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला कर तय करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री अध्यक्ष : यह विषय अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का नहीं है। आपको संख्या के अनुपात से जो व्यवस्था की है उसको आप सुन लीजिए। इसमें कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाये। तब तक आप कोई व्यवस्था दें उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नम्र निवेदन करना है, उस पर आप गौर कर लें। अब सदन के माननीय सदस्यों की संख्या जो पहले हुआ करती थी उससे बढ़ गई है। अब 200 हो गई है और उसके साथ ही साथ बड़े महत्व पूर्ण प्रश्न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उठाये गये हैं इसलिए जो चार दिन का समय रखा है और उसमें भी गवर्नमेंट का रिप्लाई भी शामिल है यह समय बहुत थोड़ा रहेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम 6 दिन का समय रखा जाये तो बहुत उपयुक्त रहेगा। मेरा ख्याल है कि हम लोग भी सरकार को सहयोग दे सकेंगे और अपने सुझावों के जरिये से सरकार हमारा सहयोग मांगती है तो हम देंगे। इसके लिए समय बढ़ाया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है और महत्वपूर्ण राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। इसमें सब लोग अपने दिलों के बलबले निकालना चाहेंगे, उनका सरकार जवाब भी

(श्री श्योपतसिंह)
देगी और कुछ करारी चोटें भी होंगी इसलिए इस बहस को 6 दिन के लिए रख दिया जाये तो उचित रहेगा। मैं माथर साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वादविवाद होगा उसके लिए कितना समय निश्चित किया जाये इसके ऊपर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि यहां केवल 200 सदस्य होंगे इसलिए 6 दिन की बहस हो ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में 500 सदस्य हैं और वहां भी चार दिन की बहस होती है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, पहले भी 5 5 दिन दिये जा चुके हैं। तो आप इस पर गौर कर लें और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी गौर कर ले।

श्री अध्यक्ष : मेरा जो निर्णय है आप शान्तिपूर्वक सुन लें। मेरा माइन्ड ओपन है। मगर इसमें आवश्यकता होगी तो आंशिक परिवर्तन असम्भव नहीं है। जो व्यवस्था देता हूं वह तो आप सुनिये कृपा करके।

जनता पार्टी	–	11½ घंटे
कांग्रेस पार्टी	–	3 घंटे
सी.पी.आई.	–	15 मिनट
सी.पी.एम.	–	15 मिनट
निर्दलीय	–	10 मिनट

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग 6 मेम्बर हैं। हम 10 मिनट में कैसे बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; निर्दलियों के लिये मेरी व्यवस्था है, प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 15 मिनट सी. पी. एम. को दिये गये हैं। इस पर थोड़ा कन्सीडरेशन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट के लिए कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है। 15 मिनट के 20 मिनट भी हो जायेंगे।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : हमें कुछ समय ज्यादा मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री माणकचन्द सुराणा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाये :—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

Page No 37

(37)

(श्री माणक चन्द सुराणा)

अध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल महोदय ने इस गरिमामय सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है। उस अभिभाषण में भूतकाल की घटनाओं का और भविष्य को ओर प्रगति की दिशाओं का निर्देशन किया है। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, अध्यक्ष महोदय, वह एक नई परिस्थिति में है। राजस्थान में ही नहीं भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई है और उन ऐतिहासिक क्रान्ति का पहला दौर लोकसभा के चुनावों में पूरा हुआ। दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस सरकार को, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को देश की जनता ने अपदस्थ किया और पुनः लोकतन्त्र को मानने वाली और लोकशाही में विश्वास रखने वाली जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करके तानाशाही के मनसूबों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक क्रांति का महत्व विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य यदि कम करना चाहेंगे तो भी किसी भी तरीके से कम नहीं हो पायेगा। तीस साल तक जो आपने देश में शासन किया, आपने स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जाना है कि 25 जून, 1975 को देश में कोई आपत्ति नहीं आई थी किन्तु आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की घोषणा आवश्यक नहीं थी। आपत्ति यदि थी 25 जून, 75 को तो लोकनायक जय प्रकाश नारायण के देश व्यापी आन्दोलन से श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुर्सी पर आपत्ति आने वाली थी। उस आपत्ति से बचने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सारे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कोई विदेशी हमला नहीं था। देश की जनता पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 25 जून, 75 को एक आंतरिक हमला किया, लोकतन्त्र की जड़ों को समाप्त करने के लिये एक षड्यन्त्र किया और आपातकाल की घोषणा की। इस दौरान जो कुछ भी हुआ कांग्रेस के बहुत से माननीय सदस्य, जो मन्त्री भी रहे हैं, वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि यदि आपातकाल देश में नहीं आता तो शायद कांग्रेस सरकार को समाप्त होने का अवसर नहीं मिलता। जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी मैं यह कहने को तैयार हूं कि अगर यह इमर्जेन्सी देश में नहीं लगती तो शायद कांग्रेस को इस तरह का दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो अत्याचार, अनाचार आपातकाल में उन्होंने किये, जनता पर डंडे का राज कायम किया, 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया उन सबका क्यूमुलेटिव इफैक्ट यह हुआ कि आज कांग्रेस का उत्तर भारतवर्ष में और दिल्ली की गद्दी से शासन समाप्त हो गया है। यह एक नई दिशा है, अध्यक्ष महोदय, आज जनता ने दिखा दिया कि सत्ता को जनता के अधीन रहना पड़ेगा और जो सत्ता जनता को अपने अधीन बनाना चाहेगी वह सत्ता देश की गद्दी पर स्थापित नहीं रह सकती। इसलिये एक ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ नया शासन दिल्ली में कायम हुआ। नाईन स्टेट्स में कांग्रेस सरकारें थी। राजस्थान में भी थी। आज जिस जगह को मेरे साथी माननीय श्री भैरोंसिंह जी सुशोभित कर रहे हैं उस पर पहले श्रीमान हरिदेव जोशी बिराजते थे और कांग्रेस का शासन राजस्थान में था। यह बात आप जानते हैं कि राजस्थान में 25 लोक सभा की सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकी और 24 सीटों पर जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। ज

Page No 38

(38)

(श्री माणक चन्द सुराणा)
के कारण केन्द्रीय गृह मंत्री श्री चरणसिंह ने यह तय किया कि जिन जिन स्टेट्स में जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है उन सारी स्टेट्स में चुनाव कराये जायें। राजस्थान भी उन स्टेट्स में था जहां चुनाव होने थे क्योंकि जनता का विश्वास उस वक्त की कांग्रेस सरकार से उठ गया था। चुनाव को रोकने के लिये, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भूतपूर्व सरकार ने बहुत प्रयत्न किये। सुप्रीम कोर्ट में रिट की, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिट को मंजूर करने से इन्कार कर दिया। यह सब राजस्थान की और देश की जनता के सामने है। जो रिट की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा, मैं, अध्यक्ष, महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। जो कांग्रेस ने रिट की वह चुनाव में जनता पार्टी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। इनका यह कहना कि दिल्ली की हुकूमत ने गैर कानूनी तरीके से संविधान को तोड़कर कांग्रेस को हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है.....

श्री मथुरादास माथुर : Question....

श्री मूलचन्द डागा : आपका यह इन्टरप्रिटेशन गलत है।

श्री माणक चंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है या गलत, मैं, समझता हूं, संविधान में लिखा है कि लॉ सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह ले डाउन किया कि राजस्थान की रिट पिटीशन खारिज की जाती है क्योंकि इसमें कोई कानूनी तथ्य नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : फैसला गलत नहीं कहा। आप जो इन्टरप्रिटेशन दे रहे हैं वह गलत है। आप पढ़िये उस फैसले को।

श्री माणक चन्द सुराणा : गांवों से आने वाले माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं। आपके लोगों ने गांव गांव में प्रचार किया कि जो कुछ दिल्ली की सरकार कर रही है वह गलत कर रही है। गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट दखल अन्दाजी करती, चुनाव नहीं करवाती। क्यों रिट आप की खारिज हो गई, यह आपसे नहीं सहा गया। मैं कह रहा हूं, मैं समझता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर देखने का दृष्टिकोण आपका गलत हो सकता है। मैं समझता हूं आपकी रिट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। हम लोगों ने गांव गांव में कहा जो कुछ दिल्ली की सरकार कर रही है, कानून के आधार पर कर रही है....

श्री मूलचन्द डागा : आपने तो जनता को धोखा दिया है ...

एक माननीय सदस्य : यार, कानों में रूई डाल कर आया करो। बैठो तो सही थोड़ी देर।

श्री अध्यक्ष : शान्ति रखें।

श्री माणक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, चुनाव हुये और राजस्थान में जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ। 30 साल तक सत्ता रूढ़ दल में जो माननीय सदस्य बैठे थे उनमें से उनकी पार्टी के 41 सदस्य आज विरोधी पक्ष को सुशोभित कर रहे हैं और विरोधी पक्ष के नेता के रूप में श्री परसराम जी मदेरणा भी आज यहां बैठे हैं,

Page No 39

(39)

(श्री माणक चन्द सुराणा)
अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र की परम्परा है कि विरोधी दल को सर्वाधिक सम्मान दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल का सम्मान और उनकी गरिमा को बढ़ाना हां पक्ष का काम होना चाहिए। इसलिये मैं माननीय सदस्य परसराम जी मदेरणा, जो विरोधी दल के नेता चुने गये हैं, को बधाई देना चाहता हूं और दिल से दुआ करूंगा कि वे जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं वे आने वाले 20 साल तक मुतवातिर उसको सुशोभित करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे—यह मेरा मानना है।

श्री खेतसिंह : यह फैसला तो जनता करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्ति रखें।

श्री माणक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल 10—20 साल की ही बात कही है। मैंने अधिक नहीं कही। 10-20 साल बड़े फ्लेक्सिबल हैं। हम जनता पार्टी में हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी तो अल्पमत में आई लेकिन हमारे घटक और अलग अलग पार्टियां तो हिन्दुस्तान के नक्शे से साफ हो गई। अब आपके सामने एक पार्टी है वह है जनता पार्टी।

श्री मूलचन्द डागा : बाहर से एक है और अन्दर से अलग अलग।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह आपका ख्याल है और यह आपकी कामना है लेकिन आज जनसंघ नहीं है, आज समाजवादी भी नहीं है, आज बी. एल. डी. नहीं है और आज स्वतन्त्र पार्टी भी नहीं है। आज हम चारों पार्टियों का विलय जनता पार्टी में है और घटक के रूप में आज कोई चीज नहीं है। आज हमें कांग्रेस को फेस करना है। आपके नेता यशवन्तराव चव्हाण तो केवल जनता पार्टी को बदनाम करने के लिये कहते है कि जनता पार्टी कुछ नहीं है बल्कि जनसंघ है लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो जनसंघी जनता पार्टी में शामिल हैं व देश में समाजवाद का संकल्प लिये हुए हैं। क्या उन लोगों पर कोई भी आक्षेप समाजवादी होने के नाते करने की हिम्मत कर सकता है? यह बात अलग है कि आपकी पुरानी आदत··

श्री खेतसिंह : वर्षों तक तो आप ही यह काम किया करते थे··

श्री माणकचन्द सुराणा : वह पुरानी आदत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो मैं केवल ईश्वर से दुआ करूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा··

श्री मथुरादास माथुर : आपने अभी कहा हमारे घटक तो अलग अलग नहीं हैं और आप चव्हाण साहब का जिक्र कर रहे थे तो आप जगजीवन रामजी का क्यों नहीं कर रहे हैं? Have you seen the statement of Babu Jagjivan Ram about the Janta Party.

श्री माणकचन्द सुराणा : बाबू जगजीवन रामजी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे आप में आने वाले नहीं हैं, आप यह विश्वास रखिये। आप बाबू जगजीवन रामजी की बात कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यहां अभी यह सन्दर्भ नहीं है लेकिन जब इन चुनावों के

(श्री माणक चन्द सुराणा)

नतीजे के बाद जगजीवनरामजी श्रीमती इन्दिरा से मिलने गये तब श्रीमती इन्दिरा ने कहा, बाबूजी आपके जाने के बाद... तो जगजीवन रामजी ने कहा कि इसका जिक्र नहीं करें। इन्दिरा कांग्रेस का भण्डा फूट गया और देश में जनता पार्टी का शासन कायम हो गया। तो इस जनता पार्टी का शासन कायम करने में जो ऐतिहासिक रोल बाबू जगजीवन रामजी ने किया है वह ऐतिहासिक रोल इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। बाबू जगजीवन रामजी ने पिछड़ी जाति, हरिजनों और आदिवासियों को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बदले हुए जमाने की ओर माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य ध्यान दें। साथ ही मैं विरोधी पक्ष के नेता का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कई भूतपूर्व मंत्री चुनाव में हारे है–हीरालाल देवपुरा चुनाव हारे हैं, शक्तावत जी चुनाव हारे हैं, आज चन्दनमल जी बैद भी इस सदन में नहीं हैं–मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ भूतपूर्व मंत्री इस सदन में आये भी हैं। परसरामजी मदेरणा चुनाव जीत कर आये हैं, खेतसिंहजी आये हैं, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी आये हैं। ये सब इस विधान सभा में हैं और इन्होंने कन्स्ट्रक्टिव अपोजीशन की बात पहले ही दिन, जिस दिन शपथ ग्रहण हुई थी, इस विधान सभा में कही थी। हमको इससे प्रसन्नता हुई और यह निश्चित हुआ कि विपक्षी दल रचनात्मक आलोचना करेगा। किसी भी आलोचना को मेलाफाइड कहना गलत है और मेलाफाइड मानना तो उससे भी अधिक गलत है। विरोधी पक्ष द्वारा की गई समस्त आलोचनाओं को जनता पार्टी मेरिट पर जज करेगी। लेकिन आपने कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाये, इमर्जेन्सी में भारतीय संविधान को तोड़कर और 42वें संशोधन को पारित करके जिन्होंने भारतीय संविधान को पंगु कर दिया था उन्होंने आर्टिकल 319 (बी) की दुहाई देकर यह बताने का प्रयत्न किया कि राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के विपरीत है। आप धारा 319 (बी) (डी) को भी पढ़ें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे लायक दोस्त संविधान की दूसरी धाराओं को देखें, खास तौर से आर्टिकल 16, आर्टिकल 154 का गौर फर्मायें तो उनका यह भ्रम दूर हो जायगा कि राज्यपाल महोदय, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के तहत कोई आफिस होल्ड करते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय गवर्नमेंट आफ इण्डिया के नौकर नहीं हैं, न वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया के तहत हैं, न वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया के नीचे किसी पद को होल्ड करते हैं यह बात संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 154 यह कहता है कि गवर्नर में एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट करती हैं और वह एग्जीक्यूटिव का हैड है। अध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 154 को मेरे लायक दोस्तों की जानकारी के लिए पढ़ूंगा :

> "The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution."

अध्यक्ष महोदय, जिनमें एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट करती हैं और एग्जीक्यूटिव

(श्री माणकचन्द सुराणा)

पावर्स जिन गवर्नर्स में वेस्ट की गई हैं वह आर्टिकल 154 के तहत हैं। वह किसी एम्प्लायमेंट में नहीं कहे जा सकते हैं, किसी नौकरी में नहीं कहे जा सकते हैं। यह सब आर्टिकल 154 के द्वारा वेस्ट की गई हैं। मैं माननीय दोस्तों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या आप यह कहने को तैयार हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटायर्ड चेयरमैन हिन्दुस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकता, हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता? हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए सारी काम्पीटेन्सी है। सारे संविधान को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटायर्ड चेयरमैन या मेम्बर को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की छूट है। जब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं

श्री मथुरादास माथुर : चीफ जस्टिस भी लड़ सकता है।

श्री माणकचन्द सुराणा : जब आप यह मानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई इन्काम्पीटेंसी नहीं है तो गवर्नर की नियुक्ति में भी कोई इन-काम्पीटेंसी नहीं है आर्टिकल 154 के तहत। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 16 के तहत मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे एम्पलायमेंट और अपाइन्टमेंट हैं। There is difference between the two. एम्पलायमेंट और अपाइन्टमेंट दोनों में फर्क है। एम्पलायमेंट का मतलब नौकरी का पद होता है। अपोइन्टमेंट का मतलब नियुक्ति है। इस नियम के तहत गवर्नर के पद के लिए नियुक्ति होगी, अपोइन्टमेंट होगा। इसमें कोई एम्पलायमेंट नहीं होगा। इसलिए आर्टिकल 16 में फर्क है एम्पलायमेंट और अपोइन्टमेंट में, मैं इस बात की ओर भी विरोधी दल के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं संविधान की तीन अन्य धाराओं की ओर भी मेरे लायक दोस्तों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि वे इस प्रश्न पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार करें। आर्टिकल 168 का खण्ड (1), आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 और इसके साथ ही 213 को मेरे माननीय दोस्त जब पढ़ेंगे तो उनमें यह तथ्य भी पायेंगे कि गवर्नर को सिर्फ एक्जीक्यूटिव पावर ही नहीं है बल्कि गवर्नर लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। अध्यक्ष महोदय, धारा 168 में यह बिल्कुल साफ है:

"(1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor and—

(a) in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnatak and Uttar Pradesh, two Houses,

(b) in other States, one House."

जो गवर्नर महोदय लेजिस्लेशन के पार्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनके बिना लेजिस्लेचर कम्पलीट नहीं है, लेजिस्लेचर के एक पार्ट के लिए मेरे माननीय दोस्त कहते हैं कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का आफिस होल्ड कर

(श्री माणकचन्द सुराणा)
रहे हैं। अगर गवर्नर गवर्नमेंट आफ इंडिया का आफिस होल्ड करेंगे तो इस लेजिस्लेचर का पार्ट क्यों होंगे ? मैं निवेदन करूंगा कि लेजिस्लेचर का पार्ट कोई गवर्नमेंट आफ इंडिया का नौकर नहीं हो सकता और कोई अधीनस्थ आदमी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर के साथ इस संविधान में जो गवर्नर की पोस्ट क्रियेट की है वह लेजिस्लेचर का पार्ट है, उसकी नियुक्ति प्रेसीडेंट करता है, गवर्नमेंट आफ इंडिया नहीं करता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के तहत कोई गवर्नर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें डेफिनेशन दी हुई है। आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, वह पढ़ लीजिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करूंगा कि सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है, सर्विसेज कई तरह की हैं- कम्युनिकेशन सर्विस है, डिफेंस सर्विस है, दूसरी तरह की सर्विसेज हैं लेकिन इसमें गवर्नर की सर्विसेज शामिल नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनका कहना है कि राज्यपाल महोदय की नियुक्ति गैर कानूनी है वह सिर्फ इस बात को उछालने के लिए है ताकि लोगों को लगे कि जनता सरकार ने संविधान का भंग करके कुछ लोगों को राज्यपाल के पद पर नियुक्तियां कर दी हैं। मैंने संविधान की जिन धाराओं का जिक्र किया है, अध्यक्ष महोदय, इन सब धाराओं का एक साथ पारायण करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आरोप निराधार है और इस आरोप का कोई कानूनी आधार नहीं है। राजनैतिक उपयोग इसका हो सकता है आपके लिए लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, संवैधानिक जस्टीफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी जो दिशा जनता पार्टी निर्धारित कर रही है कामों को उनसे सिर्फ जनता का ध्यान बंटाने के लिए एक आरोप लगा दिया। यह आरोप भी उस वक्त लगाया गया जब कि राज्यपाल महोदय इस विधान सभा में भाषण देने के लिए, अभिभाषण देने के लिए आए हुए थे। मैं याद दिलाना चाहूंगा मेरे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को कि यह सन् 1966 की बात है जब कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द यहां आए थे राज्यपाल पद से अभिभाषण करने के लिए तो हम लोग विरोधी पक्ष में बैठे हुए थे। माननीय उमरावसिंह जी ढाबरिया, मैं, भाई भैरोंसिंह जी शेखावत, माननीय सतीशचन्द्रजी अग्रवाल और अनेकानेक दूसरे माननीय सदस्य उस वक्त थे, हमने पोइन्ट आफ आर्डर उठाया था, अध्यक्ष महोदय, तब हमारे साथ क्या बर्ताव किया था। उस बात को भूल गए कि उस वक्त आपकी सरकार ने क्या निर्णय किया था ? उस समय कहा गया था कि कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता। राज्यपाल महोदय के सामने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उस वक्त अध्यक्ष महोदय, आप भी विरोधी पक्ष के माननीय नेता थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। अपनी स्वयं की परम्पराओं को ही भूल कर, विरोधी दल में आते ही, आपने जो बीस वर्षों में सबक सीखा था, उसको भुला दिया,

Page No 43

(43)

(श्री माणकचन्द सुराणा)
में पोल में बैठ कर इतने सारे सालों में जो बातें सीखीं उन सारी बातों को विपक्ष में जाते ही आप एकदम भूल गये और उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं रखना चाहते।

(व्यवधान)

आप भी वही काम करना चाहते हैं, वही परम्पराएं निभाना चाहते हैं जिस प्रकार से जो परम्परायें शायद हम लोगों ने निभाईं। आप केवल नकल करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन परम्पराओं को यदि डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपने अनुसरण किया तो निश्चित रूप से बहुत शानदार होगा। लेकिन आपने विरोधी पक्ष में जाते ही जिस प्रकार का व्यवहार किया, राज्यपाल महोदय के समक्ष जिस प्रकार का व्यवहार किया, उसके बावजूद जनता पार्टी इतनी उदार है कि उस व्यवहार को भूल कर, जो आपने राज्यपाल महोदय के साथ व्यवहार किया उसे····

श्री मथुरादास माथुर : हम चले गए थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो उठ कर चले गये थे, आप निसर्ग थे जो बैठे रहे।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप खेतसिंह जी बाहर चले गये थे। विधान सभा से बाहर रहा ही नहीं गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता था कि कम से कम हम लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था, व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर जिस प्रकार एक कलम से सबको बाहर निकाल दिया गया था उसी तरह से कम से कम सप्ताह के लिये तो इन माननीय सदस्यों को सदन से बाहर निकाला जाता तो ठीक होता। पर यह तो विधि मंत्री के, पूरी जनता पार्टी के विधायकों के और सदन के सोचने का प्रश्न है मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता····

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आपके विचाराधीन है।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं इस पर अधिक नहीं कहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मथुरादास जी माथुर ने यह सवाल उठाया था और जिसका माननीय परसराम मदेरणा ने समर्थन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह मानते हैं कि यह विधान सभा यह तय करने का फोरम है कि राज्यपाल की नियुक्ति गैर कानूनी है या असंवैधानिक है? यदि यह विधान सभा इस प्रश्न को तय नहीं कर सकती तो जिस विधान सभा को राज्यपाल ने खुद ने आहूत किया है, जिसके आमन्त्रण पर हम यहां आए हैं क्या हम उनकी नियुक्ति के जस्टीफिकेशन पर चर्चा कर सकते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जब आप इस पोइन्ट को मानते हैं कि यह हाउस में तय नहीं हो सकता तो आप इतनी दलील क्यों दे रहे हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा : इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो कि इस प्रश्न को कांग्रेस के द्वारा हाउस में उठाना कहां तक उचित था, इसलिये विश्लेषण कर रहा हूं।

(श्री माणकचन्द सुराणा)

अध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है, हाई कोर्ट तय कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। देश का कोई भी नागरिक इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता है, आप काम्पीटेंट जज से जजमेंट ले सकते हैं। हमारी सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपकी सरकार की तरह बन्द नहीं किये हैं। वह दरवाजे खुले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी ने देश में आपातकालीन स्थिति लागू करके सबसे बड़ा काम किया वह यह था कि न्याय के दरवाजे लोगों के लिए बन्द कर दिए और जेल के दरवाजे लोगों के लिये खोल दिए। लोगों को जेल भेज दिया और न्याय के दरवाजे होते हुए भी न्याय के दरवाजे बन्द कर दिए। अब तो युग परिवर्तन हो चुका है। न्याय के दरवाजे खुले हैं। आप महसूस करते हैं कि राज्यपाल महोदय की नियुक्ति गैर कानूनी है तो आप काम्पीटेंट कोर्ट से जजमेंट ले लीजिए। हमारी सरकार इसके लिए पूरी पैरवी करेगी कि राज्यपाल महोदय की नियुक्ति संवैधानिक है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रश्न पर अर्ज करने के बाद में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज तीस साल की कांग्रेस सरकार से विरासत में हमारे माननीय मुख्य मंत्री और जनता सरकार को समस्याओं का अम्बार मिला है। समस्यायें ही ही समस्यायें हैं। अध्यक्ष महोदय, एक भी समस्या तो ऐसी नहीं है जिसे तीस साल में कांग्रेस सरकार ने हल कर दिया हो पीने के पानी की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, यदि यूनिवर्सिटी की समस्या को लें तो वह काम्प्लीकेटेड है, उसमें अधिक से अधिक काम्प्लीकेशन्स हैं। जो पेयजल की समस्या है, वह कुए बनाकर हल हो सकती है। ऐसी किसी समस्या का समाधान राजस्थान की पिछली कांग्रेसी सरकारों ने नहीं किया है। आज पेयजल की समस्या कितनी भयंकर है? जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं, अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के 232 गांवों में से 136 गांवों में खारा पानी पीने के लिए है। यह निर्वाचन क्षेत्र मेरे से पूर्व ऐसे व्यक्ति का था जो उप मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बावजूद 136 गांवों में खारा पानी है। एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर मीठा पानी उपलब्ध हो। तीस साल के शासन में कांग्रेस खारे पानी के स्थान पर इन गांवों को मीठा पानी नहीं पहुंचा पाई है। यह स्थिति है कि 25 करोड़ रुपयों की लिफ्ट कैनाल लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र के बीच में से जाती है लेकिन गांवों के लोगों को मीठे पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया है कांग्रेस शासन में। आज राजस्थान में पेयजल की समस्या सबसे भयंकर है। भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आगामी दस वर्षों में पेयजल की समस्या का समाधान जनता सरकार करेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कुछ भी कहा गया है, उसकी तहेदिल से ताईद की जाये तो भी कम है क्योंकि आज, अध्यक्ष महोदय, यदि देश के नागरिक को पीने का पानी, मीठा पानी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए यह आधुनिक प्रगति, यह वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या मायने रखती हैं? मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आइडो-

(श्री माणकचन्द सुराणा)

प्रोविकल अवेदयन से अपार्ट; तर्क-वितर्क से अलग रह कर राज्य सरकार को चाहिए कि प्रत्येक जिले में पेयजल की समस्या का समुचित प्रबन्ध करे। प्रत्येक गांव की पेयजल की समस्या का समुचित हल हो, कोई कसर बाकी न रखी जावे। अध्यक्ष महोदय, समस्या तो बहुत बड़ी है। आज कम से कम 400 करोड़ रुपया पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए चाहिए। यदि जनता सरकार आगामी 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपया खर्च करे तो भी समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। कांग्रेस सरकार ने 30 साल के शासन में 30, 25 पर्सेन्ट भी समस्या का समाधान किया हो, यह मुश्किल लगता है। उसके बावजूद मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता सरकार ने जो यह इरादा इंगित किया है, 'राज्य जल निगम' बनाने का, वह निगम तत्काल बनाया जाये और जिस तरह उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रान्तों ने 40 और 60 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से पेयजल की समस्या के लिए लिया है, उसी तरह से हमारे यहां भी जल निगम की तत्काल स्थापना करके कम से कम 100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से लेकर यहां की पेयजल की समस्या का समाधान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान का जो भू-खंड है वह देश का 1/10 हिस्सा है और राजस्थान में वर्षा का जितना पानी उपलब्ध है, वह केवल एक पर्सेन्ट ही है। इसलिए राजस्थान को सिंचाई के साधनों के लिए इर्द-गिर्द के प्रान्तों से पानी लेना पड़ता है। राजस्थान को उबरा करना होगा। पंजाब और हरियाणा में नदियां बहती हैं। इन नदियों का पानी राजस्थान कैनाल, चम्बल कैनाल में आ रहा है। इसी तरह से राजस्थान को अपनी भूमि की सिंचाई के लिए बहुत दूर दृष्टि से योजना बनानी होगी। ऐसा न हो कि हमारी सिंचाई योजनाओं में देरी हो और जिन प्रान्तों को हमारे प्रान्त का पानी बह कर जाता है, मसलन हमारा पानी गुजरात में जाता है, दस-बीस साल बाद यदि आप योजना बनावें तो वे कहेंगे आपने 20 साल तक पानी का यूटिलाइजेशन नहीं किया। उन्होंने वहां पर बांध बना लिये हैं इसलिए आप पानी को रोकने के लिए बांध नहीं बना सकते हैं। इस तरह की स्थिति आज भी कांग्रेस सरकार की गलतियों के कारण राजस्थान के सिंचाई विभाग में हैं। इस तरह का खतरा है। हमारे पड़ोसी प्रान्त इस तर्क का सहारा ले सकते हैं। यह स्थिति जो कांग्रेस शासन द्वारा पैदा हुई है, जनता सरकार को उस समस्या को हल करना है ताकि राजस्थान में अन्न का उत्पादन तीन गुना हो सके। इस आब्जेक्टिव के साथ, इस संदर्भ में जनता सरकार को काम करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अन्तर्राज्यीय प्रान्तों की भी सिंचाई की समस्या है। उनकी तरफ भी हमारी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। कई कैनाल्स के हैड क्वार्टर्स पंजाब में, हरियाणा में और दूसरी स्टेट्स में हैं जहां की नहरों का पानी हम ले रहे हैं। पंजाब एक्ट में साफ है कि ऐसी नहरों के लिए ज्वाइन्ट कन्ट्रोल होगा। जहां से राजस्थान भी पानी ले रहा है, पिछले 30 सालों में इस स्टेच्युटरी प्राविजन के बावजूद कांग्रेस शासन ज्वाइन्ट कन्ट्रोल कायम नहीं कर पाया। मैं

(श्री माणकचन्द सुराणा)

नये मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपलब्धि अब आपको करनी है और आपकी सरकार को राजस्थान में वह उपलब्धि करनी है जिससे राजस्थान की नहरें सुरक्षित रह सकें और यहां के किसानों को प्रापर टाइम पर पानी मिल सके। यदि हमारे लिए दो लाख एकड़ के लिए पानी निर्धारित है और पचास हजार एकड़ के लिए पानी आयेगा तो मैं यह निवेदन करूंगा कि डेढ़ लाख एकड़ के लिए जो पानी बाद में आयेगा, उसका उपयोग नहीं हो पायेगा। इसलिए जनता सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो और हमारा जो हिस्सा है वह पूरा मिले। साथ ही सिंचाई के वक्त पानी मिले और सिंचाई के मौसम के बाद भी पानी बराबर मिलता रहे। यदि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो जनता सरकार को इस बात पर पूरी तवज्जह देनी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकाधिक किसान वर्ग को फायदा पहुंचाने, उनके खेतों में पूरा पानी पहुंचाने का जनता सरकार का ही फर्ज नहीं है, यह आम जनता की आकांक्षा है, आशा है। इस आशा का यह मतलब नहीं है कि हम पर्टीक्यूलर एरियाज में 110 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी आफ वाटर दे दें और दूसरे एरियाज को पानी न दें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्टेन्सिटी आफ वाटर 110 पर्सेन्ट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इन्टेन्सिटी आफ वाटर 60 पर्सेन्ट रखी जाये। 110 पर्सेन्ट की इन्टेन्सिटी पर 1 बीघा को पानी मिलेगा वहीं पर 60 पर्सेन्ट की इन्टेन्सिटी पर दो बीघा को मिलेगा। एक काश्तकार के बजाय दो काश्तकारों के खेतों को पानी जायगा। देश का उत्पादन बढ़ेगा। इन्टेन्सिटी आफ वाटर विशेष काश्तकारों के खेतों को पानी देने के लिए नहीं बढ़ाई जाये बल्कि इसका फैलाव किया जाये ताकि अधिकाधिक क्षेत्रों में पानी पहुंच सकें और अधिकाधिक काश्तकारों को फायदा मिल सके। इन सब बातों की तरफ हमारी जनता सरकार को तवज्जह देनी है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजस्थान कैनाल का सवाल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह छठे प्लान के आखिर में जाकर पूरी होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर राजस्थान में 30 लाख बीघा जमीन और सिंचित होगी और 2 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ेगा राजस्थान का। अध्यक्ष महोदय, 2 मिलियन टन यानि 20 लाख टन, 20 लाख टन यानि 200 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन प्रत्येक वर्ष राजस्थान में होगा।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को इन मसलों पर नये तरीके से सोचना है। नये तरीके से सोचकर इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। राजस्थान की ढाई करोड़ पापुलेशन की 80% आमदनी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से नये दृष्टिकोण से जनता सरकार को देखना है। अगर पुराने चौखटे में ही जनता सरकार ने देखा तो जनता की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होंगी। कांग्रेस का पतन इसीलिए हुआ कि जनता की आकांक्षाएं और थीं और सरकार का चिन्तन और था। आज जनता सरकार के प्रति जो व्यू है जो झोपड़ों में रहते हैं उनका व्यू है कि जनता सरकार हमारे लिए समृद्धि लायेगी। वह ऐसी समृद्धि

(श्री माणकचन्द सुराणा)

जायेगी कि झोपड़े की जगह पक्के मकान बन सकेंगे। जनता सरकार उनके गांवों में पानी लायेगी। भागीरथ का काम करेगी। सिंचाई के लिए उसे साधन उपलब्ध होंगे। जनता सरकार उनके खेतों तक पानी लायेगी बड़े साधनों के द्वारा तो यह सारा सम्भव नहीं है लेकिन छोटी सिंचाई योजनाओं से यह सम्भव है। इसी प्रकार से जो दूसरे इलाके हैं, जहां पर कुओं के द्वारा सिंचाई हो सकती है, रहा कुए बनवाने का काम करना है। मेजर योजनाओं को अब तक आप महत्व देते आए हैं। यह नहीं हो सकता कि कुआ तो काश्तकार अपने खर्चे से बनवाये, और आप उससे भी चाही का लगान वसूल करें जैसे कि कांग्रेस सरकार वसूल करती थी। इस प्रकार से उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। काश्तकार ने 10 हजार रुपया लगा कर कुआ बनवाया है लेकिन चाही का लगान आप उससे वसूल करते हैं जब कि सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है। इस प्रकार से लगान लेने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार से इन सारे लोन्स को, जो अभी तक दिए हैं, माफ किया जाये, रेवेन्यू लोज में परिवर्तन करके जैसा कि संकेत दिया था।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि गढे गढ़ाये चौखटे में समस्या का समाधान नहीं है। जो योजना बोर्ड के नाम से बिल्डिंग बनाई है, प्लानिंग का आफिस किया इसकी खूब चर्चा है। बजट 600 करोड़ का हो गया है। 600 करोड़ रुपये खजाना का बजट है उसका उपयोग कैसे किया जाए। वहां यह समस्या है। यह समस्या नहीं है कि टैक्स कैसे लगेगा। आज समस्या यह है कि समूचे राजस्थान को लाभ कैसे मिले। इसके लिए एक योजना कमीशन, एक क्षेत्रीय प्लानिंग बोर्ड की आवश्यकता होगी। एक परमानेन्ट बोर्ड राजस्थान में बने। कांग्रेस की, जो अब विरोधी पक्ष है, यह जिम्मेदारी है कि उसने योजना बोर्ड को जयपुर में ही रखा। पंचायत समिति के स्तर पर नहीं ले जाने दिया। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति के स्तर पर जब यह जायगा तो उसका नक्शा ही बदल जायेगा। पंचायत समिति के लोग कुछ चाहते हैं और जयपुर में बैठकर आप कुछ सोचते हैं। पंचायत समिति के लोग कुछ और सोचते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि योजना की दिशा पंचायत समिति के लोगों के द्वारा निर्देशित की जानी चाहिए। टेक्निकल काम टेक्निशियन्स के द्वारा होना चाहिए। तो, अध्यक्ष महोदय, इस योजना को दिल्ली से और जयपुर से हटाकर जिला हैडक्वार्टर पर और जिला हैडक्वार्टर से पंचायत स्तर पर ले जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर भी साथ हों। इलेक्टेड एम.एल.ए. भी साथ हों। इस प्रकार की तकनीकी कमेटी कायम की जानी चाहिए। इस प्रकार से इसको पंचायत स्तर तक ले जाना चाहिए। लोकतन्त्र नीचे से चलता है, लेकिन इन्दिराजी का लोकतन्त्र ऊपर से चलता था इसलिए उसका पतन हो गया है। ऊपर से योजना बनायेंगे तो समृद्धि कायम नहीं रहेगी। इसके लिए नये तरीके से धन जुटाना होगा। कांग्रेस सरकार कहती थी कि हमारे पास 200 करोड़ रुपया नहीं है। मैं कहता हूं, रुपया नहीं है–रुपया नहीं है, यह कहना छोड़ना पड़ेगा। जब जनता हमारे साथ है तो हमारे मांगने पर वह रुपया भी देगी।

(श्री माणकचन्द सुराणा)

अध्यक्ष महोदय, जितना भी धन चाहे लें। देश का धन है लेकिन उस धन को योजनाबद्ध तरीके से लगाना सरकार का काम है। सरकार को यह कहना छोड़ना पड़ेगा कि रुपया नहीं है। देश को योजनाओं के लिए रुपया जुटाना पड़ेगा। 30 लाख एकड़ में राजस्थान नहर को लायें और राजस्थान सरकार रुपया मांगे तो 200 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के निवासी देंगे। जनता विधायक उनके साथ हैं। वह आन्दोलन करेंगे कि लोग दस साल के लिए सरकार को लोन दें। अध्यक्ष महोदय, यह तभी हो सकता है जब कि योजना को हम पंचायत स्तर तक ले जायें।

इसके साथ-साथ स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, उनमें भी मूलभूत परिवर्तन करना होगा। आज उनकी प्रशासनिक स्थिति खराब है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर नगर परिषद् के पास 50 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट है। जयपुर सड़ रहा है लेकिन नगर परिषद् के पास 50 लाख रुपये का फिक्स डिपोजिट है क्यों नहीं तत्काल जयपुर शहर की सफाई के काम को हाथ में लेते। हमें नये तरीके से सोचना है। आज टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पुराने टैक्स ही ठीक ढंग से वसूल करने की जरूरत है।

मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथी और भी बोलने वाले हैं। आपने साढ़े ग्यारह घण्टे तय किये हैं, जनता पार्टी के।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक जनता सरकार बनने से क्रान्ति का एक फेज पूरा हो गया है और वह फेज यह है कि देश में लोकतन्त्र कायम हुआ, जो सैकिण्ड फेज है, जो द्वितीय फेज है उस फेज को पूरा करने का काम अब शुरू हुआ है। अभी जनता सरकारें बनी ही हैं, तीन सप्ताह भी नहीं हुए हैं, गरीबों के उत्थान के लिये अगुवाई करनी है, उस अगुवाई में किसानों को, मजदूरों को और गरीब वर्ग को आगे रखकर हमारी पार्टी और सरकार एक क्रान्ति की अगुवाई करेगी, तभी सच्चे मायने में लोकतन्त्र कायम होगा और समृद्धि कायम होगी। जनता सरकार समृद्धि तो लाना चाहती ही है, लेकिन समृद्धि के साथ साथ समता भी लाना चाहती है। यही हमारा उद्देश्य है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार को सारे पुराने चौखटों से निकलकर नये सोल्यूशन, नये समाधान ढूंढने होंगे और जो पुरानी बात है, अर्थाभाव की उससे भी मुक्ति दिलानी होगी। जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं वह भी यह समझें कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय अत्यन्त ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ जो मूल समस्याएं दूसरी हैं, मेरे दूसरे साथी उन पर प्रकाश डालेंगे। सिर्फ एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हाउसिंग की समस्या है, आवास की समस्या है, अध्यक्ष महोदय, इस पर भी नये दृष्टिकोण से राज्य सरकार को काम करना चाहिए। आज 80 हजार के मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है, पचास हजार के मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज जनता को आप दो कमरों का मकान

(श्री माणकचन्द सुराणा)

दीजिये, आप दस हजार में दो कमरों का मकान दे सकते हैं बजाय इसके कि आप पचास हजार के फण्ड का उपयोग करके एक मकान बनावें, आप पांच मकान बना सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जितने भी कार्पोरेशन्स हैं, उनमें जितने भी फण्ड्स हैं, उससे अधिक से अधिक लोगों का भला किस प्रकार से हो सकता है, एक एक लाख के मकान बनाना जरूरी है या दस हजार के दस मकान बनाना अधिक जरूरी है, यह देखना है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए पहले मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए और जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बाद में लेनी चाहिये। गरीब आदमी की आवास की समस्या का समाधान पहले करना चाहिए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के प्रति अत्यन्त आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने अपना भाषण देकर अनुगृहीत किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री माणकचन्द जी सुराणा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस देश में बहुत पहले जब राजाशाही पूर्ण रूप से कायम नहीं हुई थी, गणराज्य काम करते थे, पंचायतें थीं, पंचायतों का अपना विशिष्ट स्थान था। वह परम्परा देश के अन्दर पंच-परमेश्वर के नाम से चली आ रही थी। किन्हीं कारणों से या इतिहास के चक्र के घुमाव से इस देश में राजाशाही कायम हुई, अलग अलग छोटे-छोटे राज्य कायम हुए, समय के अनुसार परिवर्तन होता गया और अन्त में आकर विदेशी सत्ता हम लोगों के ऊपर हावी हो गई। डेढ़ सौ वर्षों तक अंग्रेजों का शासन चला। डेढ़ सौ वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को नष्ट किया, इस देश के उद्योग धन्धों को नष्ट किया और हमारी इकोनॉमी को समाप्त किया। एक समय था, अध्यक्ष महोदय, कृषि के अन्दर केवल 44 प्रतिशत लोग लगे हुए थे और शेष 56 प्रतिशत लोग उद्योग धन्धों के अन्दर लगे हुए थे। लेकिन यह अंग्रेजों की महिमा थी, अंग्रेजों की माया थी, उनका करिश्मा था कि अपने उद्योग धन्धों को पनपाने के लिए उन्होंने इस देश के उद्योग धन्धों को समाप्त कर दिया। इस कारण जमीन पर आश्रित लोगों का प्रतिशत बढ़ते-बढ़ते यह हालत हो गई कि अस्सी प्रतिशत लोग जमीन पर आश्रित हो गये। डेढ़ सौ वर्षों का शासन समाप्त हो गया, सब लोगों ने संघर्ष किया, और कांग्रेस के माध्यम से यह देश स्वतन्त्र हुआ। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की जो अन्तिम इच्छा थी, उसको आप और हम सभी लोग जानते हैं, वह पक्ष भी जानता है और हम भी जानते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण की अन्तिम इच्छा थी, उनके मरने के पूर्व यादव वंश को समाप्त कर देना चाहिए जिससे कि उनके नाम का दुरुपयोग करके इस देश के अन्दर अत्याचार न हो, इसी प्रकार से महात्मा गांधी को कांग्रेस के सत्ता में आने के चार-पांच माह के अन्दर अनुभव हुआ कि यह कांग्रेस पुराने पुण्यों की कमाई के ऊपर अनर्थ करने वाली है इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाय और इसको लोकदल के अन्दर परिवर्तित कर

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

दिया जाय। लेकिन स्वार्थी लोगों ने सत्ता में बैठे रहने से गांधीजी की इच्छा का तिरस्कार किया ? उस काम को श्री जय प्रकाशनारायण ने संघर्ष करके पूरा किया और कांग्रेस शासन को समाप्त किया। आज कांग्रेस विरोधी पक्ष में बैठी है। मैं यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, तीस वर्षों के अन्दर कांग्रेस ने क्या किया ? क्या उन वायदों और उन कार्यक्रमों की कांग्रेस सरकार ने पूर्ति की जिनके नाम पर और स्वतन्त्रता के लिए लोगों को जेलों में जाना पड़ा, त्याग और तपस्या करनी पड़ी ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय दुर्भाग्यवश एक राजाशाही खत्म हुई, अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, परन्तु इस देश के अन्दर किन्हीं कारणों से एक विशेष कुटुम्बी शासन की स्थापना हुई। नेहरूजी ने अठारह वर्षों तक शासन किया, उसके बाद लालबहादुर शास्त्री ने डेढ़ साल तक शासन किया और इसके बाद इन्दिरा गांधी वहां पर बैठीं। उनके मानस का अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसका चिन्तन करने की आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा इस देश के अन्दर तानाशाही का प्रमाण है। तानाशाही का ताना-बाना बुना गया, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बरन् यह शुरू से ही चिन्तन रहा है, आरम्भ से ही रहा है। ग्यारह वर्षों के शासन में उनका जो प्रयास रहा है उसके आधार पर इसका चिन्तन करेंगे तो आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि श्रीमती गांधी इस विचार को संजोये हुए थी कि तानाशाही लानी है, राजाशाही और कुटुम्बशाही कायम करनी है। मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा थीं तब उन्होंने एक फतवा दिया था देश को कि उनके बाप की महरबानी थी कि उन्होंने चुनाव करवाये। उस समय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसे treasonable act of Mrs. Gandhi डिस्काइब किया। यह सिचुएशन थी कि जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी गद्दी पर बैठीं वैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को संजोना शुरू किया। 1971 के चुनावों के अन्दर गरीबी हटाओ का नारा देकर देश की जनता को गुमराह करके शासन किया। उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को, देश की सभी जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करना शुरू किया। हमारे कुछ माननीय सदस्य, जो उधर विपक्ष में बैठे हैं, माननीय मूलचन्द डागा, वह लोक सभा के सदस्य रहे है, इस समय यहां नहीं हैं। वह जानते हैं, किस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सिस्टेमेटीकली संसद के दोनों सदन लोक सभा व राज्य सभा की गरिमा को समाप्त करने, उनकी ताकत को समाप्त करने की योजना बनाई और उसको कार्य रूप में परिणित करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि आपातकाल के दौरान इस सदन ने क्या किया ? राज्य सभा और लोक सभा ने क्या किया ? मुझे हैरानी होती है इस बात को देखकर कि इस सदन में बैठकर लोगों ने इस सदन का स्वयं अपमान किया, संविधान का अपमान किया। माननीय सदस्यों को अपने अधिकारों से वंचित किया गया। प्रश्नकाल समाप्त किया गया। सदन की कार्यवाही का प्रेस पब्लिकेशन समाप्त किया गया। इस सदन को पंगु बना दिया गया। उस समय जो अध्यक्ष

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

पद पर विराजमान लोग थे उन्होंने फिर भी सही फतवा देकर न मालूम इस सदन की कितनी बड़ी सेवा की। मैं अपने सम्माननीय नेता मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में चुगली चापलूसी की बड़ी परम्परा रही है, अधिकारी चुगली व चापलूसी से चलते आ रहे हैं और उसके कारण जो यथार्थ है, उससे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। एक व्यवस्थित कुचक्र चला और संसदीय संस्थाओं के अधिकारों का हनन किया गया।

आप देखेंगे 1971 के बाद जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को 350 का बहुमत लोक सभा में मिला तब से उन्होंने जो लोक सभा व राज्य सभा के व्यापक कार्य थे उनको समितियों में बांटकर औपचारिकता के नाम पर कार्य चलाना प्रारम्भ कर दिया। आपको मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के कथन मिल जायेंगे जिनमें उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को अनावश्यक बताया, इस तरह संसदीय संस्थाओं पर प्रहार किया।

फिर प्रश्न आता है न्यायपालिका का। आप जानते हैं कि कोई भी जनतांत्रिक पद्धति हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका व लेजिस्लेचर, इन तीनों के अलग अलग स्थान होते हैं। सबसे बड़ी इन्स्टीट्यूशन्स जो जनतंत्र की रक्षा कर सकती हैं वे हैं मास मीडिया-रेडियो, टेलीविजन व प्रेस। क्या नारा दिया श्रीमती गांधी ने? उन्होंने नारा दिया कि देश में कमिटेड जुडिशियरी होनी चाहिए कुमार मंगलम् की थ्योरी के अनुसार। यह सारे का सारा पांच वर्षों में हुआ। सवाल आया हेगड़े को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए या नहीं। उस पर कहा गया कि ऐसे जजेज को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा जो सरकार की फिलोसफी में विश्वास रखते हों। मैं विरोधी दल के माननीय नेता से पूछना चाहता हूं, उनका कांग्रेस दल के साथ पुराना संबंध रहा है, क्या फिलोसफी है आपकी? क्या आपका कार्यक्रम है, क्या नीतियां हैं? क्या आपकी मान्यतायें हैं? वह सत्ता के बाहर आने के बाद कम से कम इस बात से अवगत कराने की कोशिश करें कि कौन से आपके आधार भूत मूल्य हैं जिनके प्रति आप निष्ठावान् रहे हैं? कौनसी कमिटेड जुडिशियरी है? किसके प्रति कमिटेड जुडिशियरी है? सारे देश में एक बवंडर मचा, एक डिबेट चालू हो गई। एक डिबेट चालू हो गई कि कमिटेड जुडिशियरी चाहिए जो देश में सामाजिक परिवर्तन लाने में रोड़ा न बन सके। सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? बताया गया कि प्रापर्टी राइट न रखें लेकिन इस देश को बहुत गुमराह किया गया। कांग्रेस ने काफी कोशिश की। उन्होंने साहस नहीं किया कि संविधान के उस अनुच्छेद में से प्रापर्टी राइट को निकाल दें। वह काम भी अगर किसी ने किया है तो जनता पार्टी ने ही और इस सवाल को उठाया है।

आप कमिटेड जुडिशियरी चाहते हैं ताकि आप मनमानी कर सकें, ताकि इन्दिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका हार जाएं, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि यह फैसला गलत है तो इन्दिरा गांधी डिक्टेट कर सकें। ऐसी जुडिशियरी आप चाहते हैं? देश के एक बहुत बड़े पत्रकार की बात को मैं यहां पढ़ना चाहता हूं जिससे ज्ञात होगा: कि वह किस प्रकार की जुडिशियरी चाहती

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

थीं। यह इन्दिरा गांधी के फैसले के संबंध में है, मेरा उनसे बहुत गहरा संबंध रहा है :

"A member of Parliament from Mrs. Gandhi's home State, Uttar Pradesh, had gone to Allahabad and casually mentioned to Sinha.."

सिन्हा जिन्होंने उसका फैसला किया—

"whether he could do with Rs. five lakhs."

ऐसी जुडीशियरी चाहते थे ? एक हाई कोर्ट जज को प्रधान मंत्री 5 लाख रुपये रिश्वत देना चाहती थीं। ये आपके मूल्य रहे हैं। इस प्रकार को जुडिशियरी आप चाहते थे। आज तक इसका कोई प्रतिवाद नहीं है। यह बात अगर गलत है तो इस हद तक कि जिस समय मुकदमा चल रहा था मैं भी उनसे एसोसिएटेड था, उस समय मेरे कान में यह बात आई थी कि 5 लाख नहीं, एक करोड़ रुपये श्रीमती गांधी की तरफ से जज को देने का प्रस्ताव आया था और सिन्हा साहब ने लेने से इन्कार कर दिया था···

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : ऐसा कौनसा देश है जहां ऐसी किताबें नहीं लिखी जाती हैं। हर देश में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो इस प्रकार की किताबें लिखते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मैं समझ पाया हूं आप कुलदीप नैयर की 'जजमेंट' नामक किताब पढ़ रहे हैं। कभी जस्टिस सिन्हा ने कुछ कहा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जस्टिस सिन्हा ने क्या कहा, मुझ से पूछना चाहते हैं ? आप अगर जानना चाहते हैं कि जस्टिस सिन्हा ने क्या कहा तो बाहर चलिए मैं बता दूंगा। यहां भी बता दूंगा, अवसर आने दीजिए। आपको बहुत सी बातें बताऊंगा जो आपने खुद कही होंगी और हमारे पास आयी होंगी। मैं नहीं कहता कि यह आरोप सही है पर मैं यही कहता हूं कि यह देश को बहुत बड़ी गिरावट है कि ऐसा आरोप भी लग सकता है। एक तरफ देश की प्रधान मंत्री दूसरी तरफ हाई कोर्ट जज। मैं नहीं कहता कि यह आरोप सही है, हो सकता है निराधार हो, गलत हो लेकिन विरोधी दल के नेता महोदय, जब तक पूर्ण रूप से किसी देश के नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होता तब तक ऐसे आरोप लगाने का साहस किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। किस प्रकार की जुडिशियरी चाहती थीं श्रीमती गांधी ? कमिटेड जुडिशियरी So that it may accelerate the process of change उन्होंने एक नारा दिया, जैसा हर फासिस्ट सिस्टम में चलता है, नेता बोलता है और बाकी सब ढोल पीटने लग जाते हैं।

जब जगजीवनराम बाबू त्याग-पत्र देने लगे तो मुख्य मंत्रियों के पास तार गए, "Condemn Jagjivan Ram" आप सबने कहा, पीठ में छुरा भोंका। जुडिशियरी का ह्रास केवल इसलिए हुआ क्योंकि यह सोचा गया कि उसको पंगु बना दिया जाए। परिवर्तन करने के बाद संविधान के माध्यम से एक डिक्टेटरशिप इस देश में कायम कर ली जाए। केवल इस बात के लिए कमिटेड जुडिशियरी का नारा दे दिया और केवल इस बात के लिए पंगु बनाने की

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

घोषणा की। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह चाहे हाई कोर्ट के जजेज के अपाइन्टमेन्ट के सिलसिले में हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेज के ट्रान्सफर्स का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेज के प्रमोशन्स के सिलसिले की कोई बात हो हमारे यहां की जो पिछली सरकार थी वह सारी की सारी यह चाहती थी कि जुडीशियरी कमीटेड हो। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी यह चाहती थीं, जुडिशियरी गवर्नमेन्ट से कमिटेड रहे। इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जुडिशियरी को भी पंगु बना दिया। उन्होंने जुडिशियरी ऐसी बना दी जो कि उनकी हां में हां मिलावे। उसका नतीजा यह हुआ कि इस सदन में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के प्राविन्सेज में ऐसे कानून पास हुए कि जिससे न्याय नाम की कोई चीज नहीं रही। आप जो इस सदन में बैठे हैं उन्हें पता है क्योंकि हम लोग तो जेलों में थे, जिन्होंने भी इन्दिरा गांधी की हां में हां नहीं मिलायी उन्हें जेल में बन्द कर दिया। आप लोग यहां बैठे थे लेकिन जिन लोगों में स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम था वह जेलों में थे। कांग्रेस के जो लोग पहले स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गये थे उनमें से कई लोग जेलों में थे। आप लोग तो स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गये नहीं और गये भी होंगे तो कुछ एक पर आप लोग, जिन्होंने यहां कानून पास किये थे, में से बहुत कम ऐसे थे जो स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गये। आप में से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका संबंध स्वतन्त्रता आन्दोलन से नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी से रहा। आप तो अपनी कुर्सी बनाये रखने में लगे रहे। तो, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का ह्रास इस कांग्रेस सरकार के पिछले तीस सालों में हुआ। इसका असर यह हुआ कि लोगों का नैतिक पतन हो गया। इस प्रकार के कानून बन गये कि जुडिशियरी कमिटेड बन कर रह गयी।

इसके बाद इन्दिरा गांधी चाहती थीं कि सर्विसेज ऐसी हों जो कि कमिटेड हों यानि कि कमिटेड सिविल सर्विस होनी चाहिये। इसके लिये इन्दिरा गांधी ने स्लोगन दिया कि सिविल सर्विसेज के लोगों को चाहिये कि राज्य के मंत्रिमन्डल के आदेश मानें। जो लोग उनके कहे मुताबिक काम नहीं करें उन्हें हटा दिया जाना चाहिये। तो, अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि प्रशासन के अधिकारियों का काम यह हो गया कि मन्त्री कहे वही करें उनके काम में मीन-मेख नहीं निकालें।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक अधिकारियों का काम सिर्फ नीति को क्रियान्वित करने का होना चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों में बात यह हुई कि प्रशासन का काम तो ले लिया मन्त्रियों ने और नीति निर्धारण का काम, जो कि मंत्रि-मण्डल का होना चाहिये था, ले लिया प्रशासनिक अधिकारियों ने। मंत्री लोग तो सिर्फ ट्रान्सफर्स और प्रमोशन्स में लगे रहते और जो नीतियों का काम था वह ले लिया आपके चीफ सैक्रेटरी और आपके यहां के जो सैक्रेटरीज थे उन्होंने। तो इसका परिणाम यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर जो तीस वर्षों में आर्थिक प्रगति होनी चाहिये थी वह तो नहीं हुई लेकिन आर्थिक अगति जरूरी हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ तो लोग भूख और

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

प्यास से मर रहे थे दूसरी तरफ यहां फाइव स्टार होटल्स बन रहे थे। प्रशासनिक उच्च अधिकारी सारे के सारे नीति निर्धारण करने वाले हो गये। जो काम प्रशासनिक अधिकारियों का था वह काम मन्त्रियों ने अपने हाथ में ले लिया और मन्त्रियों का काम इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में चला गया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं, साथ ही आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि नीति-निर्धारण का काम प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में नहीं रहना चाहिये। जहां तक सवाल कमिटेड सिविल सर्विसेज का है वह कोई हद तक कमिटेड नहीं होनी चाहिये। प्रशासनिक अधिकारियों का काम सिर्फ राज्य सरकार की नीतियों का पालन करना होना चाहिये। इसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि एक आचार-संहिता होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब एक बात और जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है कि हमारे देश में इमर्जेन्सी लगी। उस समय हमारे देश में दो प्रधान मन्त्री हो गये। एक तो कान्स्टीट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी और दूसरे प्रधान मंत्री हमारे यहां पर जो थे वह थे श्री संजय गांधी, जो एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल प्राइम-मिनिस्टर थे। उनके बारे में मैं अभी ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि संजय गांधी के सामने हमारे यहां के लोगों ने ऐसी हीन भावना दिखायी कि उसका विवेचन मैं अभी नहीं करना चाहूंगा ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी··

श्री सुखलाल संणचा : आप तो संजय गांधी के गीत गाते आइये। आपकी सरकार बन गयी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : गीत तो आप गाइये। जिन्होंने संजय गांधी के गीत नहीं गाये, वह तो जेल में थे। सिर्फ बाहर उन्हीं को छोड़ा जो आप जैसे थे जिन्होंने संजय गांधी के गीत गाये। अगर माननीय सदस्यों का यह ख्याल हो कि जो देश में सरकारें परिवर्तित हुई हैं वह इमर्जेन्सी के कारण हुई हैं तो यह बात सही नहीं है। अगर आप इमर्जेन्सी नहीं लगाते तो भी यह समय तो आने वाला था। हो सकता है कि इमर्जेन्सी की वजह से जल्दी आ गया। नहीं तो इसमें थोड़ा वक्त लगता पर यह तो वक्त की डिमान्ड थी। बहुमत का जहां तक सवाल है, हो सकता है इतना प्रचण्ड बहुमत नहीं आता पर बहुमत जरूर आता।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि तीसरा प्रहार जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा किया गया था वह किया गया प्रशासनिक सेवाओं के बाद में प्रेस पर। अध्यक्ष महोदय, डिक्टेटरशिप में प्रेस के ऊपर डिक्टेटर का कन्ट्रोल होना जरूरी है। उसी के माध्यम से यानि पब्लिसिटी के माध्यम से डिक्टेटर ऊपर उठता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो प्रेस थे उनमें कुछ को छोड़कर बाकी प्रेस के मालिक ऐसे थे, जो अध्ययनशील थे। इन्दिरा गांधी चाहती थीं कि प्रेस भी उनके हाथ में रहें। उन्हों ने

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

प्रेस वालों को हिदायत दी। पर इसके बावजूद कुछ प्रेस वालों ने उनकी बात नहीं मानी। प्रेस पर जोरों से सख्ती कर दी गयी। कोई भी बात इन्दिरा गांधी के खिलाफ में नहीं छप सकती थी। तरह तरह के शगूफे इन्दिरा गांधी ने छोड़ने शुरू कर दिये और सिर्फ वही बात छपती थी जिन्हें श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती थीं। इस प्रकार वह प्रेस पर हावी होने लग गयीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हिन्दुस्तान टाइम्स के जो सम्पादक थे श्री बी.जी. वर्गीज उन्होने सन् 1974 में अपने अखबार में यू..पी. में फाउन्डेशन स्टोन के बारे में जो खबर थी वह छाप दी। इतने फाउन्डेशन स्टोन्स लगा दिये पर इतने कारखाने लगे नहीं थे।.बस क्या था श्रीमती इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक महोदय से नाराज हो गयीं और उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स के मालिक श्री के. के. बिड़ला को बुलाया और उन्हें कहा कि श्री वर्गीज को हटाया जाय पर जब उन्हें नहीं हटाया गया तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रेस कौन्सिल को ही खत्म कर दिया। इस प्रकार जो एजेन्सीज थीं जो कि गवर्नमेन्ट के विरुद्ध खबरें छापती थीं उन पर कुठाराघात शुरू हो गया। इतना ही नहीं बाद में यह भी कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति विधान सभा में तीन घन्टे तक भी बोल ले तो सिर्फ यह ही छाप दो कि फलां फलां व्यक्ति भी कुछ बोले थे। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किये थे। खैर हमने तो यह बात सिर्फ बाहर नहीं होने के कारण जेलों में सुनी थी। हम जेल में सुनते थे कि श्री मदेरणा साहब, मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन दरअसल में आपने इमर्जेन्सी को जो भी तारीफें कीं वह आपके विचार नहीं थे। आपको तो सिर्फ पंगु बना दिया गया था। आप लोगों में से कोई भी इमर्जेन्सी के खिलाफ़ में नहीं बोल सकता था वैसे भी आप लोगों के हाथ में कुछ था भी नहीं। प्रेस सेन्सरशिप लगने से आप लोगों का नाता आम लोगों से खत्म हो गया था। प्रेस इन्स्टीट्यूशन की आजादी खत्म हो गयी थी।

फिर धमाका हुआ वह था, अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो कि 12-6-75 को हुआ था। मैं तो चूंकि इस फैसले को पहले ही जानता था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इसमें हारेंगी पर लोगों ने फैसला 12—6—75 को सुना। मैं इसलिये जानता था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हारेंगी क्योंकि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बयान देने आयीं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चार-पांच घन्टे की जिरह में 30 बार झूंठ बोला। हर बार में उसका झूंठ पकड़ा गया। मुझे तो विश्वास था पर लोगों ने फैसला 12 जून को सुना। तो इन्दिरा गांधी ने अपना अलग से ढोल मजीरा पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने यहां पर लोगों की भीड़ बुलानी शुरू कर दी। लोगों से कहलवाना शुरू कर दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारी नेता है। हमने उस वक्त कहा कि हमने कब कहा कि वह आपकी नेता नहीं। उन्होंने लोगों से कहलाया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी में हमारा विश्वास है तो हमने कहा कि आपको अविश्वास नहीं होना चाहिये। प्रश्न तो यह है कि जब कानून से कोर्ट के फैसले से हार गयी तो क्या तब भी वह प्रधान मन्त्री बनी

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

रह सकती हैं ? क्या नैतिकता की दृष्टि से अब उसका प्रधान मन्त्री बना रहना उचित है ? प्रश्न यह नहीं था कि जनता का श्रीमती इन्दिरा गांधी में विश्वास था या नहीं, लोकतंत्र में विश्वास था या नहीं। प्रश्न यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का कानूनी रूप से क्या असर पड़ता है, नैतिक दृष्टि से क्या असर पड़ता है। माननीय श्री आर. के. मिश्रा ने जुलूस निकाला और सिन्हा साहब की अर्थी जलाई गई। क्या-क्या आडम्बर नहीं किया आपने ? कितना स्तर आपने अपना नहीं गिराया ? क्या नहीं किया ? और फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगी। सब मुख्य मन्त्री नाचने लगे और कहने लगे कि आप इस्तीफा नहीं दें, आप गयीं तो सारा देश ही गया। फिर बरुआ साहब कहते हैं 'Indira is India' हुजूर, मैं अर्ज करूं कि इतिहास में ऐसे बहुत कम सन्दर्भ मिलेंगे जहां व्यक्ति को देश के समकक्ष कर दिया हो। कहना था तो यह कहते, इन्दिरा जी इन्डिया के बराबर बनीं उन्हें माता कह दिया जाता, दुर्गा कह दिया जाता। शर्म नहीं आई। बेशर्मी के साथ कहा गया 'Indira is India.'

(व्यवधान)

ऐसा तो बोलो जो समझ में आ जाये।

श्री सुखलाल सेंगचा : वह जनता पार्टी में शामिल हो गए जो 'Indira is India' कहने वाले थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, हां ठीक है। वह अपनी गलती स्वीकार करके आ गये तो ठीक है। आप भी आना चाहें तो आपका भी स्वागत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'Indira is India' तो बरुआ साहब ने कहा था लेकिन वाजपेई जी ने कहा था कि 'इन्दिरा दुर्गा माता हैं।'

एक माननीय सदस्य : उस समय कहा था जब देश युद्ध लड़ रहा था।

एक माननीय सदस्य : भारत की नारी दुर्गा बन सकती है लेकिन इन्डिया नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने इस समय गम्भीरता से जानकारी करने की कोशिश की और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यह बयान शायद सही नहीं है आप जो कह रहे हैं। और हो सकता है सही भी हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काली भवानी और दुर्गा तीनों कहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो एक ही कहा था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : भवानी दुर्गा कह सकते हैं लेकिन इन्दिरा इन्डिया नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जारी रखें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जैसा मैंने कहा चापलूसी की कोई सीमा नहीं होती। संजय गांधी को विवेकानन्द कहा गया। अब,

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा आप इस पर विचार कीजिए कि कहां तो विवेकानन्द जैसी विभूति और कहां संजय और फिर India is Indira, चापलूसी की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि जो लोग समझदार होते हैं वह समझ जाते हैं कि चापलूसी है या यथार्थता पेश की जा रही है। बहरहाल, एक नाटक चला और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर उनको लिमिटेड स्टे मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय मौजूद था। मैं जानता हूं दिल्ली की जनता को बेहद खुशी हुई थी। वी.के. कृष्णाअय्यर ने एब्सोल्यूट स्टे देने से इन्कार कर दिया। मैं यहां यह भी निवेदन कर दूं कि श्री पालकीवाला ने जब इन्दिरा गांधी का केस हाथ में लिया तो उनसे कहा कि यदि आप को एब्सोल्यूट स्टे नहीं मिला तो आप वचन दो कि आप इस्तीफा देंगी। इन्दिरा गांधी ने इस तरह का वचन दिया था तभी जाकर पालकीवाला उनके वकील बने थे। उन्होंने यही फैसला दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी लोक सभा में केवल बैठ सकती हैं, लोकसभा के सदस्य की हैसियत से बोल नहीं सकतीं, वोट नहीं कर सकतीं, डिबेट में भाग नहीं ले सकतीं और संविधान की धारा 75 है उसके आधार पर प्रधान मंत्री के पद का निर्वहन कर सकती हैं जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो आज के गवर्नर हैं श्री चन्ना रेड्डी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। यह अभिभाषण से कोई ताल्लुक की बात नहीं है। इस बात की चर्चा करने से क्या मतलब है? अगर मुख्य मंत्री जी इनको लॉ मिनिस्टर बनायें तो हमें एतराज नहीं है। बनायें। लेकिन इस बात का यहां क्या नतीजा निकलेगा? यह कहकर हमें क्या इम्प्रेस कर रहे हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप किसी चीज से इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। आपातकाल इस देश का काला काल रहा है और किस तरह से रहा है वह आपको बतायें या नहीं। आप तो आराम से बैठे हुए थे, आप को क्या पता दुनियां पर क्या बीत रही थी। आपके भले की बात कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि अगर वे कारण समाप्त हो जायें तो अच्छा है जिनके कारण से देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी। आप गम्भीरता से उस पर विचार करें।

तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, चन्ना रेड्डी ने इस्तीफा तुरन्त दे दिया क्योंकि डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। द्वारकाप्रसाद मिश्र ने इस्तीफा दिया लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नहीं दिया क्योंकि वह सत्ता से चिपके रहना चाहती थी। बिना मंत्री परिषद् की राय लिये इमर्जेन्सी लागू कर दी। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप संविधान की दुहाई देते हैं संविधान के अन्दर लिखा हुआ है कि हर मसला केबिनेट तय करेगी और उसके बाद प्रेसीडेन्ट को एडवाइज करेगी। इमर्जेन्सी के प्रोक्लेमेशन के लिए इन्दिरा जी अकेली जाती हैं और इमर्जेन्सी के डिक्लेयर होने से पहले ही सारे के सारे लोग अरेस्ट हो चुकते हैं। आप संविधान की कसम खाकर बैठे हुए हैं और आपने ही एकदम संविधान को तोड़ दिया मुझे अच्छी तरह से याद है, 25 जून की वह रात ठीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो दिन बाद इमर्जेन्सी लागू हुई और वह

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
आपातकाल तब तक रहा जब तक इन्दिरा जी का राजनैतिक जीवन समाप्त नहीं हो गया, जब रात को 3 बजे रायबरेली का नतीजा आउट हुआ अधिकृत रूप से और 4 बजे इमर्जेन्सी खतम हो गयी। असली आफत यदि देश पर थी तो इन्दिरा गांधी के राजनैतिक अस्तित्व की थी। उसके खतम होते ही देश की आफत खतम हुई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 3 महीने के बाद एक लाख वोटों से फिर जीत गयीं।

एक माननीय सदस्य : चुनाव लड़ा था क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधान सभा में जीतीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप इस बात को मानेंगे कि तथ्यों के आधार पर अगर देश पर आपत्ति थी तो पोलिटिकल एग्जिस्टेन्स की थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पालिसी तो बताओ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अभी बताते हैं चिन्ता मत करो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको तो काम करना है ना ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास इस प्रकार के बहुत से प्रमाण हैं कि 20 महीनों के अन्दर क्या क्या अत्याचार हुए। क्या नहीं किया ? जिसकी कल्पना कभी अंग्रेजों और राजाओं के राज्य में भी नहीं की जा सकती थी वह अत्याचार आपने किये। इन्दिरा जी के इशारे पर किये और संजय के इशारे पर किये, जनतंत्र के मूल्यों का ह्रास करके किया। आपने जनतंत्र को समाप्त किया इस देश से। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर पुनः ऐसी प्रवृत्ति पैदा नहीं हो, पुनः इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो इसके लिए निश्चित रूप से जो संसदीय प्रकोष्ठ है, जो हमारी विधान सभा है, संसद है, जो जुडिशियरी है जो इन्डीपेन्डेन्स उनकी होनी चाहिए उसको सुदृढ़ करना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और निवेदन कर दूं एक बहुत बड़ा कारण इमर्जेन्सी लागू करने का, तानाशाही बढ़ने का यह भी था कि इस देश में विरोधी पक्ष बहुत कमजोर था। हम लोगों को बुद्धि आ गई। पहले हम अलग-अलग दलों में बटे हुए थे। अब सारे के सारे इकट्ठे हो गये। इसके कारण एक बहुत बड़ी शक्ति जनता पार्टी के रूप में सामने आ गई। डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स स्ट्रेंग्थन कर दी गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक नहीं हजारों इन्दिरा गांधी पैदा हो जायें, डिक्टेटरशिप कायम नहीं कर सकतीं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसे बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। इमर्जेन्सी के अन्दर इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है वे एक दिल दहलाने वाली बातें हैं। राजस्थान के अन्दर, जयपुर की जेलों में राजनैतिक कार्यकर्ता पड़े हुए थे। आज तक कारण नहीं बताया क्यों पकड़ा। यह कारण नहीं बताया कि क्यों छोड़ा जा रहा है। कलेक्टर ने

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

दस्तखत किये लेकिन वह भी नहीं जानता। निश्चित रूप से अकारण हम लोगों को पकड़ा गया। ऐसी परिस्थिति में जब आपने अकारण रखा और पकड़ा, क्या आपका यह दायित्व नहीं था राज्य चलाने के नाते, राजस्थान के मंत्री और मुख्य मंत्री होने के नाते कि आप हमारे लोगों के घर वालों का भरण-पोषण करते या आप लोग हमको कोई कारण बताते, मुकदमा चलाते, सजा दिलाते कि आपको इन कारणों से पकड़ा जा रहा है। यदि आप कल्याणकारी राज्य के कार्यकर्ता होने का अधिकार मानते हैं तो आपका वह पुनीत कर्तव्य था कि हम लोगों के पीछे से जो हानि होती है उसकी कुछ आंशिक पूर्ति करते ताकि घर वाले भूखों नहीं मरते। हमें मीसा के अन्दर बन्द किया। हमने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। कमाने वाले अन्दर आ गये हैं, कुछ व्यवस्था कीजिये। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं नैतिकता के नाते, मानवता के नाते, अकारण पकड़ा गया, कोई दोष नहीं है तो आपका यह नैतिक कर्त्तव्य था कि आप लोग ऐसी व्यवस्था करते कि जिन लोगों को पकड़ा गया था मीसा में, उसकी पूर्ति स्वरूप उनके घर के लिए आप कुछ व्यवस्था करते। इस संबंध में आपके पास कोई उत्तर नहीं। एक सब्सिस्टेन्स भत्ता ही मांगा था कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उसके बाद मजबूर होकर आन्दोलन चलाना पड़ा। कम से कम दो सौ पुलिस वालों ने हम लोगों को घेर लिया। आन्दोलनकारियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया, एक साथ नहीं रखा ताकि आन्दोलन न चला सकें। माणक चौक पुलिस स्टेशन के अन्दर सी. पी. एम. के एक कार्यकर्ता को धमकी दी गई कि अमुक व्यक्ति का स्थान बताइये नहीं तो उसकी बीवी को लाकर बेइज्जती की जावेगी मैं आपसे निवेदन करूं; अगर आपको उस स्थिति में रखा जावे तो आपका मन क्या कहेगा। आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके साथ राजनैतिक प्रतिशोध के कारण या अन्य कारण यह व्यवहार किया जाये तो आपका मन क्या कहेगा? मैं चाहता हूं ऐसी स्थिति हमारे मन में उत्पन्न न हो, देश में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसका स्थाई इलाज किया जाये और...

(2.05 म. प.)

(मेजर श्री फतह सिंह, सभापति, पीठासीन)

अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठने वाले लोग वास्तविकता भूल जाते हैं और सत्ता के नशे में बैठते हैं, नशा जब उतरता है तब सही स्थिति मालूम पड़ती है। आज आपका नशा उतर गया। इन्दिरा गांधी, संजय बाबू मुकदमों के अन्दर घसीटे फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारी न हों इसलिये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था कायम कीजिये ताकि जनतंत्र मजबूत हो।

आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति जी, और आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कि कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ बुनियादी गलतियां की हैं। अंग्रेजों के शासन के समाप्त होने पर जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के शासन का क्रम समाप्त

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
नहीं किया और कांग्रेस को शासन का क्रम प्रारम्भ नहीं किया और उसी धारा में बहते रहें। समाज को उन्हें ऊपर उठाना चाहिये था। समाज तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। गरीबी मिटानी चाहिये थी। किन्तु कांग्रेस की परम्पराओं के कारण अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की धारावाहिकता के कारण इस समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। जिस व्यक्ति ने इमर्जेन्सी जैसा कुचक्र चलाया वह इस देश को राहत दे सकेगा यह मुझे असंभव सी बात नजर आती है। राजस्थान के सुन्दरलाल खुराना हैं जिन्हें रातों-रात दिल्ली बुलाया गया। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस तरह की आवश्यकता थी जैसा चाहा लिख दिया। मुखर्जी ने लिखने से इन्कार कर दिया। खुराना साहब को लाया गया ताकि इमर्जेन्सी लागू की जावे। ऐसे आदमियों की राजस्थान में क्या आवश्यकता है ? उनको आज भी एग्रो-इण्डस्ट्रीज-कार्पोरेशन का चेयरमैन बना रखा है। क्या इस प्रकार के आदमी देश का भला कर सकेंगे ? प्रशासनिक ढांचे के अन्दर आज बदलाव की आवश्यकता है। इस देश के अन्दर आपको अगर आर्थिक विकास लाना है तो निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि आपको जॉब ओरियेन्टेड, एम्पलायमेन्ट ओरियेन्टेड शिक्षा लानी चाहिये। ज्यादा पूंजी आपके पास है नहीं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, इनकी स्थापना से इस देश के अन्दर आप कुछ प्रगति कर सकते हैं अन्यथा नहीं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने इसके सम्बन्ध में जो उद्धरण दिया है, जो विचार व्यक्त किया है उन विचारों को निष्ठा के साथ आगे बढ़ाना चाहिये। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योगों को खोलकर देश का निर्माण करना चाहिये। प्राथमिकता की दृष्टि से यह निवेदन करूंगा, अगर सामाजिक सेवाओं को करने का कहीं अवसर मिलता है तो मेरे विचार से सबसे पहले साक्षरता अभियान चालू होना चाहिये। जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस अभिभाषण में इसका शायद कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है गलती से रह गया हो और यह भी हो सकता है कि इस ओर ध्यान नहीं गया हो। पिछले 30 वर्षों के कांग्रेस के शासन में आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि देश में निरक्षर लोगों की तादाद बढ़ी है। यह कांग्रेस की देन है। प्राथमिकता की दृष्टि से अगर यह आवश्यक है तो आप मौजूदा राज्य कर्मचारियों में से कुछ का डाइवर्सन करें–ग्राम सेवक, ग्राम पटवारी आदि का तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्हें अधिक से अधिक साक्षर बनायें। साक्षर बनाने से उनके अन्दर का डर निकलेगा और जनतन्त्र अधिक सुदृढ़ होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार ने एक चिकित्सा पद्धति चालू की है और उसको नाम बेअर-फुटेड डाक्टर सिस्टम दिया है। मेरा मानना है कि हर गांव में डाक्टर आवश्यक औषधि सहित जाये, चाहे वह आयुर्वेदिक पद्धति की हो चाहे एलोपैथिक पद्धति की हो तीन वर्ष में पंहुचाने का उत्तरदायित्व है। आपको उस तरफ भी योगदान देना चाहिये। उन लोगों की ओर ध्यान दीजिये जो लाखों, करोड़ों

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
लोग हैं जो गांवों में बसे हुये हैं जिनको आज भी पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जो पानी के लिये तरसते हैं, जो अनपढ़ हैं, जो सिपाही को देखकर भागते हैं और इस प्रकार भागते हैं जैसे शेर को देखकर बच्चा भागता है। उन लोगों की स्थिति बदलने के लिये आप ध्यान दें। मुझे खुशी है कि हमारी जनता पार्टी इसके प्रति काफी सचेत है और इसके प्रति और अधिक सचेत रहेगी।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और मेरी इच्छा रही है, जब कभी मैं जाने-पहिचाने सत्ता पक्ष वाले लोगों से जो आज उधर बैठे हुये हैं, मिलता था, तब उनसे मैंने करबद्ध निवेदन किया कि किसी प्रकार इस धरती की प्यास बुझाइये। लेकिन, सभापति महोदय, यह बड़ा अनर्थ है कि जो प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हुई। राजस्थान नहर पूरी नहीं हुई। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिये। उसके साथ ही जो 10–20 लाख की छोटी मोटी योजनायें हैं उनको भी एक-दो वर्ष में या जितनी जल्दी पूरा करा सकते हैं करायें।

एक निवेदन है मेरा अध्यक्ष महोदय के मार्फत कि पृष्ठ संख्या 4........

एक माननीय सदस्य : सभापति के मार्फत।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति के मार्फत कहिये या अध्यक्ष महोदय के मार्फत कहिये, कुछ भी कहिये। कहलाते क्या हैं? जो कुछ हम कह दें, वह ही कहलाते हैं। अध्यक्ष भी कहलाते हैं और सभापति भी कहलाते हैं।

श्री सभापति : सभापति कहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पृष्ठ संख्या 11 पर है कि राज्य के पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ विकास, कुक्कुट विकास, मत्स्य पालन तथा सूअर पालन का काम हाथ में लिया गया है। सभापति महोदय, मेरा करबद्ध निवेदन है 30 साल हो गये, काफी सूअर पल चुके हैं 30 साल में अब यह चीज आगे नहीं बढ़नी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गवर्नर महोदय के अभिभाषण में है तो इसका पालन तो करेंगे ही।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : काफी काम इस दिशा में हो चुका है इसलिये निवेदन कर रहा हूं। जो कुछ भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है, उसका दायित्व सरकार पर है, मेरी ऐसी मान्यता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हर परम्परा को माना ही जाय। मैं गतिशील हूं जड़ नहीं हूं। अगर कोई बात मेरे विचार में ठीक नहीं है तो मैं उसे मानने से इन्कार भी कर सकता हूं....

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूं कि आप समय का भी ख्याल रखें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : समय का ख्याल है। मैं खत्म कर रहा हूं....

श्री खेतसिंह : इन ही शब्दों के साथ..

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय माणक चन्द जी सुराणा ने जो प्रस्ताव रखा है,

(श्री सूर्यनारायण, चौधरी)
उसका अनुमोदन करते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के लिए आभार प्रकट करें।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री खेतसिंह : पहले हमारा अमेन्डमेंट है।

श्री सभापति : ठीक है। श्री शंकर लाल, श्री खेतसिंह, श्री रघुनाथ बिश्नोई, श्री वृद्धि चन्द्र जैन इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री खेतसिंह : आप जिनका नाम लेंगे पहले वह बोलेंगे।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (अंतारण) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैंने संशोधन पेश किया है। संशोधन जिन शब्दों में मैंने पेश किया है उन शब्दों में काफी काटा-छांटी कर दी गई है। संशोधन की भावना में भी कुछ तब्दीली हुई है और केवल यह शब्द रखे गये हैं "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई जन हित का ठोस कार्यक्रम नहीं दर्शाया गया है"।

चूंकि यह संशोधित सक्यूंलेट हुआ है इसलिए मैं इस संशोधन के विषय में ही निवेदन करूंगा। बाद में उस संशोधन के बारे में आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा जिस संशोधन का इसमें कोई जिक्र नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधन प्रस्तावों की एक साथ प्रस्तुति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी समझ में परम्परा इस प्रकार की रही है कि जो भी संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे एक बार संशोधन मूव कर दें तो वह टैक्निकली मूव माने जायेंगे। दूसरे माननीय सदस्य का बोलने का समय आये तब बोलें। बीच में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत न हों। सभापति महोदय, इस प्रकार की परम्परा रही है। मैं समझता हूं विरोधी दल के नेता इसको स्वीकार करेंगे...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कोई हार्ड एन्ड फास्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन की गरिमा के लिए ठीक है।

श्री सभापति : क्या संशोधन प्रस्ताव मूव कर दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, विचार विमर्श होने के बाद जो बात की गई वह मैंने उन्हें भी निवेदन की थी। मैं आज नहीं बोलकर कल या परसों बोलूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले एक पक्ष के माननीय सदस्य बोल लें और फिर दूसरे पक्ष के संशोधन वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद की विरोधी दलों के द्वारा शुरूआत

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा यही होता कि विरोधी पक्ष के नेता पहले बोलते। यदि विवश हैं तो दूसरी बात है। परम्परा की दृष्टि से विरोधी दल के नेता पहले बोल लें....

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन में यह परम्परा रही है कि विरोधी दल के नेता बजट पर और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप परम्परा नहीं मानें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : हमने धन्यवाद प्रस्ताव का थीम पेश कर दिया है। यह मान कर चलिए कि जो थीम पेश किया गया है उससे पर्पज सर्व होता है। मेरा ख्याल है यह ट्रेडीशन है·····

श्री सभापति : मेरी इस सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाय विरोधी पक्ष की तरफ से। विरोधी दल के नेता आज नहीं बोलना चाहते हैं तो दूसरे दिन बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलना आज ही चाहिये।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता भी बोलेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी इस बारे में···

श्री सभापति : मैं चाहूंगा कि पहले संशोधन प्रस्ताव मूव किए जावें।

श्री शंकरलाल : मैंने मूव कर दिया है। लिखित शब्दों को मैं फिर दोहरा देता हूं। "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई जनहित का ठोस कार्यक्रम नहीं दर्शाया गया है।"

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले चारों संशोधन के प्रस्ताव हैं उनको माननीय सदस्य प्रस्तुत कर दें। चारों माननीय सदस्य पहले अपने संशोधन प्रस्तुत करदें उसके बाद में डिबेट प्रारम्भ करें।

श्री शंकरलाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह संशोधन एक ही है···

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये बोल लेंगे तब मैं मूव कर दूंगा और मैं बोल लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब अलग अलग मूव कर रहे हैं तो चाहे किसी भी क्रम में बोलें, मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से और परम्परा की दृष्टि से और सब जगह जिस प्रकार होता है उस दृष्टि से एक बार सारे संशोधन मूव हो जायें, टेक्निकली सब मूव हो जायें, बाद में आपको बोलने का राइट रिजर्व रहेगा।

श्री सभापति : एक एक करके सभी माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव मूव कर दें उसके बाद में उन पर चर्चा हो।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, वैसे संशोधन प्रस्ताव एक ही है। एक दफा मूव करने के बाद सबको बोलने का अधिकार है। जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको प्राथमिकता का अधिकार हो जाता है, प्रस्ताव एक ही है इसलिए अगर टेक्निकली पहले सबसे मूव कराना चाहते हों तो मैं बैठ जाता हूं। संशोधन प्रस्ताव अलग अलग होते तो आपका कहना ठीक था लेकिन संशोधन प्रस्ताव एक ही है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

तो, सभापति महोदय, जो अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया

(श्री शंकरलाल)

गया है उस सम्बन्ध में मुझे प्रथम यह बात निवेदन करनी है कि बार बार यह एक बात कही जाती है कि कांग्रेस ने तीस साल के शासन में कुछ नहीं किया। आपातकाल की स्थिति में गड़बड़ियां हुईं, लोगों पर जुल्म हुए और अत्याचार हुए। इस प्रकार की खराबियां हुईं। सभापति महोदय, उधर की ओर से, सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य इस बात को बार बार दोहराना चाहें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और आज भी स्वीकार करते हैं कि जनता का जो निर्णय हुआ है वह सर्वोपरि है। यहां तक हम स्वीकार करते हैं कि इन्दिराजी के प्रशासन में और कांग्रेस सरकार द्वारा 1972 से 1975 तक, आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद में जो कुछ गलतियां हुईं, उसी के कारण जनता ने यह निर्णय दिया। हमने उसको स्वीकार किया, हम स्वीकार करते हैं और हमें इसको मानना पड़ेगा। जनता ने यह माना कि हमारे निर्णय ठीक नहीं थे; जनतांत्रिक नहीं थे इसलिए उन निर्णयों के कारण जनता ने हमारे खिलाफ मत दिया। लेकिन यह बात कहें कि तीस साल के प्रशासन के खिलाफ जनता थी, तो इसका तात्पर्य क्या है? इन चुनावों के पहले सन् 1952 में जो चुनाव हुए, जनता ने कांग्रेस को वोट दिए, 1957 में चुनाव हुए तब जनता ने कांग्रेस को वोट दिए। 1962 में चुनाव हुए तब जनता ने कांग्रेस को वोट दिए 1972 में चुनाव हुए तब जनता ने कांग्रेस को मत दिए। तो वह जनता का फैसला क्या था? जनता ने अपने मतों से कांग्रेस को सत्तारूढ़ किया था। क्या आप उन फैसलों को जनता का फैसला नहीं मानते हैं? क्या आप यह कहने का अधिकार रखते हैं, यह कहना चाहते हैं कि जनता ने उस वक्त फैसले ठीक नहीं दिए? जो फैसला आपके हक में होता है, जिस फैसले से आपकी सरकार बनती है क्या वही फैसला ठीक है? जिस जनता के फैसले ने आपकी जनता पार्टी को ठुकरा दिया था, जनता ने आपको सत्तारूढ़ नहीं किया था उस फैसले के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस वक्त जनता का फैसला गलत था? यह नहीं सोचना चाहिए। आपको यह मानना पड़ेगा कि जनता का जो फैसला होता है वह सर्वोपरि है। सन् 1952 में, सन् 1957 में, सन् 1962 में, 1967 में, 1972 में जनता ने कांग्रेस को इसीलिए शासन में रहने का अधिकार दिया क्योंकि कांग्रेस शासन की उपलब्धियां थीं। आप यह कह कर चलें कि कोई उपलब्धियां नहीं थीं तो मैं समझता हूं कि आपके इस प्रकार बार बार कहने से आपातकाल की घोषणा के बाद जो ज्यादतियां हुईं, उनके बारे में आपके कहने का और तथ्य प्रस्तुत करने का महत्व भी खत्म हो जाएगा। आप नेहरूजी के शासन काल के लिए, लालबहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल के लिए भी यह कहें तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है। जनता का फैसला आखिर आपको भी मानना है। जनता ने आज कांग्रेस के खिलाफ फैसला दिया तो पहले आपके खिलाफ भी फैसला दिया था, यह आपको मानना पड़ेगा। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि बार बार इस तीस साल की बात को न कहें। मैं उन तीस सालों की उपलब्धियों को सदन के समक्ष पेश नहीं करना चाहता हूं। राजस्थान की जनता यह जानती है कि आजादी आने

(श्री शंकरलाल)

के बाद कांग्रेस ने जब हुकूमत सम्भाली उसके बाद में आम किसान को जमीन के अधिकार मिले, जागीरदारी और सामन्तशाही समाप्त होने के बाद में नई नई सुविधाएं किसानों, गरीबों और खास तौर पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जो मिलीं, वह आज भी, सभापति महोदय, उनके दिल और दिमाग में मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि आप शासन में बैठने वाले लोग अपने मन में इस बात को मंजूर करेंगे कि किसानों के, गरीबों के और शिड्यूल्ड कास्ट्स के वोट जहां जहां जिस जिस जगह ये वे कांग्रेस को मिले हैं। उनके अलावा भले ही कांग्रेस के पक्ष में हों या कांग्रेस के विरोध में हों। इस लिए यह कहना कि कांग्रेस ने तीस साल में कुछ नहीं किया, मैं समझता हूं, उचित नहीं। मुझे आशा है, आप इस बात को सुधारेंगे। कहने को आप बार-बार कहते रहेंगे लेकिन इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि कांग्रेस ने गलतियां कीं तो कांग्रेस सरकार हट गई, सत्ता से चली गई। अब आप इसी को बार-बार कहते रहें इसके बजाय आप क्या करने वाले हैं और आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर; उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के अन्दर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, या उसका समर्थन करते हुए यह बात आनी चाहिए। कांग्रेस ने गलतियां कीं इसलिए सत्ता से हटी, वह बात समाप्त हो गई। क्या इसी को बार बार कहते जायेंगे? आपको यह देखना है कि यह कोई चुनाव सभा नहीं है, वोट लेने लिए चुनाव सभा में भाषण नहीं कर रहे हैं, वह आदत अब छोड़ दीजिए। ठोस कार्यक्रम के लिए अपनी जिम्मेदारी समझिये कि आगे आप क्या करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह बात कही कि लोक सभा के चुनावों से जो लोकतन्त्र को कायम करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई वह विधान सभा के चुनावों में जाकर पूरी हुई। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि यह गलत है लेकिन लोक सभा के चुनावों के परिणाम और राज्य विधान सभा के चुनाव परिणाम इस बात को बतलाते हैं कि दो तीन महीने के बाद ही चुनाव परिणामों में जो अन्तर आया है उससे आपको लगता होगा कि जो प्रक्रिया शुरू हुई, लोक सभा के चुनावों में जितने लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ में वोट दिये थे विधान सभा के चुनावों के अन्दर उनमें फर्क आया है। लोक सभा चुनावों के अन्दर जहां केवल एक लोक सभा की सीट राजस्थान में आई थी, जिसको आप दस या ग्यारह एम. एल. एज. की मान लीजिए...

श्रीमती सुमित्रासिंह : आठ एम. एल. एज.।

श्री शंकरलाल : आज यहां पर विधान सभा के चुनावों में 41 सीटें आई हैं। इसका तात्पर्य है कि दो महीनों के अन्दर ही परिस्थितियां बदली हैं, उससे स्पष्ट है कि जनता ने जो मत दिए थे वे नाराजगी के कारण दिये थे। नाराजगी जनता की सही थी। हमने इसको स्वीकार है। लेकिन, सभापति महोदय, नाराजगी का एक समय होता है। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है

(श्री शंकरलाल)

वसे वैसे किसी बात की नाराजगी समाप्त हो जाती है। इसलिए जनता पार्टी के उन बुद्धिमान नेताओं ने सोचा कि अगर ज्यादा समय निकल गया, नाराजगी जनता की दूर हो गई तो जनता वापस हमको वोट देने वाली नहीं है, हम आने वाले नहीं हैं, इसलिये विधान सभाओं के चुनाव जल्दी करायें। राजस्थान विधान सभा के लिए, सभापति महोदय, मैं नहीं कहता क्योंकि पांच साल का समय पूरा हो चुका था, वैसे संशोधन करके छः साल का समय कर दिया गया था, हम इस बात को मान भी लें कि पांच साल का समय पूरा हो गया था लेकिन जिन विधान सभाओं का कार्यकाल चार साल का ही हुआ था, चार साल ही पूरे हुए थे, पांच साल पूरे नहीं हुए थे, उनके लिए भी इस बात को कहा कि लोक सभा के चुनाव में चूंकि आपको मत नहीं मिले, जनता ने अस्वीकार दिया है इसलिए हम दुबारा चुनाव कराना चाहते हैं। अगर आपका यही सिद्धान्त है तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि रायबरेली की आठ सीटों में से छः सीटें कांग्रेस को गई हैं, वहां आप हारे हैं चुनाव में तो क्या लोक सभा के चुनाव दुबारा नहीं होने चाहिए? लेकिन वहां वह स्थिति नहीं मानेंगे। आपके पक्ष में जो बात होती है वही बात ठीक लगती है। जब इस बात को कहते हैं तो प्रधान मन्त्री मोरारजी भी कहते हैं और राजनारायणजी भी कह देते हैं कि वह बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि फिर समय बदलेगा। यह ठीक है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, प्रधान मंत्री ने गलती की लेकिन कांग्रेस के सिद्धान्त हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, वे सही हैं, सैद्धान्तिक कार्यक्रम हैं। ज्यों ज्यों नाराजगी बीतती जाएगी, समय निकलता जाएगा, कांग्रेस मजबूत होगी। आपका, जनता पार्टी का केवल नाराजगी का नारा है। आप यह कहते हैं कि तीस वर्ष तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया यह आपका थोथा नारा है और इसको लगातार देने से आप समाप्त हो जायेंगे। अब आपको अपना कार्यक्रम पेश करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जनता पार्टी जनतन्त्र की बात करती है, तो वह सब पर लागू होनी चाहिए। सब पर लागू हो ऐसी बात कहनी चाहिए। सभापति महोदय, 'जनता' जो शब्द है, 'जनता पार्टी' शब्द में, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि इस शब्द के आधार पर कोई पार्टी हो। जनता ने कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिए हैं। और जनता ने जनतापार्टी को भी वोट दिये हैं यह हो सकता है कि जनता ने उधर वालों को जो वोट दिये वे ज्यादा हों और कांग्रेस को कम वोट दिये हों। फिर एक ही पार्टी जनता की कैसे हो सकती है? इधर जनता कम है और उधर जनता ज्यादा है। इसलिए जनता के नाम पर जो पार्टी बनती है, वह जनता को गुमराह करने के लिए है। मैं नहीं कहता कि कोई सैद्धान्तिक बात नहीं है परन्तु थोड़े दिनों में ही जनता को मालूम हो जाएगा कि जनता पार्टी तो केवल नाम है। जनता का नाम लेने का अधिकार, एक व्यक्ति, एक पार्टी को नहीं है। यह ठीक है, इस सम्बन्ध में इलेक्शन कमीशन जाने। लेकिन मेरी तो यह विचारधारा है कि 'जनता' शब्द का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी का जो झंडा

(श्री शंकरलाल)

है उस जनता पार्टी के झंडे और कांग्रेस के झंडे में कोई फर्क नहीं है। ये सारी बातें हैं...

(व्यवधान)

मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

एक बात और आपको बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज की 'राजस्थान पत्रिका' का एडिटोरियल माननीय मुख्य मंत्री ने पढ़ा होगा और जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा। राजस्थान पत्रिका को आज यह कहा जाता है कि यह कांग्रेस विरोधी है, मैं तो नहीं कहता। उसमें जो एडिटोरियल दिया है, उसमें बताया है किस्सा कुर्सी का, राजस्थान के अन्दर सरकार बनने से पहले क्या हुआ? यह सही है कि लोकतन्त्र में दो पार्टी हों जिससे स्वस्थ डेमोक्रेसी चले। परन्तु एक विचारधारा की पार्टी हो तो वह चल सकती है। हमें इस बात की खुशी है कि जनता पार्टी का अलग अलग घटकों से निर्माण हुआ। इसका शरीर तो एक हो गया लेकिन आज भी इसका दिल एक नहीं है। यह जनता जानती है, आप भी जानते हैं, सभापति महोदय। जब कांग्रेस और जनता पार्टी के टिकटों के वितरण का प्रश्न आया तो आप भी यह स्वीकार करेंगे, माननीय सूर्य नारायण जी किसी सदस्य को कह रहे थे आप भी इधर आ जाइये। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जनता पार्टी कार्यालय के अन्दर भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मोहन छंगाणी की पिटाई की गई...

कई माननीय सदस्य : गलत गलत।

श्री शंकरलाल : कुम्भाराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैंने स्वयं ने इस दृश्य को देखा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शंकर लाल : सभापति महोदय, मैं नहीं कहना चाहता था, परन्तु मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा है, बी-8 के सामने से जाते हुए देखा है। 'सम्पतराम मुर्दाबाद', 'अमृत नाहटा मुर्दाबाद' के नारे वहां पर लगाये गये थे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जनता पार्टी अपने स्वरूप को बतावे। सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी, टिकटों के वितरण के समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहले नारायणसिंह को जनता पार्टी ने टिकट दिया। वे कांग्रेस के मेम्बर थे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लोगों ने ऐतराज किया तो श्यामसिंह को टिकट देने का रेडियो पर समाचार आया और समय पर विथड्रा कराने के लिए जोधपुर से टेलीफोन आया। मुख्य मंत्री महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप इसको गम्भीरता पूर्वक सुनेंगे। माननीय सदस्य सूर्यनारायण जी भी सुनें जो यह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। सभापति महोदय, जिस रोज नाम वापस लेने थे, उस रात को रिटर्निंग आफिसर के पास जोधपुर से टेलीफोन आता है कि आप श्याम सिंह को उम्मीदवार मानें, नारायणसिंह को न मानें। कोई बात नहीं टेलीफोन भी आ सकता है। परन्तु, सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यह टेलीफोन किसका

(श्री शंकरलाल)
था। वह टेलीफोन था, जो हमारे नये पुनर्वास आयुक्त हैं ओंकारसिंह, उनका था। वह ठाकुर ओंकारसिंह का टेलीफोन था।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री शंकर लाल : यह एक आई.ए.एस.आफिसर का टेलीफोन था। आई.ए.एस. अधिकारी को टेलीफोन करने का क्या अधिकार था? सभापति महोदय, यही नहीं, ये वे ही ओंकार सिंह हैं, आपने 10 जुलाई की राजस्थान पत्रिका पढ़ी होगी, उसके अन्दर इनका एक स्टेटमेन्ट निकला है। 'इन्दिरा बाजार' के नाम में से 'इन्दिरा' शब्द हटाया जायेगा और इस बाजार का दूसरा नाम रखा जायेगा। इसका प्रस्ताव मुख्य मंत्री को रखा जायेगा। क्योंकि इस नाम से चापलूसी, चमचागिरी की बू आती है। नाम बदला जाये, सभापति महोदय, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बात मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या किसी अधिकारी को इस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिये?

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर दूं कि यह जो स्टेटमेन्ट दिया गया है, वह मेरी आज्ञा लेकर दिया गया था।

श्री शंकरलाल : बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसी?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो यह कहा कि मेरी आज्ञा लेकर यह स्टेटमेन्ट दिया गया है। क्या मुख्य मंत्री स्वयं यह स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते थे? क्या मुख्य मंत्री यह उचित समझते हैं कि एक आई.ए.एस. अधिकारी ऐसा स्टेटमेन्ट दे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने वह स्टेटमेन्ट पढ़ा होगा। उसमें अनुचित बात क्या है?

श्री शंकरलाल : जो स्टेटमेन्ट है, वह राजस्थान पत्रिका में आया है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है...

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन का जो मेम्बर नहीं है, उसका उल्लेख नाम लेकर नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : आगे चलिए।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि मुख्य मंत्री और मैं इस सदन के सदस्य रहे हैं। इधर बैठ कर जिन मूल्यों के बारे में माननीय भैरोंसिंह जी बात कहा करते थे, उन्हीं मूल्यों से वे पीछे हट कर ऐसी बात कहें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम बदलने के बारे में कहा था। स्टेटमेन्ट देने के बारे में नहीं कहा था।

श्री शंकरलाल : एक झूठ को दबाने के लिए दस झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया था तो फिर ओंकारसिंह को यह स्टेटमेन्ट में कहने की क्या जरूरत थी कि वे प्रस्ताव मुख्य मंत्री को भेज रहे हैं? आपने कह दिया तो फिर यह कहने की क्या जरूरत थी? इससे आपकी सत्यता में सन्देह होता है। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री को

(श्री शंकरलाल)

यह निवेदन करना चाहता हूँ, और वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की अनुमति सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को ऐसी अनुमति देकर स्टेटमेंट देने की परम्परा आप डालेंगे तो क्या आप इसे लोकतन्त्र कहेंगे? धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि कांग्रेस सरकार तो सिर्फ ट्रान्सफर करती थी और उसकी नीतियां सरकारी कर्मचारी बनाते थे। यह आरोप यहां पर लगाया गया। तो सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता पार्टी के मुख्य मंत्री द्वारा ऐसा स्टेटमेन्ट दिलाना क्या बताता है? फिर वे यह आरोप क्यों लगाते हैं? वे क्या यह भूल गये? मैं ओंकारसिंह का स्टेटमेन्ट यहां पर पढ़ कर सुनाता हूं।"राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के नये आयुक्त एवं सचिव ठाकुर ओंकार सिंह ने आज अपना कार्यभार संभालते ही पहला काम यह सोचा है कि जयपुर के नवनिर्मित इन्दिरा बाजार के नाम से 'इन्दिरा' हटा दिया जाय। एक विशेष मुलाकात में उन्होंने बताया कि वे इस संबंध में अपना प्रस्ताव तुरन्त ही मुख्यमंत्री, भैरोंसिंह शेखावत को भेज रहे हैं। उनकी भावना यह है कि जयपुर नगर अपनी अढ़ाई शती मनाने जा रहा है तो उपयुक्त यही होगा कि इस नये नये गुलाबी बाजार का नाम इसके संस्थापक सवाई जयसिंह की याद को ताजा करें।" ओंकारसिंह ने कहा...

एक माननीय सदस्य : ठाकुर ओंकार सिंह।

श्री शंकरलाल : जी हां, ठाकुर ओंकार सिंह।

"ठाकुर ओंकार सिंह ने कहा कि इन्दिरा बाजार के नाम में चापलूसी और चमचागीरी की गन्ध आती है।"

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

श्री शंकरलाल : एक आयुक्त द्वारा इस प्रकार से यह प्रकाशित कराया गया है। एक सरकारी कर्मचारी से स्टेटमेन्ट दिलाते हैं, यह कितना उचित है यह आप जानें। लेकिन इससे कोई आदर्श परम्परा कायम नहीं कर रहे हैं और आगे के लिए, सभापति महोदय, जिस ओंकारसिंह को माननीय मुख्य मंत्री जी डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही होम कमिश्नर होने वाला हूं, या किसी बोर्ड का चेयरमैन होने वाला हूं। यह वही ओंकारसिंह हैं, जब 1967 में मैंने चुनाव लड़ा था, और श्याम सिंह खड़े हुए थे तो यहां से छुट्टी लेकर बैठ गये थे और इन्होंने श्यामसिंह का प्रचार किया था। तो मैंने यहां से तार देकर छुट्टी कैंसिल करवाई थी। मैंने कहा था कि राजनीति में एक सरकारी अफसर भाग ले यह उचित नहीं है। अगर उसको भाग लेना है तो सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र देकर भाग ले। सभापति महोदय, ऐसा जिसका बैकग्राउण्ड है, ऐसे आदमी को होम कमिश्नर बना देंगे तो इसको राजस्थान की जनता किसी प्रकार से उचित नहीं समझती है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और इस राजनैतिक पार्टी के गठन के बारे में कहूंगा। लोकतन्त्र

(श्री शंकरलाल)

में एक विचारधारा वाली पार्टियां पनप सकती हैं। जो मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ है और जनता पार्टी के जिस प्रकार के व्यक्ति आये हैं, "नवज्योति" में जो दौलतराम सारण के विषय में लेकर प्रकाशित हुआ है, वह आप पर भी लागू होता है। आपके मन्त्रिमण्डल में किसानों का एक भी प्रतिनिधि स्थान पा नहीं सका है। यह हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है। अलग अलग घटकों के व्यक्ति हैं। वह दिन जल्दी ही आयेगा जब समान विचारधारा वाले लोगों की पार्टियां बनेंगी। उस पार्टी में बैठने वाले लोगों ने शपथ ली है। ठीक है, आज मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री हैं। चन्द्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। रेड्डी साहब राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले हैं या चुन लिये गये होंगे। जार्ज फर्नाण्डिस किस प्रकार से आये हैं और किस प्रकार के विचारों के वह व्यक्ति हैं यह सब जानते हैं। जो आपकी विचारधारा के हैं वह उधर बैठेंगे और जो समाजवादी विचारधारा के हैं, वह इधर आयेंगे।

श्री नवनीतकुमार पालीवाल : उधर से इधर आयेंगे।

श्री शंकरलाल : जनता पार्टी की मेजोरिटी से वह गुमराह हो रहे हैं लेकिन वह एक होकर आयेंगे। तो हिन्दुस्तान की जनता तब खुशहाल होगी जब समाजवादी विचारधारा के लोग एक होंगे।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में जनता के बारे में कहा है, उसमें जनहित की एक भी बात नहीं आयी है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, उन्होंने बेरोजगारी की समस्या के बारे में क्या कहा है। इतना ही कहा है, "बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या है।... सरकार का प्रयास ऐसे काम हाथ में लेने का रहेगा।" योजना क्या है बेरोजगारी मिटाने के लिए ? एक जगह आपने कहा है, "माइन्स में 10 हजार मजदूरों को मजदूरी दे सकेंगे।" यह एक बात जरूर कही है। आपने कहा है, "राजस्थान की अपनी विपुल खनिज सम्पदा है।" राजस्थान के इतने व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे। आप कहते रहे लेकिन अब तक आपने किया नहीं है। आपका कर्तव्य है कि आप करें। वनों के बारे में यह लिखा है, "वन राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। सरकार वनों के विकास के लिए भी कदम उठायेगी।" लेकिन आज किस प्रकार से वन कटते जा रहे हैं। उनके विकास की कोई योजना नहीं है। है तो थोथी योजना है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने समाचार पत्र में पढ़ा होगा। सभापति महोदय, कल ही की घटना है। जयपुर की मिल्क सप्लाई के लोग खेली का गन्दा पानी मिलाते हुए पकड़े गये हैं। तीन आदमियों को खेली का गन्दा पानी मिलाते हुए पकड़ा गया है। जगह जगह टेलीफोन किये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तीनों आदमियों का मुंह काला करके विधान सभा के सामने लाया गया। मैं प्रो. केदार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसके बारे में कार्यवाही करवाई। यह तो जयपुर का हाल है। आपकी सरकार के लोग हैं, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। एक्शन लेंगे

(श्री शंकरलाल)

का समय नहीं है। आपने कहा कि भावों में वृद्धि हुई है। आपने कहा है कि काला-बाजारी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठायेंगे। कड़े कदम उठाने के लिए प्रधान मंत्री ने भी कहा है। आप भी कहते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, क्षमा करेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि व्यापारियों के खिलाफ आप कोई कड़े कदम उठा सकेंगे क्योंकि उन्हीं के पैसों के बल पर आप आये हैं। आज तक कितने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लिया है? कम से कम छः महीने जनता पार्टी के शासन को हो गये हैं। आप कहते हैं कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलायेंगे। फिर इस सम्बन्ध में कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? सभापति महोदय, भावों में वृद्धि के कारण गरीब आदमी परेशान हैं। आज उनको तेल भी अच्छी तरह से नहीं मिल सकता, गरीब और मजदूर आदमी को आप तेल भी सस्ते भाव पर नहीं दे सकते। मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें।

मत्स्य के बारे में लिखा है कि सरकार इस पर सोच रही है। क्या योजना होगी, इसका कोई पता नहीं है।

विद्युतीकरण के बारे में लिखा है कि सरकार इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कनेक्शन की व्यवस्था करेगी। लेकिन जैसे कि भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहते हैं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आपने स्वयं ने भी कई बार कहा है और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, काश्तकार का कनेक्शन काट दिया जाता है इस कारण उसकी फसल सूख जाती है। दुबारा कनेक्शन लगाने के लिए यह लोग हजारों रुपये लेते हैं। इसकी जगह-जगह चर्चाएं होती हैं कि बिजली विभाग के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, मैं इसका स्वागत करूंगा लेकिन आप इस विभाग में....

श्री सभापति : मुझे एक निवेदन करना है, मैं कोई समय की सीमा निर्धारित करना नहीं चाहता लेकिन विरोधी पक्ष को खुद को देखना है कि उनके लिये फिलहाल साढे तीन घंटे निर्धारित किये गये हैं। यह आप लोगों को आपस में तय करना है, साढे तीन घंटे आप ही ले लें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं यह नहीं चाहूंगा कि मैं अकेला ही बोल लूं, मेरे से भी अधिक बुद्धिमान लोग हैं वे बोलेंगे। मैं अब संक्षेप में ही समाप्त करूंगा। मैं यह कह रहा था कि राज्य सरकार ने..

श्री सभापति : आपने 35 मिनट तो ले लिये।

श्री शंकरलाल : मैं सिर्फ पांच दस मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : यह आपके दल की बात है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि 16 जिले

(श्री शंकरलाल)
पिछड़े हुए हैं। आपने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि कुछ और जिले पिछड़े घोषित किये जांय। मैं कहता हूं कि आप इस चीज को देखें कि जोधपुर पिछड़ा जिला घोषित हुआ, पाली के लिए तब से आवाज उठाई जा रही है। पाली को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर जिलों के नाम बताते कि कौन कौन से जिलों को आप पिछड़ा हुआ घोषित करना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व सरकार ने कई अच्छे निर्णय लिये उनको भी आपने रद्द कर दिया। यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई, 75 तक के कब्जों का नियमन कर दिया जायेगा। स्कूल खोलने का निर्णय था, कई प्रकार के टैक्सेज लगाने के निर्णय लिये थे। उन सबको भी रद्द कर दिया गया। सभापति महोदय, चाहे राज्यपाल महोदय ने रोक लगाई या नहीं लेकिन इस सरकार को देखना है कि अगर अच्छे निर्णय हैं, उनको रद्द न किया जाय। आप खराब को रद्द कर दीजिये, लेकिन यह नहीं कि जो अच्छे थे, वह निर्णय क्योंकि उस शासन ने किये थे इसलिए उनको रद्द कर दिया जाय।

मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों के खोलने के बारे में कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं, उससे राजस्थान की जनता पर बुरा असर पड़ेगा। अभी कल ही उदयपुर के कुछ लोग आये थे, शायद निम्बाहेड़ा के थे, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल को हटाकर जनता पार्टी के आदमियों ने दूसरी जगह स्कूल खोल दिया। आपके लोग अवश्य खोलें लेकिन उनकी मान्ग को भी पूरा करना चाहिए। कई जगह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खोले जाने थे, पर आपने स्टे लगा दिया। नागौर में कितने स्कूल हैं, जोधपुर में कितने स्कूल हैं इसकी श्री अब्दुल अजीज लिस्ट बना रहे हैं। कई जगह नोर्म के खिलाफ स्कूल खोले गये हैं तो आप उनको रद्द कीजिये लेकिन आप जो खोल रहे हैं उनका भी नोर्म होना चाहिए। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता इस बात की इच्छुक है, आप सब जानकारी रखें कि यह निर्णय बदले हैं और यह निर्णय रखे गये हैं, यह स्पष्टीकरण सदन के सामने आना चाहिए तब हम आपकी बात को मान लेंगे। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें श्रमिकों की हिस्सेदारी की बात भी कही गई है। माननीय गृह मंत्री महोदय समाजवादी विचारों के व्यक्ति हैं। तालाबन्दी मिटाने और श्रमिकों और मालिकों के मधुर सम्बन्धों की बात भी कही गई है। श्रमिकों की हिस्सेदारी की बात आप कान्क्रीट रूप से लायें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आकाशवाणी से जब महिलाओं और किसानों के लिए प्रोग्राम आते हैं तो क्या आप यह उपयुक्त नहीं समझते कि श्रमिकों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे राज्य में, उनके लिए भी आकाशवाणी से प्रोग्राम आने चाहिए। उनके लिए ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में, मेडीकल फेसिलिटीज के बारे में

(श्री शंकरलाल)
और दूसरी सुविधाओं के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं इस सम्बन्ध में ।

एक माननीय सदस्य : अब आत्मा जागी है ।

श्री शंकर लाल : अब भी जागी, कोई बात नहीं । आप भी करें, अच्छी बात करें । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी बार विधान सभा मे आया हूं । आप कोई भी प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिये, शंकर लाल ने हमेशा इस बात के लिए आवाज उठाई है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी इस बात को जानते हैं । मैं मुख्य मन्त्रीजी को कहूंगा कि मुझे सत्ता मोह नहीं रहा है लेकिन मैं यह अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जो बात कहनी है वह कह कर रहूं ।

एक बात और है माननीय मनोहर सिंहजी मेहता के दिल की बात, पूर्ण नशाबन्दी की । सभापति महोदय, पूर्ण नशाबन्दी की जानी चाहिए । कुछ जिलों में नशाबन्दी की गई है, अब आप उसका विस्तार करें मास्टर आदित्येन्द्र जी ने कहा, सरकार पूर्ण मद्यनिषेध में विश्वास करती है । अब तक जहां पर जिन जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध है उन क्षेत्रों का विस्तार करें । लेकिन मैं विस्तार नहीं पूर्ण नशाबन्दी चाहता हूं । अधूरा करेंगे इससे तो नहीं करना अच्छा, यह मेरा पुराना अनुभव है । जहां आपने बन्द की है वहां पर चोरी छिपे शराब आती है इसलिए आप पूर्ण नशाबन्दी करें, नहीं तो नहीं करें । मैं जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दूंगा और निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह अगुवाई करे, यह मैं चाहूंगा ।

मैंने, सभापति महोदय, दस मिनट के लिए कहा था, बहुत सी बातें हैं, उनको फिर कहूंगा । इतना ही कह कर मैंने जो संशोधन मूव किया था उसको स्वीकार करने के लिए मैं कहता हूं । बाकी जो बातें हैं जो राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं आई हैं उनके लिए खेद है । इसमें जनहित के ठोस कार्यक्रम नहीं आये उसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा गया है । मैं राज्यपाल महोदय का अभिवादन करता हूं । जब राजस्थान को 2.75 करोड़ जनता जनार्दन ने, समाचार पत्रों के माध्यम से इस अभिभाषण को पढ़ा होगा तो जनता को आभास हुआ होगा कि हमारी, हमारे द्वारा व हमारे लिए जो सरकार निर्वाचित हुई है वह राजस्थान का भाग्य कैसे बदलेगी । पूरे 23 पन्नों के भाषण में 8 पन्ने हैं किसान, किसान की समस्या व कृषि पर । यह पहला अवसर है कि जनता पार्टी की सरकार ने कृषि पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । इस अभिभाषण के पूर्व भी हमारे मुख्य मन्त्री ने आज से करीब 13 दिन पूर्व स्पष्ट किया था, राजस्थान में जनता सरकार ने 15।। बीघा जमीन...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं फौजी अनुशासन तो थोपना नहीं चाहता लेकिन यह सदन की परम्परा व प्रतिष्ठा

(श्री सभापति)

रही है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कोई सदस्य आसन व बोलने वाले सदस्य के बीच होकर नहीं निकलें।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन की यह भी परम्परा रही है कि जब आसन पैरों पर हो तो कोई सदस्य खड़ा नहीं रहे। यह काम तो आसन का है, मैं कोई···

श्री सभापति : We will however have a class for them.

श्री परसराम मदेरणा : यहां से एक उपयोगी पुस्तिका भेजी गई है सभी माननीय सदस्यों को संसदीय शिष्टाचार को निभाने के लिए। शायद आज रात वे उसको पढ़ लें तो ज्यादा उचित होगा, इससे सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

श्री सम्पत राम : विरोधी दल के नेता ने जो बात कही वह सही है लेकिन 30 वर्ष के ट्रेंण्ड सदस्य भी खड़े हुए देखे गए।

श्री बाऊ दयाल जोशी : जनता सरकार ने 15 बीघा जमीन पर से लगान माफ किया है, यह समाचार जैसे ही राजस्थान की जनता को मिला, तो उसने सुख की सांस ली। पिछली सरकार के लिए शंकरलालजी जोश से कह रहे थे कि उसकी गलतियों की तरफ ध्यान मत दो। कांग्रेस सरकार बार बार कहती थी छोटी जोत पर लगान माफ करने के लिए लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया। मेरी सरकार ने जो छोटी जोतों को राहत पहुंचाने का फैसला किया है उससे राजस्थान भर में जनता पार्टी के लिए अच्छी राय बनी है।

जनता सरकार ने पहली बार अभिभाषण में कहा है कि हम न्याय सस्ता देंगे, गांव का कोई व्यक्ति शहर में आकर अपने हजारों रुपये न बिगाड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। न्याय व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पहुंचाकर न्याय सुलभ करा सकेंगे, इस प्रकार की धारणा मेरी सरकार ने उपस्थित की है। यह एक नई बात कही है।

मुझे आश्चर्य है कि पिछली सरकार ने विकास की ढींग हांकी है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां चम्बल नहर बनाई है लेकिन आज भी किसानों पर सरचार्ज और बेटरमेंट लेवी लागू है। मानोता में, कोटा जिले में चम्बल विकास के नाम पर पिछली सरकार ने बेटरमेंट लेवी लगाई थी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद मेरे दल के नेता श्री शेखावत ने कहा है कि वह खुशहाली टैक्स समाप्त कर देंगे। एक रुपया टैक्स था तो चार आना इसके ऊपर मांगा। यह पिछली सरकार ने विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया। आज इमर्जेन्सी के नाम पर किसानों से जोर जबर्दस्ती के आधार पर बेटरमेंट लेवी डंडे के बल पर वसूल की गई। शंकरलालजी जोश से कह रहे थे कि पुरानी गलतियों को माफ कर दें। गलतियां कभी माफ नहीं की जा सकतीं। मुझे दुःख है कि शंकरलालजी गलतियों को माफ करने के लिए कह रहे हैं। पिछली सरकार ने जो पाप किए हैं उनके लिए इतना कहने मात्र से कोई छूट जाए, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। पाप का पश्चाताप करने के लिए अच्छा होता कि पुराने कांग्रेसी दिग्गज हरिद्वार जाते जैसे श्रीमती नगेन्द्र बाला गई हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वह कांग्रेस

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

की महामंत्री हैं। उन्होंने भी गलतियां कीं, पाप किए, प्रायश्चित करना है इसलिए वह कोटा में नहीं हैं, वह ऋषिकेश में विराज रही हैं।

मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे साथ जेल में बहुत अन्याय हुए हैं। 11 वर्ष का बच्चा सातवीं कक्षा में पढ़ता था उसने केवल एक नारा लगाया "इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद"। पुलिस ने उसको पीटा। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। डी. आई. आर. में उसको 6 महीने की सजा हुई। यह कहानी सुनने के बाद कांग्रेस सदस्य अपना मस्तिष्क नीचे कर लेंगे, शर्म के मारे उनका मस्तिष्क जमीन में गड़ जाएगा। 4½ महीने के बाद उस बच्चे की मां मर गई। वह रेलवे क्वार्टर में रहता था। सुबह 7 बजे उसका बड़ा भाई जाता है, कहता है कि हमारे छोटे भाई नरेन्द्र, जो जेल में सजा काट रहा है, को अंतिम संस्कार के लिए भगवान के नाम पर केवल एक घंटे के लिए रिहा किया जाए। किन्तु, सभापति महोदय, उस नरेन्द्र को छोड़ा नहीं गया। यहां तक कि उसकी मां की मृत्यु होने की खबर भी उस नरेन्द्र को नहीं दी गयी। उसे यह नहीं बताया गया कि उसकी जननी, उसकी मां, अब इस दुनियां में नहीं रही है। यहां और बाहर कांग्रेस वाले कहते हैं हमें माफ कर दो। क्या इस प्रकार के कार्य करने वालों को कोई माफ करेगा? मैं समझता हूं कि कोई माफी नहीं देगा, इतिहास भी माफ नहीं करेगा। इसी प्रकार, सभापति महोदय, एक उदाहरण में आपको और देना चाहता हूं वह है एक व्यक्ति रामभेजाराम का। सभापति महोदय, यह रामभेजाराम झालावाड़ का निवासी था। उसको गिरफ्तार किया गया था। वह रामभेजाराम, सभापति महोदय, चाय का ठेला चलाता था। जब वह जेल में गया तो उसकी एक बूढ़ी मां थी, रामभेजाराम था और उसकी पत्नी 18 वर्ष की थी, उसके दो बच्चे भी थे। वह गरीब रामभेजाराम इस सारे परिवार का और अपना चाय के धन्धे के माध्यम से पेट पालता था। जब यहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था तब उस रामभेजाराम के सात साल के बच्चे पर टीन गिर जाने से वह बच्चा वहीं का वहीं धराशायी हो गया। सभापति महोदय, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध करने वालों को क्या जनता माफ करेगी? क्या इतिहास माफ करेगा? मैं समझता हूं, इतिहास कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। अभी माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी यहां नहीं हैं अगर वह यहां पर होते और इन सच्ची घटनाओं को सुनते तो उनका मस्तिष्क निश्चित रूप से शर्म से गड़ जाता।

सभापति महोदय, यहां पर पिछली सरकार ने अपनी प्रगति की बहुत बढ़ चढ़ कर डींगें हांकी थीं। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में आयुर्वेदिक शोध शाला खोली है। सभापति महोदय, मैं भी आयुर्वेद में दिलचस्पी रखता हूं क्योंकि मैं भी आयुर्वेद में वैद्य हूं। अपनी रोटी रोजी वैद्यगिरी से कमाता हूं। जिस दिन यह समाचार मैंने जेल में सुना तो मैं मन में बहुत खुश हुआ लेकिन परसों के दिन जब मैं आयुर्वेद विद्यालय गया तो मैंने देखा कि उस आयुर्वेद शोधशाला की बहुत ही दुर्गति है। पिछली सर-

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

कार ने जो आयुर्वेदिक शोधशाला खोलने का ढिंढोरा पीटा था और भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने पिछले दस वर्षों में जो आयुर्वेद के बारे में किये गये काम के बारे में कहा और करोड़ों रुपये का खर्चा उसकी पब्लिसिटी के लिये किया उसका नंगा नृत्य मैंने अपनी आंखों से आयुर्वेद विश्वविद्यालय में देखा। वहां पर आज भी चार चार साल हो गए पर कोई आचार्य पढ़ाने वाला नहीं है। उसका कारण यह है कि इन्होंने यानि पिछली सरकार ने जो वेतनमान रखे हैं वह इतने कम हैं कि लोग आते ही नहीं। तो जहां पढ़ाने वाला नहीं वहां क्या प्रगति शोध की हो सकती है? वहां पर मैं समझता हूं कोई भी शोध का काम नहीं हुआ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं। अभी पिछली सरकार ने जो ग्रेड रिवाइज किये हैं वह इस प्रकार हैं कि आज से करीब 16 वर्ष पहले सन् 1959 में जो ग्रेड रिवाइज किये थे वह थे 130 से स्टार्ट और अब जो पिछली सरकार ने ग्रेड वैद्यों के रिवाइज किये हैं वह हैं 120 से ग्रेड शुरू। उनसे यह भी कहा गया है कि जो उनको पहले ज्यादा पैसे मिल गये हैं वह उनसे वापिस रिकवर किये जायेंगे। सभापति महोदय, इस प्रकार के ग्रेड यहां 650 वैद्यों के रिवाइज हुए हैं। कुल 650 व्यक्ति हैं जिन पर यह असर पड़ेगा। बड़े ही आश्चर्य की बात है, सभापति महोदय, पिछली सरकार ने उन गरीब वैद्यों से सन् 1959 से रिकवरी की मांग की है। सभापति महोदय, वैद्य एक गरीब तबका है। सन् 1959 से अगर आप उनसे पैसा रिकवर करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अगर उनके घर के थाली लोटा, बाल्टी तक बेच दें तो भी बेचारे वैद्य आपको इतनी रकम नहीं दे सकते।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, थोड़ा मैं संस्कृत के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, पिछली सरकार द्वारा संस्कृत की भी बहुत भारी उपेक्षा की गयी है। मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी रह चुका हूं इसलिये मेरी संस्कृत में थोड़ी रुचि है। आज स्थिति यह है कि आपके यहां पर जो संस्कृत विभाग है उसका पिछले तीन चार साल से कोई डाइरेक्टर तक नहीं है। किसी डाइरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा पिछले 13 साल से यहां पर कोई संस्कृत का विश्वविद्यालय नहीं खुला है। सभापति महोदय, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान अधिक आसानी से हो सकता है। आयुर्वेद का संस्कृत से कुछ संबंध ज्यादा है। जब संस्कृत का कोई विश्वविद्यालय ही नहीं खुला तो फिर यहां पर संस्कृत का विकास कैसे होगा? तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में संस्कृत का पूर्ण विकास होने की कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, पिछली राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में खनिज सम्पदा के बारे में बहुत कुछ कहा था। उनके विकास के बारे में काफी ढिंढोरा पीटा था। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे क्षेत्र में एक तलवास गांव है जहां पर एक पहाड़ है उसे लोहडूंगरी कहते हैं। सभापति महो-

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

दय, वह पहाड़ लोह डूंगरी के नाम से ही जाना जाता है। उस लोह डूंगरी में लोहा भरा पड़ा हुआ है लेकिन पिछली राज्य सरकार ने उसे छुआ तक नहीं। इसके साथ साथ हमारे यहां पर सीमेन्ट का कारखाना भी था वहां पर बहुत मात्रा में खनिज दबा पड़ा हुआ है उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वहां पर जो खनिज भण्डार लोहे का है उसका विकास होना चाहिये। सीमेन्ट की फैक्ट्री भी जहां पर लग सकती है वहां लगायी जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, पिछली सरकार ने कृषि मण्डियों का कई जगह निर्माण किया है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि गांवों में मण्डी समितियों का विकास अधिक से अधिक होना चाहिये। पिछली राज्य सरकार ने 112 मण्डी कमेटियों का निर्माण किया है। मेरा राज्य सरकार से और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि मन्डी समितियों का अधिक से अधिक विकास होना चाहिये।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पंचायतों के चुनावों के बारे में कहा गया है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह राज्य सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है। आज पंचायत समितियां, जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें वर्षों से चुनाव नहीं होने के कारण बेकार पड़ी हुई हैं। पिछली सरकार लोकतन्त्र की दुहाई देती थी लेकिन उसने 12–12 साल से चुनाव नहीं कराये। अभी थोड़ी देर पहले शंकरलालजी लोकतन्त्र की बात करते थे लेकिन जो सरकार 12–12 और 13–13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये वह कैसे लोक-तंत्र की हामी हो सकती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारे राजस्थान में पंचायतें, पंचायत समितियां, और जिला परिषदें सिर्फ कोढ़ बन कर रह गयी हैं, उन के पंच और सरपंच और प्रधान लोगों का काम इनके माध्यम से सिर्फ उदर पूर्ति करना ही रह गया है। यह ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियों का काम अब सिर्फ बदला लेना ही रह गया है उनका यही काम रहा है कि जिन्होंने कांग्रेस का काम नहीं किया उनको दूसरी जगह फेंक दिया। खास तौर से मेरे क्षेत्र में तो इन्होंने यह काम किया सिर्फ बदले लेने का ही काम किया है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस कोढ़ को समाप्त करके इनकी जगह आप प्रशासक नियुक्त करें।

मेरी मान्यता है कि भ्रष्टाचार की जो बात कही गयी है, एक भी कांग्रेस का माननीय सदस्य इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि पिछले पांच साल, सात साल और दस साल से जो थानेदार रहे, उन हर थानेदार के पास 50 हजार से एक लाख तक का मकान है। थानेदार का वेतनमान केवल मात्र यू. डी. सी. का वेतनमान है और उनके पास इतने बड़े बड़े मकान हैं..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलते 20 मिनट हो गए हैं। आप कृपया समाप्त करें।

श्री बाऊदयाल जोशी : समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी प्रापर्टी वह कैसे बना लेते थे ? कांग्रेस के किसी भी माननीय सदस्य ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं मांग करता हूं और जनता चाहती है कि बड़ा धमाका हो, लोग महसूस करें कि जो पिछले राज्य में भ्रष्टाचारी थे वह जेल के सीखचों में जायेंगे। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वह मंत्री हो या सन्तरी हो यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आजकल हमारी जेल बहुत अच्छी बनी हुई हैं! मेरे क्षेत्र की जेल में भी फ्लेश की लेट्रीन बन गयी हैं और ऐसी सुविधाओं से वह सुसज्जित हो गयी हैं, मंत्री हो या सन्तरी हो, जो भी हो यदि भ्रष्टाचारी है तो उनके लिए वहां बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। जेलों का और भी आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस हाउस में बैठने के बजाय वह जेलों में जाकर आराम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले की बड़ी भारी उपेक्षा की गयी है। मेरे क्षेत्र में एक क्षेत्र का नाम है उजाड़ा जिसमें चम्बल और कालीसिंध के दर्रे हैं और वहां निवास करने वाले ग्रामीणों को आज भी कोई सुविधा नहीं है। स्टेट के समय में इसलिए उजाड़ा नाम रखा था कि स्टेट का हमेशा ध्यान रहे कि कोटा डिविजन में उजाड़ नाम का कोई क्षेत्र है जिसका विकास होना चाहिए। वहां के क्षेत्र के लिए 30 सालों में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी गयी। सड़कों की तो बात ही छोड़ दें, वहां कोई बांध नाम की चीज नहीं दीखती। मैं चाहता हूं कि नई सरकार आई है वह इस ओर ध्यान देगी। शंकरलाल जी बड़े ठाठ से कह रहे थे कि स्कूल खुलने में पक्षपात किया है। सभापति महोदय, पक्षपात तो पिछली सरकार ने किया था इसलिए मेरे क्षेत्र में 13 साल से एक भी हाई स्कूल नहीं खुला। अब 13 साल के बाद मेरे क्षेत्र में उजाड़ स्कूल खुला है। पहली बार वहां हाई स्कूल की स्थापना हुई है। पिछले शासनकर्ताओं के क्षेत्र में तीन तीन और चार चार मील के टुकड़े में और झोंपड़ी झोंपड़ी में स्कूलों की स्थापना हुई है। मैं नहीं कहता कि बुरी बात थी। होनी चाहिए लेकिन इतनी बड़ी उपेक्षा दूसरे क्षेत्रों के साथ क्यों ? कोटा का क्षेत्र जो सारे राजस्थान का भरणपोषण करे उसके प्रति इतनी बड़ी उपेक्षा ? सड़कों के लिये निवेदन किया है कि राजस्थान में केवल मेरे क्षेत्र कोटा में पत्थर की खानें हैं। सारे भारत में शानदार पत्थर रामगंजमण्डी से जाता है लेकिन खानों तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं और आज वहां करोड़ों रुपयों की सम्पदा पड़ी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक बात कह कर समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह बातें ऐसी हैं कि जो बजट सेशन के दौरान उठाई जा सकती हैं। जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या देखते हुए आपको समय कम लेना चाहिए।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण, हमारे 2 करोड़ 57 लाख जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष उपस्थित किया

(श्री दारूदयाल जोशी)

है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान का एक नक्शा राजस्थान की जनता को मिला है जिसके माध्यम से हम राजस्थान को खुशहाल बना सकेंगे। जनता निश्चित रूप से जनता पार्टी की ओर निहार रही है और उसका प्रतिबिम्ब है इस भाषण में। इस प्रकार का अभिभाषण देकर सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन को और जनता को उपकृत किया है उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। राजस्थान की जनता पर पिछली सरकार ने जो जूआ जबरदस्ती थोपा हुआ था उसको उखाड़कर फेंक दिया और जिसका सूत्रपात्र जयप्रकाश जी ने किया उनका भी अभिवादन, अभिनन्दन और उनको धन्यवाद अर्पित करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

जय भारत!

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : सभापति महोदय, जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री माणकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किया है उसके अन्त में निम्न शब्द और जोड़ दिए जायें:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई भी जनहित का ठोस कार्यक्रम नहीं दर्शाया गया"।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की पालिसी का एक स्टेटमेन्ट हुआ करता है। इस अभिभाषण में शेखावत सरकार की क्या रीति-नीति रहेगी, किस प्रकार से यह सरकार आने वाले एक वर्ष में इस राजस्थान की 2।। करोड़ जनता की रोटी-रोजी का प्रबंध करेगी, क्या क्या और कदम उठायेगी—उसका दिग्दर्शन होना चाहिए था। लेकिन, सभापति महोदय; आप उस भाषण को यदि देखेंगे तो शुरू से लगाकर करीब 4 पेजेज सिर्फ इस बात से भर दिये गये हैं कि अन्धा राज्य था, अंधेरा था, मीसा का यूज किया गया था, लोगों को परेशान किया गया, उन्हें जेलों में ढकेल दिया गया। यह बातें तो हुईं लेकिन इन्हें लिखने से गरीब जनता का पेट नहीं भरता। इन्हें लिखने से आपकी क्या योजनायें हैं उनके ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिए मैं खास तौर से, सभापति महोदय, आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है वह अपने सामने से गुजरा है। जो गलतियां हुईं वह हुई हैं उनसे हमें कोई शर्म नहीं आती और उन्हें हम मन्जूर करते हैं लेकिन हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आज जो आप इतने खुश हो रहे हैं और आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े जन प्रतिनिधि हैं इसलिए चुने गए तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। जनता चेन्ज चाहती थी। निरंकुश शासन भी जो लम्बे काल तक रहा है उसको भी हटाया गया। इतिहास साक्षी है कि अकबर जैसे महान शासक जिसने स्वयं सलीम को पाने के लिए आगरा से अजमेर तक पदयात्रा की थी उसी सलीम ने लम्बे शासन काल के कारण विद्रोह किया। प्रजातंत्र के अन्दर दुनियां के इतिहास में पहली मिसाल है कि कांग्रेस की हुकूमत लगातार 30 वर्षों तक रही। हम चाहते हैं कि यह चेन्ज आये और हमें इसमें अफसोस नहीं होना चाहिए। जनता ने जो फैसला किया उसे हम मन्जूर करते हैं

(श्री खेतसिंह)

लेकिन मैं आपको भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस खुशी से जो फूले जा रहे हैं इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। निश्चित मानिये हमने तो तीस साल गुजारे आप 30 महीने भी नहीं गुजार सकेंगे और आपका राज्य खत्म हो जावेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी बातों को भुलाकर नये कार्यक्रमों पर आइये और सोचिये कि आप राजस्थान को क्या बनाना चाहते हैं, सोचिये कि आप राजस्थान में किस प्रकार से कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कह दिया कि हम यह करना चाहते हैं उससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

सभापति महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी ने मुख्य मंत्री बनते ही यह स्टेटमेंट दिया कि हम राजस्थान में भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो उनका स्टेटमेंट हुआ। लेकिन स्टेटमेंट से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सुमेरपुर से आने वाले हमारे राज्य मंत्री जोधपुर गये और वापिस आये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने भ्रष्टाचार को पकड़ लिया। जब उनके हाथ में आ गया है तो उसको खत्म करने में दिक्कत क्या आ गई है? मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार की स्थापना को जुम्मे-जुम्मे 30 दिन हुए हैं इन 30 दिन के कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने समय 20 मिनट ही दिये हैं इसलिये ज्यादा लम्बी तकरीर नहीं करूंगा।

जयपुर की म्यूनीसिपल कौंसिल के अन्दर एक सिद्दीकी नाम के अधिकारी हैं। वे रिश्वत के केस में पकड़े गए थे। भ्रष्टाचार उन्मूलन डिपार्टमेंट ने केस चलाया, तफतीश हुई, यह साबित हुआ कि वाकई जुर्म है। चालान पेश करने की बात आई। जब उनका चालान पेश कर रहे थे तब आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने उनके चालान को रोक दिया और इस कोशिश में लगी हुई है कि मामला आगे न बढ़े। जो सस्पेंड हुआ था उसको बहाल कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण पेश करता हूं। सभापति महोदय, 10 दिन पूर्व एक मेडिकल आफिसर रमेश शर्मा 15 रुपये रिश्वत लेते हुए सवाई माधोपुर में पकड़े गये। जब पकड़े गये तो गिरफ्तार करना चाहिए।....

श्री अध्यक्ष : कब पकड़े गये?

श्री खेतसिंह : 10 रोज पहिले की बात है। ए. सी. डी. चालान पेश करना चाहता था, उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था तो यहां से पोलिटिकल प्रेशर गया और यह प्रयास किया गया कि उन्हें हथकड़ी न पड़े। इसलिये उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सात रोज तक अस्पताल में भर्ती रहे ताकि जमानत हो जाये। इस बीच जमानत करवा ली और हथकड़ी नहीं पड़ने दी। इस प्रकार भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। माननीय सदस्यों के यह सोचने की

(श्री खेतसिंह)
बात है कि यह रमेश शर्मा आपके इन मंत्री महोदय श्रीमती पाठक के भाई हैं।

सभापति महोदय, मैं एक तीसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वह यह है, सभापति महोदय, इन्हीं राज्य मंत्री श्रीमती पाठक के पति डा. पाठक हैं जो इस्तीफा देने के बाद अपना पी. एफ. उठाकर ले गये। उसके बाद उन्होंने भारत सरकार से प्रयत्न करके लीबिया के अन्दर सर्विस ले ली। लीबिया के अन्दर उन्होंने सर्विस की और काफी पैसा कमाया। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी राज्य के मंत्रिमण्डल में आ गई हैं तब वे वापिस आये और यहां तक हुआ कि उनकी सर्विस खत्म हो गई थी लेकिन पोलिटिकल प्रेशर से उनकी सीनियोरिटी से वापिस उनको एनाटोमी का प्रोफेसर बनाकर जोधपुर मेडिकल कालेज में लगाया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। यह बातें कहने की और हैं और करने की कुछ और। इसलिए मैं इन सारी समस्याओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं आपको एक उदाहरण इस तरह का और भी देना चाहता हूं। श्री शेखावत जी के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य कभी कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ। आप इनको ट्रेनिंग दीजिये कि पालिसी स्टेटमेंट देने का अधिकार किसको है किसको नहीं, किसको कहना चाहिये किसको नहीं कहना चाहिये। सुमेरपुर से आये राज्य मंत्री ने कहा कि पंचायतों के चुनाव हम बहुत जल्द करा रहे हैं। उनका विभाग नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है वे राज्य मंत्री हैं, मंत्री मंडल में बैठते नहीं वे इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यही राज्य मंत्री महोदय कुछ रोज पहिले जयपुर जेल के अन्दर इत्तिफाक से टपक पड़े और उन्होंने वहां कैदियों का इन्सपेक्शन किया। उनका हक है, कर सकते हैं, करना चाहिये था और उन्होंने किया। कैदियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कैदियों से तकलीफें पूछीं तो कहा गया कि उन्हें एक-एक पाव दूध मिलना चाहिये। राज्य मंत्री ने वहीं आश्वासन दे दिया कि कल से मिल जायेगा। उन्होंने तालियां बजाईं...

श्री विज्ञान मोदी : माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : मैं सारे फैक्ट्स कह रहा हूं पूरी बात सुन लीजिये। राज्य मंत्री ने जब यह आश्वासन दिया तो कैदियों ने जय जयकार की। उसके बाद जेल के आफिस में बैठकर उन्होंने आई.जी. को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इनका दूध शुरू हो जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान नहीं है। आपने कहा, यह तो होना ही चाहिए। आखिर विज्ञान मोदी का कमिटमेंट है यह पार पड़नी चाहिये। तो, मान्यवर, वित्त मंत्री जी से बजट प्राविजन करा दीजिये, इन सबको दूध शुरू कर देंगे। फिर आप उठकर आ गये। कैदियों ने यह समझा कि कल से दूध शुरू हो जायेगा। कैदी हड़ताल पर बैठे हैं, अलवर की जेल में हड़ताल हो गई है और सब कैदी कहते हैं हमें दूध मिलना चाहिये। वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि राज्य मंत्री

(श्री खेतसिंह)

की बात रखने के लिये सवा करोड़ रुपये की मन्जूरी कर दें, नहीं तो आपकी ही नहीं सदन की शान और गरिमा को धक्का लगेगा।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, इस अभिभाषण के दौरान यह बात कही गई है कि हमने बहुत बड़े काम किये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शेखावत जी आप यहां मौजूद नहीं है, आपका मंत्रिमण्डल भी पूरा नहीं बना। शपथ लेने के लिये श्री गोपाल सिंह जी जा रहे थे। उनको बधाई के तार भेज दिये। लेकिन बाद में मालूम हुआ वह शपथ नहीं हुई। इस तरह का मंत्रिमण्डल है जो कहे कुछ और करे कुछ। पहले रोज एक स्टेटमेंट, दूसरे दिन दूसरा स्टेटमेंट। यह सारी बातें इस बात की द्योतक हैं कि आपमें एकता नहीं। आप एक भावना से चुने हुए नहीं हैं। पहले आप अपना मुंह आईने में देखिये...

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : रंग काला है।

श्री खेतसिंह : फिर दूसरों को कहने की कोशिश करिये। आप 2½ करोड़ जनता के लिये खाने के लिये, पीने के लिये, कपड़े के लिये, मकान के लिये, बच्चों की पढ़ाई के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा।

आपने यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं। कहने से क्या काम चलता है। शिक्षा की प्रगति तो हो ही रही है, आपकी नई सरकार आई है तो आपको कुछ पालिसी बनानी चाहिये थी। 10+2+3 को लागू करने की आपकी नीति है कि नहीं? क्या आप उनको मंजूर करते हैं कि नहीं? क्या आप शिक्षा की नीति में परिवर्तन लाना चाहते हैं? लाखों छात्रों की नजर आप पर है। शिक्षा मंत्री अपने वक्तव्य के समय यह बतायें कि आप राजस्थान में इस वर्ष से 10+2+3 को लागू कर रहे हैं कि नहीं? आप यह बतायें कि आप नीति में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं? आपने कहा कि हमारी सरकार इस में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। आमूलचूल तो न मालूम कहां गया, हां परिवर्तन आ गया लेकिन वह परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आप वही बात कहें जो कर सकते हैं। आज जनता की आकांक्षायें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग समझते हैं, जयपुर गये और हमारा सारा का सारा काम हो जायेगा। गृह मंत्री जी के बंगले पर भीड़ लगी रहती है कि हमारा ट्रांस्फर यहां से वहां हो जाये, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग हैं जो थानेदार के भेजे हुये लोग हैं, जो गंगानगर में लगे हुये हैं उनकी वे यहां पैरवी करने आये हैं। आप उन लोगों से कहिये कि वे इस तरह न करें। मैं यह कहना चाहता हूं, गंगानगर जिला...

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : गंगानगर ही नहीं सब जगह...

श्री खेत सिंह : गंगानगर जिले में हमेशा इस तरह से भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा रहा है। एक गंगानगर जिले के अन्दर से आप भ्रष्टाचार खत्म कर देते हैं तो मैं मान लूंगा, गृह मंत्री जी, आपने निश्चित रूप से कामयाबी हासिल की है लेकिन यह नहीं हो रहा है..

श्री माणक चन्द सुराणा : सारे राजस्थान में खत्म किया जायगा। सारे राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म किया जायगा केवल गंगानगर में ही नहीं।

श्री खेत सिंह : भाई माणक चन्द जी, सब पता चल जायगा कि क्या-क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

देखिये इस सदन की यह परम्परा रही है कि दोनों तरफ के सदस्यों को बोलने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। यहां लॉ आफ रेलेवेन्सी तो लागू नहीं होता है, कुछ भी बोलें यह उन पर है लेकिन इधर से या उधर से जब बोलने का मौका आये तो यह कहिये कि यह सब गलत था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सभापति महोदय, बिलकुल गलत, बोलने की तो छूट नहीं दी जानी चाहिये।

श्री सभापति : कहां किसने कितनी झूठ कही यह तो देखने का इस आसन का अधिकार है।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस अभिभाषण में यह बात आई कि स्वेच्छा से परिवार नियोजन करना है तो फिर लक्ष्य क्यों रखा गया है...

श्री नवनीत पालीवाल : कहां है लक्ष्य ?

श्री खेतसिंह : भारत सरकार ने यह लक्ष्य दिया है कि आपको इतने इतने आपरेशन करने हैं। इसको भी जब आप अपना जवाब दें तो बता दें...

श्री नवनीत पालीवाल : कुछ लक्ष्य तो बतायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को कोई भी बात कहनी है तो आसन के प्र. कहें।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, इस सरकार की बड़ी अजीब नीति है। चित्त भी मेरी और पुट भी मेरी। सागड़ी प्रथा हमने खत्म की, बन्धक मजदूरों को हमने छुड़वाया और आपने लिखा है जो मुकदमे विथड्रा किये हैं यह बिलकुल गलत किये हैं। उस समय तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे इन लोगों पर क्यों मुकदमे किये हैं और जब विथड्रा कर लिया तो आपने यह भी लिख दिया। सारे भाषण का टोटल मिलाकर यह सार है, हमको बदनाम करने से ही सारे राजस्थान की समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर आप भर पेट कीजिये। इससे तो समस्या बढ़ेगी, यह आप निश्चित मानिये। जब से यह सरकार आई है लोगों ने जगह जगह अपनी बहियां लेकर सताना शुरू कर दिया है। उन्होंने वसूली शुरू कर दी है।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जमींदारों की जमीन सीलिंग में गई थी उनके द्वारा वापस हड़पने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिये मैं आगाह करना चाहता हूं जब आप गरीबों को, अनुसूचित जातियों को, हरिजनों को सहायता देना चाहते हैं और यदि आपने यह दृढ़

(84)

(श्री खेतसिंह)
संकल्प किया है, आपका फर्ज बनता है कि आप फ्लाइंग स्क्वेड बनायें और जहां कहीं अतिक्रमण हुआ है उनको हटायें। लोगों को राहत दीजिये तभी आप सही मायने में जनता पार्टी की सरकार कहने के अधिकारी होंगे अन्यथा जो आज स्थिति बनी हुई है और जो कुछ हालात बिगड़े हुँ वे इन बातों से अच्छे होने वाले नहीं हैं। आज राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, चोरियां बढ़ी हैं, गड़बड़ियां बढ़ी हैं। जब तक क्लियर डाइरेक्शन नहीं दें तब तक आपके अधिकारी डरते हैं कि यदि हमने एक्शन लिया तो कल हम सस्पेन्ड न हो जायं। इसके कारण न बरामदगी मिलेगी और न राहत मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी कमियां हैं उनको बताने के लिये हम यहां बैठे हैं। आप सही रूप में अच्छा राज्य चलायें उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह हकीकत है कि आपके इस थोड़े से अर्से के राज्य में जिस तरह की चोरियां और गड़बड़ियां हो रही हैं उतनी पहले नहीं थीं। आज शहर में जायं तो सीमेन्ट नहीं मिलती है, आज डालडा नहीं मिल रहा है, दालें नहीं मिलती हैं, यहां तक कि लिप्टन टी तक नहीं मिलती है और साबुन नहीं मिलता है तो आप निश्चित मानिये लोगों की समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। उन समस्याओं को मिटाना आपका फर्ज है। यदि आप नहीं मिटायेंगे तो आप दोष के भागीदार होंगे। हम तो आपको सही रूप में कन्स्ट्रक्टिव अपोजीशन के रूप में कहेंगे चाहे मुख्य मंत्री जी हों और चाहे और कोई हमारा भाई हो, हम विश्वास दिलाते हैं कि सही बात कहने से डेमोक्रेटिक परम्परायें जमेंगी, निश्चित रूप से जमेंगी और हम आगे बढ़ पायेंगे और समस्या का भी निश्चित रूप से समाधान ढूंढ पायेंगे।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन महीनों में प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है। आज हालत यह हो गई है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट सोच रहा है कि उनको दो महंगाई भत्ता और दिया जाय। आपने यह कहा है कि बेरोजगारी मिटा देंगे और बेरोजगार को भत्ता देकर उसका पालन किया जायगा लेकिन इस भाषण में आपने कहीं उसका जिक्र नहीं किया है, न भत्ता देने की बात ही आई है और न बेरोजगारी मिटाने की ही बात आई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कंक्रीट कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम सामने लायें जिससे सही रूप से जनता की भलाई कर सकें और जनता का विश्वास ले सकें। मैं आज यह कह सकता हूं कि उत्पादन बढ़ा नहीं घटा है। तालाबन्दी बढ़ती जा रही है और मजदूरों में फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी है। स्थिति इस तरह की रही तो देश की हालत बिगड़ जायगी और फिर इस सरकार के हाथ से शासन निकल जायगा, जो आशा लिये बैठे हैं वह अधूरी रह जायगी। इसलिए इन समस्याओं का समाधान ढूंढें तभी हम जनतन्त्र को मजबूत कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे।

सभापति महोदय, मेरी ओर बार बार देख रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि न आपका कोई कार्यक्रम ठोस है, न कोई बुनियाद है इसलिए हम इस धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए विरोध करते हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती विद्या पाठक, राज्य मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री सभापति : माननीय श्रीमती विद्या पाठक कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहती हैं ।

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगी कि जिस सदन में बैठ कर वे बात कर रहे हैं और जिस जिम्मेदारी के साथ वे बात कर रहे हैं, जितने डायरेक्ट एलीगेशन वे लगा रहे हैं उसके पहले पूरे तथ्य एकत्रित कर लिया करें । सबसे पहले तो मैं यह कहती हूं कि सवाई माधोपुर के जिस रमेश कुमार शर्मा का सवाल है, यह सही है कि वह रिश्ते में मेरा तयेरा भाई है । यह भी सही है कि उसका कोई पोलिटिकल कैरियर कभी नहीं रहा । इसके पहले जो आपके विधान सभा में मंत्री हुआ करते थे उनसे उनका गाढ़ा सम्बन्ध हुआ करता था । पुराने सम्बन्ध हैं उनके साथ में और इस घटना के बाद में एक साहब, जो इसी सदन के सदस्य हैं, मुझ से कहा था कि आपने इनको मेरे पीछे क्यों लगा दिया ? आप उनसे पूछिए मेरा जवाब क्या था ? मैंने कहा कि कानून अपना अधिकार रखता है, कानून का अपना दायरा है, यह आपके और उनके बीच की बात है and I have nothing to do with it.

नम्बर दू, मैं यह कहना चाहती हूं कि रमेशकुमार शर्मा ने भी मुझ को अप्रोच किया and I can tell you that I give him no assurance. I told him that the things will have to follow their own course.

उसने मेरे माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एप्रोच नहीं किया ...

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिए ।

श्रीमती विद्या पाठक : Sorry. हिन्दी में ही बोलूंगी ।

मैंने अपने माध्यम से किसी को भी अप्रोच नहीं किया और सम्बन्धित अधिकारियों को भी यही कहा कि जो लॉ का कोर्स है, जो ड्यू है वह उसको मिल जावे, मेरी इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं है । यह बिल्कुल स्पष्ट बात है, आप पता लगा लीजिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी ज्ञात कराना चाहती हूं कि जोधपुर में तीन डाक्टर पाठक थे जो इमर्जेंसी के शिकार हुए थे । जो कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, जो इन्टरनेशनल फेम के साइंटिस्ट हैं उनको विदाउट रीजन सस्पेंड कर दिया गया । उनकी सर्विस टर्मिनेट की गई और उसके बाद जब वे प्रैक्टिस करने लगे, उनके केसेज जब रिव्यू हुए तो उनको री-इंस्टेट किया गया । मेरा दूर-दूर तक के रिश्ते में भी उनसे कोई रिश्ता नहीं है केवल इतना है कि वे जोधपुर के डाक्टर पाठक हैं । तो जैसा मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य को जो जानकारी दी गई है

(श्रीमती विद्या पाठक)

उसको यहां पर कहने से पहले क्लेरीफाई, वेरिफाई करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया पहले भी वे फिजियो लोजी के प्रोफेसर थे। उन्हीं डाक्टर सी. एस. पाठक को फिजियोलोजी में नौकरी दी गई है।

नम्बर श्री, लोबियां जाने वाले जिन डाक्टर का जिक्र किया गया है वह डाक्टर एस. के. पाठक हैं वे जोधपुर में भी जूरिस्ट थे और बीकानेर में भी जूरिस्ट रह चुके हैं उनसे मेरा रिश्ता देवर का है··

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया, क्या वह आपके पति तो नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : जी नहीं, श्री आर. के. पाठक मेरे पति हैं। उनके बारे में मैं अभी जानकारी रखूंगी।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सदस्य से क्षमा याचना कराई जाय, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : माफी मंगाओ।

एक माननीय सदस्य : जब आरोप लगाये हैं तो उनको माफी मांगनी होगी सदन में खड़े होकर यह गम्भीर आरोप है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उधर से आरोप आया, इधर से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। निर्णय इस सदन को करना है कि आप अपना क्या मानस बनाते हैं। इधर से सच्चाई आई, उधर से क्या आया, इसमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए।

श्री मंजूरअली : आपके बयान की ताईद में बोलने के लिए मुझे भी आधा मिनट दिया जावे।

श्री सभापति : नहीं, आप बैठिये।

श्री मंजूरअली : आपने रैफर किया है।

श्री सभापति : आपको मौका मिले तो आप कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये वह तो बिल्कुल असत्य सिद्ध हुए हैं और असत्य ही है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि माननीय खेतसिंहजी भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप यह परम्परा डालना चाहेंगे कि किसी मंत्री या सदस्य के विरोध में व्यक्तिगत आरोप लगायें और नियमानुसार उसकी पूर्व सूचना भी उनको नहीं दें। यदि इस प्रकार की परम्परा डालना चाहें तो उचित नहीं होगा। वैसे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बता दें कि क्या किसी सदस्य के ऊपर या माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगाने के पूर्व उसकी सूचना देने का इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है? प्रावधान है। तो माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इसका उल्लंघन क्यों किया? उल्लंघन करके आप आशा करते हो कि इससे आपको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रसिद्धि होगी तो यह होने वाली नहीं है। मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि आप कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, हमें इस बात की बड़ी खुशी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय खेतसिंहजी, बैठिए। आप बैठिए। इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

आपको और कुछ कहना हो तो आप कहिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी कि यह जो एस.के. पाठक हैं, जिनकी बात है, ये लीबिया गए हैं। ये बीकानेर में और जोधपुर में जूरिस्ट रह चुके हैं। उनसे मेरा रिश्ता भी जरूर है। उनके बड़े भाई डाक्टर आर.के. पाठक मेरे पति हैं। पिछले पच्चीस वर्षों से राजस्थान मैडिकल कालेज में सर्विस करते रहे हैं। उन्होंने अपना रिटायरमेंट सीक किया और वह इसलिए किया कि पिछली गवर्नमेन्ट द्वारा, क्योंकि मैं विरोधी दल में काम करती थी, जनसंघ की नेता रही, इस नाते उन्हें बार-बार प्रमोशन से रिफ्यूज किया गया और उनकी पर्सनल फाईल पर नोट लगाया गया कि क्योंकि इनकी बीवी इस सरकार के खिलाफ पार्टी की सदस्य है, जनसंघ में काम करती रहा है इसलिए इनको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के योग्य नहीं समझा जाय। इस तरह से तीन बार जूनियर्स को सीनियर बना दिया तो उन्होंने इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर रिटायरमेण्ट सीक किया। उसके बाद उनको ईराक से ऑफर मिला तो वे ईराक चले गए। अभी छुट्टी पर आए हुए हैं। कोई पोलिटिकल फेवर गेन करने की इस तरह की चर्चा भी नहीं है और कोई बात उनके हृदय में भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय से केवल मात्र यही कहना चाहती हूं कि जो भी बोलें, फैक्ट्स के आधार पर बोलें। इस तरह किसी सदन के सदस्य पर बेसलेस लांछन लगाना न्याय के विरुद्ध है, शोभनीय नहीं है।

श्री सभापति : माननीय विद्या पाठक के सम्बन्ध में जो आरोप लगाए गए थे उसके बाबत केवल इतना ही कह देना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों को सावधान करना चाहता हूं कि भविष्य में कोई पर्सनल आरोप किसी सदस्य या मंत्री के सम्बन्ध में लगाने से पहले अध्यक्ष महोदय को सूचना दी जावे ताकि वे इस सम्बन्ध में तैयार रहें।

श्री माधोसिंह कछवाहा : सभापति महोदय...

श्री सभापति : बैठिए। माननीय विज्ञान मोदी।

श्री विज्ञान मोदी (राज्य मंत्री, कारागृह) : सभापति महोदय, मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य है कि सम्माननीय सदस्य, जो कि पिछली सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं, को शायद मालूम नहीं है कि राज्य मंत्री मंत्रिमण्डल की बैठक में हिस्सा लिया करता है या नहीं। मैंने जोधपुर के अन्दर प्रेस सम्मेलन के अन्दर यही कहा था कि स्वायत्त

(श्री विज्ञान मोदी)

शासन संस्थाओं के चुनाव बहुत ही जल्दी कराने का सरकार का विचार है। शायद सदस्य महोदय उस खबर को सही ढंग से नहीं पढ़ पाये हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि स्वायत्त शासन राज्य मंत्री होने के नाते इसके बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे है।

दूसरा जेल के बारे में है। माननीय सदस्य को या तो गुमराह किया गया है या उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उनको यह सब अजीब लग रहा है कि जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, वे जनता से चुने हुए हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात को सुनते हैं चाहे जेल हो, जेल के बाहर हो। शायद वे अपने कार्यकाल के दौरान जनता से कटे हुए रहे होंगे। हम चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए हमारा यह फर्ज है कि हम जेलों में जाकर कैदियों से मिलें। वहां पर कैदियों द्वारा मुझ से दूध के बारे में कहा गया था कि चूंकि बीमार कैदी हैं, अस्पताल के डाक्टर ने सब का दूध बंद कर दिया है ऐसा नहीं है। जो सूचना कैदियों द्वारा मुझे दी गई थी, वह गलत निकली। बाद में मैं अधीक्षक के कमरे में गया था। वहां पर मालूम हुआ कि सब का दूध बंद नहीं किया गया बल्कि कुछ बंदियों का दूध, जिनका डाक्टर ने बंद किया था, बंद किया गया है। कैदियों के सामने मैंने यह घोषणा की थी कि दुर्भावनावश बंद किया गया है तो मैं बात करूंगा। सब बंदियों का नहीं जो रोगी हैं, एक साथ दूध बंद किया गया है तो मैं डाक्टर से बात करूंगा। जेल अधिकारियों से बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि जो बंदी बीमार थे, वे एक साथ ठीक हो गये होंगे। उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनका दूध वापस शुरू किया जायेगा। जब डाक्टर से बात की तो पता चला कि 130 किलो दूध आता था वह एकाएक 60 किलो कर दिया गया है। यह मेडिकल ओपीनियन थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि कैदियों द्वारा गलत सूचना दी गयी है तो जिन लोगों का दूध बंद कर दिया गया है, उनकी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।

जिस हड़ताल के बारे में यहां पर कहा गया है, उसके बारे में शायद उनको गलत जानकारी है कि दूध को लेकर हड़ताल हो रही है अलवर के अन्दर। वहां पर जो हड़ताल हो रही है, वह इस कारण है कि जेल के सिपाही की किसी दूसरे कर्मचारी के साथ मारपीट हो गई थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। शायद उसकी जमानत भी हो गई हो। इस मामले को लेकर अलवर में हड़ताल हो रही है।...

श्री सभापति : इस का पर्सनल एक्सप्लेनेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे आबजर्वेशन के बाद हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : माफी मांगनी पड़ेगी। एक महिला सदस्या पर आरोप लगाया है।

श्री खेतसिंह : माफी तो तब मांगू जब आप निष्पक्ष जांच करवा दें।

(व्यवधान)

Page No 89

89

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात की जांच करवाना चाहते हैं। ऐनाटोमी विभाग में प्रोफेसर के पद पर जो नियुक्ति की गई हैं, उसकी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियम को पालना करें। जो नियमावली है आप घर जाकर उसका अवलोकन करें। आसन पैरों पर है तो सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। जब एक बार यह कह दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार के आरोप लगाने के पहले संबंधित सदस्य द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया जाये ताकि वे भी उन आरोपों का उत्तर देने के लिए तैयार रहें, उसके बाद में यह सब किस्सा यहां खत्म होता है। आगे कोई कार्यवाही और कोई चर्चा इस पर नहीं होगी।

(व्यवधान)

मैं यह मानता हूं कि नियमों की अवहेलना हुई है। इतना ही आसन की तरफ से कहना पर्याप्त है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री ईश्वरचन्द चौधरी।

कई माननीय सदस्य : चौधरी नहीं भटनागर।

श्री सभापति : मेरे पास जो नाम है वह इसी रूप में है।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : सभापति जी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं मानता हूं कि पूरी जनता हमारी सरकार को बड़ी आशा से देख रही है और कांग्रेसी लोग हमें घूर रहे हैं। यह परीक्षा का समय है। जिस गांधीवादी समाज की नींव को लेकर जनता पार्टी आगे आई है, उस समाजवाद को पूरा करने के लिए, मैं समझता हूं कि इस अभिभाषण में कुछ झलकियां तो जरूर हैं लेकिन जो ठोस कदम हैं, उनका समावेश पूरी तरह से नहीं हो पाया है।

सभापति जी, बड़ी विडम्बना है आज यहां यह कहा जाता है कि तीस साल के शासन काल पर, आपात काल के चेप्टर पर हम लोग अपने विचार नहीं रखें। जो कुछ हो गया है, उसको हम लोग भूल जायें। आज स्थिति यह हो रही है, सभापति महोदय, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वे सदाचार का पाठ पढ़ाने चले हैं, दुराचारी हैं, वे रामायण की चौपाई कोट कर रहे हैं। जो शैतान हैं वे बाईबिल के रिफरेन्स हमको सुना रहे हैं। मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में जो एक बात आई है, वह स्वागत योग्य है। एक दल की सरकार को हटा कर दूसरे दल की सरकार बनी है। तो नई व्यवस्था करना और मूल्यों में परिवर्तन करना भी हमारा लक्ष्य है। परन्तु व्यवस्था और मूल्यों को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, नई व्यवस्था और नये मूल्यों को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए जनता सरकार को समय लगेगा। तीस साल में जो कचरा इकट्ठा हो गया है, उसकी सफाई में भी समय लगना अनिवार्य है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यहां पर

(श्री ईश्वरचन्द्र)

हमारे राज्य मंत्री श्री विज्ञान मोदी के बारे में कुछ कहा गया। यह कहा गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ लिया। जनता सरकार भ्रष्टाचार को पकड़ेगी। निश्चित रूप से पकड़ेगी परन्तु वह छोटी मोटी मछलियों को नहीं, बड़ी मछलियों को पकड़ेगी। यह मोटी मछली कौन हैं? जो हैं वे अपने मन में समझ रहे हैं। जो हजारपति हैं वे करोड़पति हो गये हैं, जो लखपति हो गये हैं, उनके भ्रष्टाचार की जांच जनता सरकार करवायेगी। मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के बाबत इस अभिभाषण में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसका इसमें उल्लेख होना चाहिए था। सरकार को इस बारे में घोषणा करनी चाहिये। एक तरफ दूध में पानी मिलाने की बात पर शोर किया जा रहा है और दूसरी तरफ जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद बना ली है, वे ऐसी बात कहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, दिल को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे एक शेर याद आता है

"वे सलीबों के करीब आये तो हमको
कायदे कानून-समझाने लगे हैं"

आपातकाल के बाबत मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, जार्ज फर्नाण्डिस जैसे आदमी को जान से खत्म करने की कोशिश की गई। जार्ज फर्नाण्डिस को जो यातनाएं दी गई हैं, उनका रिकार्ड है। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर जार्ज फर्नाण्डिस की जान बचा सके। जब जनतन्त्र की हत्या की गई तो राजस्थान की धरती पर चन्द्रशेखर और मोहन धारिया पैदा नहीं हुए। शंकरलाल जी, कांग्रेस ने 30 साल तक शासन किया है उसमें यह टाटा और बिड़ला ही पनपे हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही यह पनपे हैं, मैं कांग्रेस के भाइयों को यह बता देना चाहता हूं...

मैं पिड़ावा क्षेत्र से आया हूं। वहां से पहले जो विधायक थे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई बात करना आवश्यक है तो बैठकर बात कर लें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जो विधायक थे, उन्होंने किस प्रकार की साम्प्रदायिक संकीर्णता का प्रदर्शन किया। अगर कोई मुस्लिम लीग की सरकार आये तो वह भी इतना अत्याचार नहीं कर सकती है जितना कि कांग्रेसी विधायक ने इन्सानियत को ताक में रख कर किया है। आज आप इस प्रकार से बोल रहे हैं?

शिक्षा के बारे में अभिभाषण में यह नहीं आया है कि बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं और स्कूलों को किस प्रकार से नियंत्रण में किया जाएगा। हरिजन और मन्त्रियों के लड़के एक ही स्कूल में बैठकर पढ़ेंगे, यह चीज नहीं आयी है। यह आनी चाहिए थी। युवकों के खेल के बारे में निवेदन है, स्पोर्ट्स को अभिभाषण में स्थान नहीं मिलना निश्चित रूप से खेदजनक है। इसी प्रकार से पत्रकारों के लिए कुछ नहीं कहा गया है कि पत्रकारों के लिए जनता सरकार की क्या योजना है? साहित्यकारों और कवियों के लिए माननीय

(श्री ईश्वरचन्द्र)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी भी प्रकार की योजना का उल्लेख नहीं है जो कि निश्चित रूप से होना चाहिए था। एक बात मैं चाहता था कि जनता सरकार उसे अपने अभिभाषण में सम्मिलित करती वह है कि हजारों आदमी मीसा के अन्दर जेलों में बन्द रहे हैं। बहुतों के सारे धन्धे खत्म हो गये हैं। नौकरियां समाप्त हो गई हैं। इसके बारे में अभिभाषण मौन है। जो आपातकाल के बारे में आपने लिखा है, उसमें उन दूकानदारों और दूसरे लोगों के बारे में भी होना चाहिए था जो कि मीसा के अन्दर बन्द रहे हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जैसा कि कांग्रेस सरकार बोलती थी, उसी तरह से मैं नहीं बोलना चाहता हूं। इसमें लिखा गया है, "सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास हेतु अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की जावेगी तथा उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय किये जावेंगे।" इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि डा. लोहिया ने जो सिद्धान्त निश्चित किया था, वह आना ही चाहिए।

इसी प्रकार से राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक जगह पर 50 कालेज हो जाएं और अन्य स्थानों पर कोई व्यवस्था नहीं हो, उसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थिति नहीं हो। अकादमी के कार्यक्रम चम्बल के किनारे शुरू किये जायें। नयी सरकार नये तथ्य स्वीकार करे।

एक और छोटी सी बात है, जिस पर बहुत जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि ठाकुर ओंकारसिंह ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत मामूली बात है। इस पर बहस बढ़ाना बेकार है। क्योंकि पिछले कांग्रेस शासन में अफसरों ने, अफसर तो बहुत बड़ी बात है, छोटे से थानेदार ने हम जैसों को पकड़ कर बन्द कर दिया। यह क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं था? लेकिन यह अधिकार 25 जून की काली रात को कलेक्टर और थानेदार को दिये गये कि वह किसी को भी गिरफ्तार कर लें। मैं आपको बताऊं मुझ पर क्या आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया कि आप फूलचन्द नामक व्यक्ति से मिलकर, जिसका कि मैंने पहली बार नाम सुना, तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे थे। मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस जिस परम्परा की बात करती है, उसके बारे में सोचें। वह भूल स्वीकार करते हैं। मैं निवेदन करूं कि एक जगह कांग्रेस जीती तो नारे लगाये गये—"इन्दिरा गांधी आयेंगी, इमर्जेन्सी लायेंगी।" अभी भी यह सपना देख रहे हैं। संजय गांधी के रूप में अलग अलग संजय गांधी थे। मध्य प्रदेश के अलग थे और यहां के अलग थे। सभी अलग अलग लोग थे। उनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से सरकार करेगी, इसका उल्लेख नहीं है।

एक और सवाल है, धारा 175 राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अन्तर्गत हजारों लोगों को बेदखल कर दिया गया है। अगर किसी आदमी ने किसी अनुसूचित जाति या अनु-

(श्री ईश्वर चन्द्र)
सूचित जन जाति के व्यक्ति से जमीन खरीद ली और पिछले 15 साल से वह कानून ताक में रखे रहा उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग बेदखल हो गये। किसी सवर्ण ने जमीन खरीद ली और उस पर उसने अपना खर्चा भी कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अफसरों और मिनिस्टरों ने लाखों लोगों को बेदखल कर दिया और दोनों को ही बेदखल कर दिया।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): समझा नहीं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप नहीं समझेंगे। दोनों को ही बेदखल कर दिया गया। जिसने खरीदी उसे भी और जिसकी जमीन थी उसे भी।

श्री सभापति : कानून तो ऐसा ही है।

श्री सूरजपाल सिंह : आपके राज्य में क्या है, वह कहिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं वही कह रहा हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : वह आप अपनी सरकार से कहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : तो मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त जमीन के आवंटन के बारे में प्रक्रिया रखी गई है उसी तरह से धारा 175 का उल्लेख भी होना चाहिए था। किस प्रकार से प्राथमिकता तय होगी, उसका भी उल्लेख होना चाहिए था।

हमारे पिड़ावा क्षेत्र में पचास गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में जानकारी की गई तो मुझे यह बताया गया कि हैण्ड पम्प की जो मशीनें थीं वह पिछली कांग्रेस सरकार ने पश्चिमी बंगाल और काश्मीर में भेज दीं। इस तरह से वहां पर कोई काम पूरा नहीं हो सका और जो इसके लिए बजट था वह भी लेप्स हो गया। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो फसलों के बीच भावों का जो हेर-फेर होता है, उसको जनता सरकार किस प्रकार से कन्ट्रोल करना चाहती है, उसका उल्लेख भी इसमें नहीं किया गया है। इसमें ज्यादातर नुकसान किसानों को होता है, इसका हल ढूंढने के लिए अभी तक कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं किया गया है। इसके बारे में जनता सरकार अब क्या करना चाहती है, इसका उल्लेख भी अभिभाषण में नहीं है, जो होना चाहिए था।

इन सब बातों के बावजूद भी हम बहुत आशावान हैं। जो पहले मन्त्री रह चुके हैं वे इस समय बहुत बोखलाये हुए हैं। जनता यह तय करेगी कि तीस साल में देश को बरबाद करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिले। तो, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि पेय-जल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बाद अप्रोच रोड्स के बारे में भी यह अभिभाषण मौन है, बिजली के बारे में मौन है, पानी, सड़क बिजली, शिक्षा आदि की जो समस्याएं हैं उनके लिये विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर आना चाहिए। फिर भी नई जनता सरकार समस्याओं का हल करेगी, इस आशा के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, गवर्नर साहब ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण दिया है, उसमें मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि अभिभाषण में जन उपयोगी योजनाएं नहीं रखी हैं, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद देने में असमर्थ हैं।

माननीय सभापति जी, जैसा कि मुझसे पूर्व बोलने वाले सदस्य महानुभावों ने बताया कि गवर्नर साहब का जो भाषण है, साल भर की पूरे स्टेट की प्रायोरिटी और कुछ घोषणाएं होना उसमें आवश्यक है। इस प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं, उसमें जो प्रोग्राम इस सरकार द्वारा घोषित किये जाने चाहियें थे वह उसमें नहीं आये। सिर्फ यह घोषणा की गई कि इतनी काश्त वाले खातेदार जो होंगे वह लैण्ड रेवेन्यू नहीं देंगे। यह घोषणा जरूर की गई है। इसके अलावा, माननीय सभापतिजी, हर बात का इन्डीकेशन जरूर दिया है, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये, प्रशासनिक मशीनरी को गिअर-अप करने के लिये और कोआपरेटिव सेक्टर में भी कुछ करने के लिए। हर डिपार्टमेन्ट के बारे में सुधार के इन्डीकेशन जरूर किये हैं लेकिन दिशा-निर्देश नहीं दिया है। अभिभाषण में ज्यादातर पिछली सरकार द्वारा की गई आपातकालीन घोषणा का जिक्र किया गया है, उसके साथ साथ सरकार को अधिकार है कि जनता के लिए कुछ करे। आपने जनता से इसके आधार पर वोट लिये हैं, आपको नाराजगी प्रकट करना जरूरी था, करें इसमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु जनता ने आपको विधान सभा में भेजा है, उसको आपसे बहुत आकांक्षाएं हैं। सड़कें भी बनानी हैं, स्कूल भी खोलने हैं, पानी की समस्या भी है। आप लोग डेढ़ सौ चुनकर आये हैं, हम भी 1972 में इतने ही आये थे, काफी संख्या में आये थे, इसलिए आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सभापति जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी को जनता को सान्त्वना देनी चाहिए। यह कोई भी मन्त्री नहीं चाहेगा कि हमारे कार्यकर्ता असन्तुष्ट होकर जायें। हम चाहेंगे कि सरकार सही लाइन पर चले। इसलिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे। विरोधी पक्ष का दायित्व ऐसा है, हमारी कुछ बातों से आपको नाराजगी भी हो सकती है। इस सदन में बहुत लम्बे अर्से से कार्य कर रहा हूं और कई आरवर्ड मौके आये हैं। माननीय सभापति जी भी सदस्य रहे हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी काफी लम्बे अर्से तक विरोधी पक्ष में बैठे थे, उस दौरान कई मौके आये थे और उन्होंने अपना दायित्व समझते हुए कार्य किया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि विरोधी पक्ष भी नया है, हम भी नये हैं और अध्यक्ष महोदय भी नये हैं...

श्री सभापति : हम सभी नये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिए बहुत स्टडी करने की आवश्यकता है, बहुत चिन्तन करने की आवश्यकता है। हमने जो फैक्ट्स रखें, उसका जनता के ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा इसलिए सही बात जनता के सामने रखें और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दें।

यह सरकार करप्शन को दूर करने के लिए और जनता की कठिनाइयों को दूर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करने के लिये हर प्रयत्न करेगी, तीन महीने से हम यह सुनते आ रहे हैं। जनता के वोट लिये हैं, केन्द्र में सरकार बनी और राज्यों में भी बन गई। अब जनता ने काफी मेजोरिटी के रूप में सरकारें बना दी हैं। इसलिए पूर्व में सरकार ने जो गलतियां और भूलें की हैं, उनके आधार पर सिर्फ वोट को प्राप्त करने की बात खोखली है, अब वास्तविक काम करना है। इस सरकार के जो रास्ते हैं, इसके जो लक्ष्य हैं, हम भी उसका चिन्तन करें और आप भी उसका चिन्तन करें। ऐसा नहीं कि विरोधी पक्ष के लोगों की बात आप सुनें ही नहीं। पिछले समय में तीन मन्त्रियों ने आश्वासन दिये थे कि सांचौर शफाखाना को क्रमोन्नत किया जायगा। शायद मशीनरी ने आपको बताया नहीं आपके पास सूचना अधूरी होने के अभाव में गलती हो सकती है। आप पूर्ण सूचना बिना कोई आश्वासन नहीं दें। हम भी यहां पर लम्बे अर्से से हैं। इसलिए हम जनता की समस्याएं आपके सामने रखेंगे और ईमानदारी से रखेंगे। कुछ ठोस मामले लायेंगे, आप एक्शन लेंगे। तो आपका और हमारा काम एक ही है। पूर्व में अध्यक्ष महोदय ने भी विदाई समारोह में हमारा मार्गदर्शन किया है। कितनी भी अनप्लीजेन्ट चीजें क्यों न हों, सदन में बेधड़क रखी जानी चाहिए। आप स्वच्छन्द होकर कार्य करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आपको भलीभांति मालूम होना चाहिए कि पी. एस. सी. में अगर कोई शख्स रहता है उसकी नियुक्ति दिखाई जाए तो नियमों के अनुसार वह राज्यपाल के पद पर नहीं रह सकता। इसलिए तो इनकी नियुक्ति में देरी लगी। ऐसे नियम के होते हुए हो सकता है, कि इर्रेगुलेरिटी हो। संविधान के अल्ट्रा वायर्स हो सकता है यह कान्स्टीट्यूशन बेंच का मामला है। लेकिन परिपाटी है कि ऐसे मामले सदन में उठाए जायें पहले भी ऐसे केसेज होते रहे हैं। यहां पहली बार राज्यपाल महोदय पधारे हैं तो उनके सामने सवाल उठा लिया तो क्या कानूनी अवहेलना हुई? अगर संवैधानिक धारा का उल्लंघन है तो उनके सामने उठाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय ने बहुत सहिष्णुता रखी, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। मैं उनके व्यवहार की सराहना करता हूं। एक पार्टी इधर है, एक उधर है। दोनों की बात सुनकर निर्णय लेना पड़ता है, अगर आप मोशन रखकर हमें धमकी देना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मौका पहले भी आया है। हमने उदारता दिखाई है लेकिन 150 की संख्या देखकर एक मिनट में हमें निकाल दें तो आपको अधिकार है परन्तु आपके लिए अच्छा नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : अधिकार नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मोशन पास कर सकते हैं, पर उससे आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी लेकिन उसके लिए आप पर जोर पड़ेगा। सत्ता पक्ष में आप पहली बार आए हैं लेकिन आप जनता के सामने क्या उदाहरण पेश कर पायेंगे? जो कांग्रेस ने मार्गदर्शन किया है, जो गांधीजी और नेहरूजी की विचारधारायें इस देश में चल रही हैं, जो आप लोगों ने राजघाट पर शपथ ली है, विदेश नीति तटस्थता की जो कांग्रेस की है उसी पर आप चल रहे हैं। आप उसी समाजवाद और धर्मनिर्पेक्षता की नीति पर चल रहे हैं फिर भी आज हरिजनों के साथ जुल्म किया जा रहा है उनकी बेदखलियां

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हो रही हैं, उनसे पजेशन वापस लिए गए हैं। पूछते हैं तो कहते हैं कि वह जमाना गया। अब आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति व केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम ये जुल्म बरदाश्त नहीं करेंगे लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? अगर आप वास्तविकता से परे होकर आज खुशियां मना रहे हैं तो 5 साल बाद क्या मालूम क्या होगा? जनता के बारे में आपको विचार करना है। कहीं से शिकायत आती है तो जांच की जाए, झूठी है तो फाइल कीजिए, सच्ची है तो एक्शन लीजिए। हमारा विरोधी पक्ष छोटा है परन्तु छोटा होते हुए भी अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि वह हमको संरक्षण देंगे, समय देंगे। अगर वह समय देंगे तो बहुत सी बातें हम रखेंगे, तभी आपका डेमोक्रेटिक सेट-अप चलेगा।

आपने कहा कि अब आजादी वापस आई है, जनता पार्टी ने दिलवाई है। आपके जगजीवनराम बाबू ने कल स्टेटमेंट दिया है कि विभिन्न घटक एक नहीं हो पाए हैं, केन्द्रीय मिनिस्ट्री अभी अधूरी है। यहां पर भी अभी कई असंतुष्ट बैठे हैं, उनको संतुष्ट करना आपका काम है। हम तो यही कह सकते हैं कि घटकों के चक्कर में न पड़कर एक पार्टी होकर काम करें। जैसे सरकार ने कुछ एक्सटेंशन पर चले करप्ट अधिकारियों को रिटायर किया है हम तारीफ करते हैं। ऐसा अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। करप्ट अधिकारियों को सजा देंगे तो हम तारीफ करेंगे लेकिन यदि पक्षपात करेंगे तो हम भर्त्सना करेंगे।

मैं लम्बे समय से यहां इस सदन में बैठा हूं परन्तु यदि सरकार या मंत्री गलती करता था तो हम उनको भी डांटते थे। हम यहां अच्छे तथ्य पेश करेंगे। अदालत में भी दो पक्ष होते हैं आपने कहा हमने जुडिशियरी का गला घोंटा। जुडिशियरी गरीब लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए पिछली सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने प्रयत्न किए थे। अब गरीबों को क्या कानूनी राहत दी जाएगी, जैसे जमीन के मामले हैं, उनको सस्ता न्याय दिलाने के लिए क्या कोशिश की जाएगी, इसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं बताया है। जिनके पजेशन्स छीने गए हैं उनको वापस दिलायेंगे, यह काम आपको करना है।

सभापतिजी, इसके अलावा मैं आशा करता था कि गांव और शहर में भेदभाव न हो, गवर्नमेन्ट और पब्लिक स्कूल में भेदभाव न हो, सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, राज्यपाल महोदय ने एक लाइन भी इस बारे में नहीं कही है। गांव में शिक्षा पाने के लिए जनता खुद पैसा व्यय करे और शहरों में सारा पैसा यूनिवर्सिटी का सरकार खर्च करे। गांवों में कैसी शिक्षा दी जाती है, इसके लिए भी राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा है। शिक्षा नीति में आप क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी शिक्षा दी जाएगी? बाड़मेर और जालौर में भी ऐसी कोई शिक्षा नीति निर्धारित नहीं की है।

केन्द्रीय बजट जो पहले पेश किया गया उस समय आपकी सरकार ने कहा कि हमारे पास समय नहीं था, लेकिन जब फाइनल बजट पेश हुआ तो उसमें भी गरीबी दूर करने की कोई बात नहीं आई।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मध्यम वर्ग व गरीब लोगों के लिए आपने क्या किया ? पिछले तीन महीने में कितना प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है ? प्राइस इन्डेक्स के आंकड़े मेरे पास हैं परन्तु बताने का समय नहीं है। हर दिन सूई ऊपर की तरफ जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा खाद्यान्न, दालों व तेलों में प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है। यह सब आपके समय में ही बढ़ा है। लॉक-आउट और स्ट्राइक्स की भावना बढ़ रही है। पिछली सरकार ने डिसिप्लीन्ड वर्कर्स फोर्स आपको दिया कि दोनों मिलकर अपना काम करें, उनमें अनुशासन की भावना पैदा की, आपने उस भावना में गड़बड़ की है।

जोधपुर विश्वविद्यालय में तीन बार बच्चों को पर्चा दे चुके हैं, एक बार दिया तो फाड़ दिया, दुबारा दिया तो फिर फाड़ दिया। विश्वविद्यालय आटोनोमस हैं, उनके एक्ट पास किए हुए हैं। उनमें अमेंडमेंट के लिए राज्यपाल ने घोषणा की है। आप खुद जानते हैं कि सरकार का दखल उनमें नहीं होता है, उनके प्रशासन को आपको सुधारना है।

जो बेरोजगारी है, उसके बारे में आपने क्या किया ? जिस जय प्रकाश जी के नारे से एवं जनता के वोट से आप जीतकर आए हैं, उनकी भी पैरवी करें। एजूकेटेड अनएम्पलाइड का क्या पर्सेंटेज है ? इसके बारे में अभिभाषण में कोई खास बात नहीं कही गई है। यही कहा है कि एग्रीकल्चर व लघु उद्योगों में एम्पलॉय करने की कोशिश करेंगे।

अब उसका परिणाम क्या होगा, कितने लोगों को एम्पलाय कर सकेंगे यह तो बाद में पता लगेगा। इसके अलावा आपने क्या योजना बनाई है उसका भी कुछ पता अभी तक हमें नहीं लग पा रहा है। खैर, जब आपका बजट आयेगा तब देख लेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान में जनता सरकार को बने तो बहुत थोड़ा समय हुआ है लेकिन केन्द्र में जनता सरकार को बने काफी समय हो गया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि लगातार स्थिति ऐसी हो रही है कि हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों से प्राइसेज कन्ट्रोल में नहीं आ रही हैं। अभी यह सुनने में आया है कि दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया जा रहा है जिसमें प्राइस कन्ट्रोल के बारे में कुछ निर्णय लिये जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर राज्य सरकार का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जालोर जिले में, पिछले एक माह से लगातार बरसात हो रही है। इससे पूरे जालोर जिले के मवेशी बीमार हो रहे हैं। वहां पर लोगों की झौंपड़ियां ढह गयी हैं, लोग बाहर बैठे है। बीमारी फैलने से हजारों की तादाद में मवेशी मर गये हैं। सभापति महोदय, इन हजारों मवेशियों में ऐसे ऐसे मवेशी भी हैं जिनकी कीमत तीन-तीन हजार और पांच हजार रुपये तक है। वहां जिन लोगों के घर गिर गये हैं, झौंपड़ियां बह गयी है वह लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। उनकी मदद के लिये जब लोग कलेक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनके रिलीफ के लिये इन्तजाम करो तो कलेक्टर कहता है कि पैसे नहीं हैं। गवर्नमेन्ट पैसा नहीं दे रही

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। कोई मदद नहीं कर रहा है। कलेक्टर की रिपोर्ट है कि लोगों के झोंपडे बह गये और मवेशी मर गये पर गवर्नमेन्ट ने अभी तक एक पैसा भी सैंक्शन नहीं किया है। यहां पर लगातार वहां की जनता के लिए कलेक्टर भी रिलीफ कमिश्नर को रिपोर्ट भेज रहा है पर कोई नहीं सुन रहा है। सभापति महोदय, स्थिति ऐसी है कि बरसात जोर से पड़ रही है इधर बिजली कड़की और उधर झोंपड़ा टूटा। लोग बेचारे बरसात में बाहर पड़े हुए हैं, उनकी हालत खराब है। आप कलेक्टर को पैसा सैंक्शन करते नहीं हो, उसे कुछ फाइनेन्शियल पावर्स नहीं हैं। क्या इमर्जेन्सी में भी कलेक्टर कुछ सैंक्शन ऐसे कामों के लिये नहीं कर सकता है? ऐसे आपने क्या रूल्स बनाये हैं? आखिर रूल्स तो हमने ही बनाये हैं। कलेक्टर अगर अर्जेन्सी मे पहले खर्च कर दे और लोगों को राहत मिल जाये, बाद में गवर्नमेन्ट सैंक्शन भेज दे तो क्या दिक्कत है? ऐसे आपने क्या हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स बना दिये हैं? नियम आपने ही बनाये हैं कोई भगवान ने तो कानून नहीं बनाये हैं। कलेक्टर पांच रुपये भी नहीं खर्च कर सकता है। आज वहां पर ऐसी स्थिति हो रही है कि लोग पांच पांच रुपया चन्दा करके उन लोगों की मदद कर रहे हैं। वहां काश्त की यह हालत है कि कोई बुवाई नहीं हो रही है। कई लोगों ने चार चार बार बीज अपने खेतों में डाल दिये हैं पर ज्यादा बरसात होने के कारण खेतों में पानी भर गया है, बीज जमीन में अन्दर के अन्दर ही रह गये हैं। आज यहां पर अगर जयपुर में बरसात अधिक हो जाती है तो राज्य सरकार धनराशि एफेक्टेड एरिया के लोगों को देती है पर वह धनराशि राज्य सरकार जालौर के गरीब लोगों को, जिन लोगों के घर पानी से टूट गये हैं, झोंपड़े बह गये हैं, क्यों नहीं देती है? इतना शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भेदभाव क्यों है? अगर राज्य सरकार को कलेक्टर पर विश्वास नहीं है तो वह डिप्टी रिलीफ कमिश्नर को भेजकर रिपोर्ट क्यों नहीं ले लेती या रिलीफ कमिश्नर को भेजकर रिपोर्ट लेकर वहां के लोगों की क्यों नहीं मदद करती?

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जब इस सरकार का कार्य भार सम्भलाया तो करीब तीन हजार करोड़ रुपये का फोरन एक्सचेन्ज दिया है। स्मगलिंग जैसी बुराइयों को खत्म किया। लेकिन यहां पर उन सभी बातों का कहा नहीं जा रहा है। सिर्फ यह कहा जा रहा है, सरकार ने मारुति के खिलाफ में जांच आयोग बैठा दिया है। लोग कह रहे हैं इन्दिरा गांधी के खिलाफ में कमीशन बैठाया जाना चाहिये। संजय गान्धी के खिलाफ में कमीशन बैठा दिया गया है। आप चाहें जो कमीशन बैठाओ, कानूनी कार्यवाही करो। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की हो तो आप कार्यवाही करो। पर कम से कम आप मानवीय दृष्टिकोण तो अपनायें। इमर्जेन्सी की ज्यादतियों की बातें करते हैं तो क्या यह मानवीय दृष्टिकोण है कि वहां पर लोग मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिये कि वहां से कांग्रेसी जीत कर आयी है?

एक माननीय सदस्य: यह आप कब से महसूस करने लगे कि कांग्रेस के लोग

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जीत कर आये हैं वहां पर काम नहीं होना चाहिये।

श्री नवनीत पालीवाल : यह तो आप सोच रहे हैं। शुरू से ही ऐसा हो रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप अभी आये हो आपको भी एक दो महीनों में पता लग जायेगा। इतना ही नहीं मैं यह भी बता सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट को शठ अप तक एक प्रिसाइडिंग आफिसर ने कह दिया, जिनको अरेस्ट करना चाहिये था उसे अरेस्ट नहीं किया। दारू पीये हुए था। पर मेरा तो यह कहना है कि जहां पर जनता को तकलीफ हो तो आपकी यह जिम्मेदारी हो जाती है चाहे वहां की जनता ने कांग्रेस को जिताया हो या जनता पार्टी के सदस्य को पर कम से कम वहां के लोगों को कोई तकलीफ होता है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिये।

आज आप मैट्रिक पास वालों को स्कूलों में मास्टर लगा देते हैं, वह छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं और उन बेचारों की जुबान ही खराब हो रही है क्योंकि मास्टरों का उच्चारण ठीक नहीं है। आखिर राज्य सरकार क्या करने जा रही है?

आज आप लोकतन्त्र की बात करते हैं, जनता के भले की बात करते हैं। हम भी लोकतन्त्र के हामी हैं। लोकतन्त्र कोई समाप्त नहीं हो गया है। जनता को आपको और हमें दोनों को ही राजी रखना पड़ेगा। हमारा काम है आपको बताना, भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। आपको कीमतों को कम करना पड़ेगा। आपको उन लोगों के, जो लोग होर्डिंग करते हैं, खिलाफ में कार्यवाही करनी पड़ेगी, छापे मारने पड़ेंगे, पकड़ा धकड़ी करनी पड़ेगी ताकि कीमते नीचे आवें। आज सारे प्रोविन्स में लॉ एण्ड आर्डर खराब हो रहा है। सभी खराब बातें इन्दिरा गांधी के माथे मंढ रहे हैं। उन्होंने तो आपको राज्य सुपुर्द किया है।

श्री नवनीत पालीवाल : बड़ी दया की। जनता पूरी खिलाफ हो गयी थी। हमने तो राज्य छीन कर लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो जनता का फैसला है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप कीमतों को कम कीजिये और मेरे जिले में, जहां पर बरसात से लोगों को नुकसान हुआ है, उसकी कार्यवाही जल्दी से जल्दी राहत दिलाने की करें। आज जो स्थिति हो रही है ऐसी परिस्थितियों में जो गवर्नर महोदय के अभिभाषणों पर धन्यवाद देने का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

एक माननीय सदस्य : यह बिजली कहां गिर गयी। आप बता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर, कारोला, दमाणा, कमालपुरा, हाड़ेतर,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माथुपुरा इत्यादि। आप कहें तो लिस्ट बता दूं मन्त्री जी पता कर लेंगे।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय सभापति महोदय, कल के भाषण में व्यवधान पैदा करने के सम्बन्ध में श्री मथुरादास माथुर को सदन से निलम्बित करने के लिए एक प्रस्ताव मैंने आपके सम्मुख पेश किया था। उस प्रस्ताव पर आप कब तक विचार कर लेंगे ? यह बताने की कृपा करें।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। आपका कोई मोशन हो तो पहले उसे सेपरेटली सेक्रेटेरियेट को रेफर करें।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 21 जुलाई, 1977 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 1 की सूची)

विवरण

हिन्दीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये:—

कुछ कार्य विशेषों के लिए केवल हिन्दी का ही प्रयोग अनिवार्य करने के लिए आदेश दिये गये–उदाहरणार्थ–समस्त सरकारी प्रयोजनों के लिये किए गए हस्ताक्षरों में नियुक्ति-स्थानान्तरण आदि के आदेशों में, तथा राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त रबर मोहरों के उपयोग में केवल देवनागरी में लिखित हिन्दी का प्रयोग ही मान्य होगा, ये आदेश जारी किये गये। इनके अतिरिक्त गजट में छपने वाली सामग्री, हिन्दी समाचार पत्रों में भेजे जाने वाले विज्ञापन, विभागों से जारी हुए परिपत्र आदि में हिन्दी का ही प्रयोग हो ये आदेश भी जारी हुए। इनकी अनुपालना की जांच विशेष रूप से की जाती है। समस्त राजकीय विभागों में हिन्दी प्रयोग की देख-रेख हेतु राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। हिन्दीकरण आदेशों के अनुपालन तु भाषा विभाग प्रत्येक विभाग से त्रैमासिक विवरण-पत्र (रिटर्न) मंगवाता है। राजकीय विभागों के तत्वावधान में सार्वजनिक सम्मेलनों, मेलों, प्रदर्शनियों आदि के प्रयोजनों में, साइनबोर्ड, सूचनापट्ट, पोस्टर, चित्र आदि सामग्री में व राजकीय समारोहों के निमन्त्रण-पत्रों में हिन्दी प्रयोग के निर्देश भी जारी किये गये हैं। 1-10-76 से समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जाने के निर्देश पुनः प्रसारित किये गये थे। इन प्रयत्नों से राजकीय कामकाज में हिन्दी की गति पूर्वापेक्षा काफी बढ़ी है।

———

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों को दिनांक 1-7-76 से 30-6-77 तक सेवा अवधि में की गई बढ़ोतरी की सूची।

क्र. सं.	नाम	विवरण
1.	श्री बी. डी. शर्मा, निदेशक, नियोजन कार्यालय	भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर
2.	श्री एन. एस. मेहता	
3.	श्री के. पी. त्रिपाठी, नि. स. भू. पू. मुख्य मंत्री	
4.	श्री मदन लाल बोवेजा, मैनिजिंग डाईरैक्टर, स्पिनिंग मिल्स, गुलाब पुरा	
5.	श्री धर्म सिंह, उप सचिव, राज्यपाल	
6.	श्री एस. एल. खुराना, भू. पू. मुख्य सचिव	
7.	श्री राम सिंह, भू. पू. गृह आयुक्त	
8.	श्री डी. पी. जैन, मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि.	
9.	श्री पी. के. शर्मा, लाइजन आफिसर, आर. सी. पी.	
10.	श्री बी. एल. व्यास, स. स. कार्मिक विभाग	
11.	श्री जी. एस. शास्त्री, अध्यक्ष, आर. सी. बी.	
12.	श्रीमती कलावती गुप्ता, अधीक्षिका, महिला सेवा सदन, डूंगरपुर	
13.	श्री उमराव मल बोहरा, आर. एस. एस.	
14.	श्री के. आर. कौशिक, सहायक अभियन्ता, सिंचाई, भीलवाड़ा।	
15.	श्री ओमदत्त शर्मा, उप सचिव, आथोराइज्ड गोवर्नमेन्ट रिप्रेजन्टेटिव, ट्रिब्यूनल, जयपुर।	

(102)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 7 की सूची)

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नौखासूरा जायड़

वर्ष 1975–76 एवं 1976–77 तक योजना के अन्तर्गत लगभग 5.60 लाख रुपये की लागत के लिये आवश्यक पाईप प्राप्त किये गये हैं जो कि योजना स्थल पर हैं। इस वर्ष योजना पर 5.00 लाख रु. खर्च करने का प्रावधान है जिसमें से 1.28 लाख रुपये भू-जल विभाग को नलकूप बनाने हेतु हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ऊंडू–पनावड़ा

योजना के अन्तर्गत मार्च, 1975 तक 5 ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है एवं योजना के अन्तर्गत ग्राम कालू व जकदड़ा में जल वितरण बाकी रह गया था। ग्राम कालू में जल-वितरण इसी माह जुलाई, 1977 में प्रारम्भ किया जा चुका है एवं ग्राम जगदड़ा के लिए पाईप लाईन टेस्ट की जा रही है व शीघ्र ही पूरा कर दिया जावेगा।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाड़खा–देरासर

अब तक योजना के अन्तर्गत 3 ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है एवं अन्य ग्रामों के लिए भी पाईप लाईन लगा दी गई है व टंकिया बनाई गई है। गत वर्ष नलकूप बनाने के लिए 94,500) रु. भू-जल विभाग में जमा कराये गये हैं।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाड़खा–रोहली

योजना के अन्तर्गत स्वच्छ जलाशय का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है एवं पाईप लाईन आंशिक रूप से प्राप्त की जा चुकी है।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 9 की सूची)

जैतारण क्षेत्र के सड़कों की सूची जिनके किनारे टूटी हुई कंकरी पड़ी हुई है।

क्र. सं.	सड़क का नाम	अनुमानित लागत	कब से पड़ी हुई है
1.	बड बिडाला सड़क	21,000)	जुलाई 1975 से
2.	जैतारण मेड़ता सिटी	96,300)	वर्ष 1968–69 से
3.	चंडावल जैतारण सड़क	14,800)	जुलाई 1975 से
4.	सांबिया बावरा सुमेल सड़क	22,000)	वर्ष 1968–69 से

(104)

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 14 की सूची)

25 वर्गमील से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रामों की सूची मय जनसंख्या

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमीलों में	जनसंख्या वर्ष 19[illegible] अनुसार	वि. वि.
1	2	3	4	[illegible]	6
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	44	38531	
2.	,,	शिवकर	26	2311	
3.	,,	बान्दरा	53	2914	
4.	,,	महाबार	62	4623	
5.		भाडखा	44	3262	
6.		बूठिया	26	838	
7.	,,	सडोन	37	2155	
8.	,,	सेतराऊ	26	1104	
9.	,,	बिशाला	46	2979	
10.	,,	नान्द	39	1297	
11.	,,	जूना बतरासर	29	1055	
12.	,,	बायतू पनजी	29	2403	
13.	,,	बायतू भोमजी	26	3750	
14.	,,	कोलू	30	2343	
15.	,,	अकदड़ा	35	2472	
16.	,,	कानोड़	28	1902	
17.	,,	जजवा	31	1611	
18.	,,	भाक	34	1751	
19.	,,	भाटाडू	66	5178	
20.	,,	चोखला	34	2041	
21.	,,	भरटिया	29	2740	
22.	,,	रावतसर	43	4264	
23.	,,	चवा	35	3522	
24.	,,	होडू	47	3999	

1	2	3	4	5	6
25.	बाड़मेर	नोकड़ा	30	2510	
26.	,,	सनावड़ा	35	2956	
27.	,,	धाडेल	33	3144	
28.	,,	खरली	35	3223	
29.	,,	मूंका वगतसिंह	29	1643	
30.	,,	दाखां	32	2185	
31.	,,	खड़ा	28	1727	
32.	,,	गुडा	51	4731	
33.	,,	नगर	35	2887	
34.	,,	धोरीमन्ना	27	3690	
35.	,,	दूधू	26	2778	
36.	,,	रतेऊ	51	2339	
37.	,,	खोखार	45	3143	
38.	,,	सवाऊ पदमसिंह	45	3356	
39.	,,	गेरऊ	27	2302	
40.	चौहटन	चौहटन	32	4475	
41.	,,	तारातरा	37	3048	
42.	,,	बीलसर	10	2972	
43.	,,	नेतराड़	38	3680.	
44.	,,	बिसारणिया	36	3707	
45.	,,	आलमसर	29	2316	
46.	,,	गंगासरा	27	2046	
47.	,,	बालासर	26	2375	
48.	,,	धनाऊ	31	2897	
49.	,,	बीजराड़	38	2333	
50.	,,	धारासर	27	2067	
51.	,,	देदूसर	30	1586	
52.	,,	ईटावा	28	1794	
53.	,,	बावड़ी कलां	25	1688	
54.	पचपदरा	बगोड़	35	4917	
55.		दूधवा	26	1432	
56.	,,	बागावास	30	1700	
57.	,,	घाटोदी	49	9450	

Page No 106

(106)

1	2	3	4	5	6
58.	पचपदरा	धोढ़	30	1743	
59.	,,	मचेरना	29	2058	
60.	शिव	बलाई	33	612	
61.	,,	निम्बला	26	808	
62.	,,	नामड़दा	34	447	
63.	,,	खातीखड़ा	29	307	
64.	,,	धारणो खुर्द	37	573	
65.	,,	,, कलां	29	803	
66.	,,	ऊंडू	51	2796	
67.	,,	कानासर	33	1453	
68.	,,	काश्मीर	43	1965	
69.	,,	भीमाड़	73	2548	
70.	,,	मोगानकलां	30	677	
71.	,,	उणकली	35	242	
72.	,,	ऊजरोड़	25	688	
73.	,,	मारंग	36	942	
74.	,,	चोचरा	31	912	
75.	,,	जेसिन्धर गांव	56	3447	1971 में जन गणना शामिल हुई थी।
76.	,,	,, स्टेशन			
77.	,,	डामड़	52	345	
78.	,,	गंधड़ा	41	703	
79.	,,	सुन्दरा	146		1971 में जन गणना शामिल हुई थी।
80.	,,	ढ़ामा	186	2197	
81.	,,	राहिड़ी	187		
82.	,,	शिव	37	1905	
83.	,,	गूंगा	28	1437	
84.	,,	हड़मा	28	615	
85.	,,	हरसाणो	92	4461	1971 मे जन गणना शामिल हुई थी।
86.	,,	रासणासर	63		
87.	,,	मूंगेरिया	47	1015	
88.	,,	कोटखा	101	2657	

1	2	3	4	5	6
89.	शिव	बोलेवा	36	686	
90.	,,	रैडावा	41	1101	
91.	,,	गिराब	94	1297	
92.	,,	चितरोड़ी	63		
93.	,,	भेदूसर	67	2934	
94.	,,	खामिवाणी	57		
95.	,,	तामलोर	38	726	
96.	,,	बांडासर	31	653	